उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No .....H05490.../C-6/Gen-766/ O.A. No.176/2022/2023 *Dated* 10/01/2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Affidavit of Member Secretary, UP Pollution Control Board in compliance to the order dated 12.12.2023 in Original Application No. 176 of 2022 In the matter Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 12.12.2023 in Original Application No. 176 of 2022 In the matter Aman Chaudhary Vs. Union of India and Others., The Affidavit of Member Secretary, UP Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Enclosures: As above

Copy to: Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301 information and further necessary action.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 176 of 2022

IN THE MATTER OF:

Aman Chaudhary

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

.....Respondent(s)

Affidavit of the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 12.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal

I, **Sanjeev Kumar Singh** aged about 37 years S/o of Shri Lal Sahab Singh presently posted as Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under;

1. That the deponent, in its above noted capacity, is well conversant with the facts and circumstances of the case

Scanned with OKEN Scanner

and as such I am competent to swear this affidavit, as under;

2. The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide its order dated 12.12.2023 has passed the directions. The operative portion of the order is quoted as below:-

.....11. The UPPCB is directed to file additional status report in respect of the remaining mining lease holders by way of affidavit of the Member Secretary on or before 10.01.2024 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.....

Additional Status Report in respect of remaining defaulter 436 mining Leases-

3. That in compliance of the Hon'ble NGT earlier order dated 30.05.2023 and 17.10.2023 in aforesaid case the status of Mining Leases and action against defaulter units etc has been submitted to Hon'ble Tribunal vide UPPCB Letter No H01920/C-6/Gen-766/OA No 176/2023 Dated 14.10.2023 and Letter No H03798/C-6/Gen-766/OA No 176/2023 Dated 08.12.2023.

4. That as per the above submitted consolidated status of mining leases in Uttar Pradesh, there were 1232 mining

Scanned with OKEN Scanner

leases established, out of which 445 Mining Leases had obtained Consent to Operate (CTO) under the section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and remaining 787 Mining Leases had not obtained CTO.

5. That in compliance of the Hon'ble NGT order dated 17.10.2023, show cause notices dated 20.10.2023 under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 were issued by UPPCB against the defaulter 787 Mining Leases of Uttar Pradesh for not obtaining prior consent to operate under The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
6. That as of now, the detail of 787 Mining Leases is given below:
   i. 202 Mining Leases have obtained Consent to Operate (CTO) under the section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The list of the 202 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-1** to this affidavit.

NOTARY NAJRJANAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regd. No. 10043/15 Exp. Dt. 28.11.2027 NOTARY GOVT. OF INDIA

Scanned with OKEN Scanner

ii. The Consent to Operate applications of 63 Mining Leases are under process for disposal. The list of the 63 Mining Leases is being annexed herewith as **Annexure-2** to this affidavit.

iii. UPPCB vide different letters dated 09.01.2024 & 10.01.2024 have issued Closure order under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to 281 Mining Leases. The copy of the said closure orders are being annexed herewith as **Annexure-3** to this affidavit.

iv. Director, Geology & Mining, UP vide it's letter dated 26.12.2023 has provided the list of 210 Mining Leases which are not functional due to expiry/cancel of lease permit and other 31 Mining Leases, which are not functional in verification of UPPCB, so UPPCB vide different letters dated 09.01.2024 & 10.01.2024 have issued direction to the all such 241 Mining Leases for remain close and operate after prior CTO under the section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of Director, Geology & Mining, UP letter dated

NOTARY NUJKUMAR Civil Court GOVT. OF NOTARY

Scanned with OKEN Scanner

26.12.2023 and the copy of letters/directions dated 09.01.2024 & 10.01.2024 issued by UPPCB are being annexed herewith as **Annexure-4&5** to this affidavit.

NOTARY

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

NOTARY NOTARY NOTARY NOTARY

VERIFIED ON THIS THE 10th DAY OF NOVEMBER, 2023 AT Lucknow.

Sworn and Verified before me.

10/1/24

NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Reg. No. 10943/15
Exp. Dt. 30-04-2025
GOVT. OF INDIA

I know & Identify the deponent/Executor who has signed/ put his T.I. before me

S. J. Iqbal Advocate
Reg No. 6943/1999
A-12 LKO

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-1

List of 202 Mining Leases which have valid CTO

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
1	M/s. Lifemap Builders Pvt. Ltd. Shri Ajay Kumar Singh S/o. Shri Baijnath, R/o. 51415A, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
2	Smt. Usha Devi W/o. Shri Arvind Kumar, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 137, Vill. Kanchanpur, Teh. Chunar, Area 2.80 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
3	M/s. Jay Maa Bhandari Stone Works, Prop. Shri Gulab Das S/o. Paras Nath, R/o. Koiran Bazar, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.34 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
4	Shri Abhay Singh, S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Adhawar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.31 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
5	Shri Vikas Singh, R/o- 8044 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546 Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 719, Khand No.-02, Area- 2.024 Ha (5.00 Acres) at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Allahabad, U.P., M/s Sarita Construction Company/106546	Prayagraj	Granted
6	Shri Vikas Singh , R/o- 80/44 near Dot Pul Rambag, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Khasra No./ Plot No.- 719, Khand No.- 01, at Village- Chhatahara Ghurehtha, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Sarita Construction Company, (Leased Area- 2.024 ha)	Prayagraj	Granted
7	Shri Durgesh Pratap Singh S/o Shri Satrubandhan Singh, R/o- Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3114, 3115, Khand No.-18, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District- Prayagraj,U.P., M/s Maa Savitri Stones, Lease area-2.024 ha.,	Prayagraj	Granted
8	Smt. Kusum Devi, Owner, R/o- Pandila, Post- Ismailganj, Thana- Tharvai, District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project located at Gata No.-174, Khanda No.- B/4, Village- Bangaliya, Tehsil-Meja District- Prayagraj , U.P., M/s Kusum Construction, Leased Area -2.024 ha	Prayagraj	Granted
9	Smt. Shakuntla W/o Shri Punjab Singh, R/o-Village-Bisenpur, Post-Dohariya, Thana-Meja, District-Allahabad,Uttar Prades Proposed of Ordinary River Sand Mining project at Khand No-31, Village-ParanipurIII (from tower of hightension line up to constructing tower of high tension line) & Kandla Mawaiya (Ganga River), Tehsil- Meja/Handiya District- Prayagraj, U.P.,Area 5.0 Ha	Prayagraj	Granted
10	Shri Ravindra Kumar (Prop) S/o Shri Rajendra Prasad Jaiswal R/o- 463/380A/1, F/1, New Basti Keedganj District – Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) mine, at Khasra no. /Plot no./Gata No.- 1, 522, Khand No.D.H./7 Area 4.0480 ha (10.00 Acres) at Village – Dharawal, TehsilMeja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jyoti Associates.	Prayagraj	Granted
11	Sunita Singh W/o Shri Dinesh Pratap Singh R/o – Rajapur, Bharatganj Tehsil - Meja, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Gitti / Boulder / Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. – 01 , Khand No.–G/1, at Village – Gudgawa, TehsilMeja, District- Prayagraj , Uttar Pradesh of Smt. Sunita Singh, Area 2.024 ha.	Prayagraj	Granted
12	Shri Deepak Singh, R/o- Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine, at Khasra no./Plot no./Gata No.-272, Khand No.6, Area 0.809 ha (2.00 Acres) at Village – Hinauti Pandey, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Deepak Singh.	Prayagraj	Granted
13	Shri Arun Kumar Singh (Prop) S/o Shri Dharmendra Pratap Singh R/o: 529 Manda Khas Tehsil- Meja, District–Prayagraj U.P. Proposed of building stone (Gitti, Boulder, Khanda) sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 1Mi, khand no.–K/3, at village – Kewalpur, tehsil- Meja, district- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Arun Kumar Singh, area 2.024 ha	Prayagraj	Granted
14	Shri Ram Kesarwani, R/o- Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.- 2098, Khand No.–41 and 43, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ram Kesarwani, Area- 4.048 ha	Prayagraj	Granted
15	Shri Nirmal Kumar Chaubey (Prop) S/o Shri Balwant Chaubey Add:- Chhorhar Hanumanganj District–Balia, U.P Proposed Building Stone (Khanda, Boulder Gitti) Sandstone mine located at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/3, Area 2.0240 ha (5.0 Acres) at Village – Bangliya, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh, Area- 2.0240 ha	Prayagraj	Granted
16	Shri Shailendra Kumar Dubey S/o Shri Indra Kumar Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/6/5, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 2.50 Acre., Distt. Mirzapur	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
17	Shri Vishal Dubey S/o. Shri Ramjidhar Dubey, R/o. Vill. Kalana, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 36/5/2, Vill. Sonbarsa, Teh. Lalganj, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
18	Shri Anirudh Kumar Tiwari S/o. Shri Vikramadity Tiwari, R/o. Vill. Chauguna, Post-Kador, Distt. Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Mining Project at Gata No. 83 Kh, Vill. Bhusi Patharaha (Niji), Teh. Lalganj, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
19	Smt. Mithilesh Dubey W/o. Shri Ramji Dubey, R/o. Vill. Kalana Dubey, Gaipura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 3Kh & 3Gh, Vill. Manikpur (Niji), Teh. Lalganj, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
20	Shri Shambhu Nath Yadav W/o. Shri Binnar Yadav, R/o. Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 478, Vill. Devari Kalan, Teh. Marihan, Area 6.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
21	J.B.S. Stone, Prop. Jaypal Gupta S/o. Late Keshav Prasad Gupta, R/o. Vill. Barkachha Kalan, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 501 Ka & Ga, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
22	Shri Suraj S/o. Late Shitala Prasad, R/o. Moh. Pakki Saray, Thana Kotawali Shahar, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Marihan, Area 6.47 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
23	Shri Keshav Nath Tiwari S/o. Late Ramnagina, R/o. Vill. Pahari Barkchha, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537R, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 4.94, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
24	Shri Akhilesh Kumar Singh S/o. Shri Raj Bahadur Singh, R/o. Vill. Bhaidpur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 508/1, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.55 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
25	Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
26	M/s. Satya Prakash Construction Company, Prop. Shri Satya Prakash Singh S/o. Shri Devraj Singh, R/o. Chakgaura Bisen, P.O. Nakati, Mishrauli, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2Mi, 3, 5 & 6 Mi. Vill. Chakgaura Bisen, Teh. Sadar, Area 1.30 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
27	Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
28	Smt. Shiv Kumari Devi W/o. Shri Sushil Kumar Mishra, R/o. Vindhyapuri Colony, Bharuhana, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 562, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 1.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
29	M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 11.01 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
30	M/s. Unnati Construction, Prop. Shri Vivek Kumar Singh S/o. Shri Arvind Kumar Singh, R/o. Vill. Chhitauni, Thana-Chaubeypur, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
31	M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 547 Mi, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
32	M/s. Ivitech India Pvt. Ltd. Director Shri Prashant Singh S/o. Shri Surendra Singh, R/o. Sarswati Nagar, TCI Ke Peechhe, Distt. Varanasi, Mining Project at Gatat No. 547, Vill. Bhojpur Pahari, Teh. Sadar, Area 4.96 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
33	Smt. Vimlesh Devi W/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Chandleva, Thana-Padri, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gatat No. 703Anh, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 2.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
34	Shri Devendra Pratap Singh S/o. Late Musafir Singh, R/o. Chuppepur, Ramashankar Nagar Colony, Teh. Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 708Ja Mi, Vill. Chandleva Kalan, Teh. Sadar, Area 4.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
35	Smt. Suneeta Devi W/o. Shri Ramu Gupta, R/o. Vill. Purainiya, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
36	Shri Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah, R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Barelli, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
37	Shri Jagdish Singh S/o. Shri Ram Briksh Singh, R/o. Vill. Barawan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 360, Vill. Adhavar, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
38	Shri Alok Kumar S/o. Shri Jokhan Singh, R/o. Vill. Manjhawa, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
39	Shri Sripati Singh S/o. Late Sitaram Singh, R/o. Katwamafi, Chakiya, Distt. Chandauli and Shri Jitendra Kumar Singh S/o. Shri Sabhajit Singh, R/o. Agarsand, Paragana-Haveli, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
40	Shri Ashok Kumar Sharma S/o. Shri Vansh Narayan Sharma, R/o. Vill. Puradurvasa (Ahraura) Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428 Acre, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 5.00, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
41	Shri Pankaj Singh S/o. Shri Jagtamba Singh, R/o. Vill. Awaleshpur, Thana Rohaniya, Teh. Sadar, Distt. Varanasi. After dead of Mining Lease Holder to transfer Name of Shri Jagtamba Singh S/o. Shri Aditya Narayan Singh, R/o. Vill. Ramgarh Kalan, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
42	M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana, Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
43	M/s. Ajayashish Construction & Infra Pvt. Ltd., Vill. Sarvanpur, Durgapur Road, Distt. Amethi, Director Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Pure Agavan Majare Korari Girdharshah, Thana & Teh. Amethi, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
44	Shri Rajesh Bhai Patel S/o. Late Jagdish Singh, R/o. Vill. Ramrasahi, Post Patihata, Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 05.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
45	Shri Neeraj Upadhyay S/o. Shri Harishankar Upadhyay, R/o. Vill. & Post Patihata, Teh. Chunar, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
46	Smt. Vijeta Singh W/o. Shri Hemant Kumar Singh, R/o. Patel Nagar (Garaudi), Post Adalhat, Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
47	Shri Abhay Singh S/o. Shri Jagat Narayan Singh, R/o. Vill. Lalpur, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
48	Shri Ganga Sagar Singh S/o. Shri Meghvaran Singh, R/o. Vill. Karampur, Tehsil Saidpur, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
49	M/s. J.A.M. Marbal & Minerals, Part. Shri Mata Prasad S/o. Shri Ram Prasad, R/o. Vill. Paharpur, Tehsil Naraini, Distt. Banda, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
50	Shri Ashok Kumar Mishra S/o. Shri Ramakant Mishra, R/o. Vill. Bihara, Post Pila Kothi, Thana Kotwali Karvi, Distt. Chitrakoot, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
51	Moh. Shah S/o. Shri Jamat Ali Shah R/o. Vill. Harharpur Dunda Shubhali, Thana Bahedi, Distt. Bareilly, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
52	M/s. S.R. Developers, Prop. Smt. Renu Singh W/o. Shri Sandip Kumar Singh, R/o. Sa. Koronation Kalindi Vile Flat No. 402, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
53	Shri Swatntra Singh S/o. Shri Sidhnath Singh, R/o. 592Gha/53C, Rajeev Nagar, Thana-P.G.I., Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
54	Mohd. Shamshad S/o. Shri Mohd. Iliyas, R/o. Moh. H.No. 578-A, Lala Mahavir Prasad Road Kasai bar, Sadar Kant, Ahmadpur Urf Kamlapur Dilkusha, Thana Kantt, Tehsil Sadar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
55	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-08, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
56	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705, Khand-07, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
57	M/s. Karuna Consaltents Pvt. Ltd., Director Smt. Bhawana Pandey D/o. Shri Lakshmi Datt Pandey, R/o. Moh. 153/1, Jasola, New Delhi, Permanent Address: Himmatpur, Mota Haldu, Thesil Lalkuan, Haldwani, Distt. Nainital, Mining Project at Gata No. 705 Khand-06, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
58	Shri Kamala Shankar Yadav S/o. Shri Baba Prasad Yadav, R/o. Vill. Ahirauli, Post Shitalganj, Thana Kotawali Madiyahu, Distt. Jaunpur, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
59	Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
60	Shri Akhilanand Mishra S/o. Shri Ram Sagar Mishra, R/o. Vill. Mishrapur, Tehsil Sagadi, Distt. Azamgarh, Shri Aashish Kumar Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Moh. 51Ga, Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 737, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
61	Shri Shailendra Singh S/o. Shri Narayan Singh, R/o. Vill. Rajupur, Post Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre., Distt. Mirzapur	MIRZAPUR	Granted
62	Shri Ritesh Singh S/o. Shri Om Prakash Singh, R/o. Vill. Sevrai, Thana Gahmar, Tehsil Jamaniya, Distt. Ghazipur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
63	Smt. Kanchan Pandey W/o. Shri Amitabh Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ki Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 2.75 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
64	Shri Ramesh Kumar Singh S/o. Late Devpujan Singh, R/o. Vill. Kanchanpur, Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 309, Vill. Baradih. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
65	Shri Ramashankar Dubey S/o. Shri Surendra Dubey, R/o. Kamhari, Bramh Nagar, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
66	Shri Nikshay Pandey S/o. Shri Rishikant Pandey, R/o. Moh. Bhatawa Ke Pokhari, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 142, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
67	Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 39), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
68	Shri Chandrabhan Singh S/o. Shri Hariraj Singh, R/o. Line par, Chau Ki Basti, Distt. Muradabad, Mining Project at Gata No. 1K (Khasara No. 40), Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
69	Shri Babu Narayan Kushwaha S/o. Shri Ram Sahay Kushwaha, R/o. Mo. Ramedi Taraus Shahar-Meerpur and Shri Byas Varma S/o. Shri Triveni Prasad Verma, R/o. H.No. 568Kh/219, Geetapalli, Aalambag, Thana Krishna Nagar, Distt. Lucknow, Mining Project at Gata No. 497 & 198 Vill. Sonpur Chakiata, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
70	Shri Raj Kumar Singh S/o. Vijay Pratap Singh, R/o. Gaughat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 626, Vill. Bhuili, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
71	Shri Shyam Bahadur Singh S/o. Shri Jawahir Singh, R/o. Danghar, Hydil Colony, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
72	Smt. Anju Singh W/o. Shri Yogendra Pratap Singh, R/o. Pahiti, Post Lahaura, Thana Marihan, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
73	Shri Abhay Kumar Singh S/o. Shri Suresh Kumar Singh, R/o. Vill. Pachokhara, Thana & Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
74	Shri Birendra Kumar Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38Mi, Vill. Kudaran, Teh. Chunar, Area 04.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
75	M/s. Maa Mundeshwari Devi Enterprises, Prop. Shri Sohan S/o. Shri Raghunath, R/o. Vill. Paharpur, Thana Shahabganj, Tehsil Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 207, Vill. Alhua, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
76	M/s. Jay Maa Vaishno Stone Works, Part. Shri Gyanendra Pratap Singh S/o. Shri Akhilesh Kumar Singh, R/o. Vill. Mahmoodpur, Thana Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
77	Shri Chhatrabali Singh S/o. Shri Vakil Singh, R/o. Ben Tiyari Chakiya, Distt. Chandauli, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
78	Shri Pradeep Kumar S/o. Ram Naresh Yadav, R/o. Dohari, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 177, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
79	Smt. Sunita Singh W/o. Shri Surendra Kumar Singh, R/o. Dakahi, Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
80	M/s. Khaki Baba Construction Company, Prop. Shri Ramesh Singh S/o. Shri Ghurahu Singh, R/o. Imariti Colony, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 732, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
81	Shri Javed Ahmad S/o. Shri Ali Jamir Khan, R/o. Rasulpur, Thana Adalhat, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
82	Shri Sanjay Bhai Patel S/o. Shri Jagdish, R/o. Ramrasahi, Post Patihatta, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 180/2, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
83	Shri Chandrabali Yadav, S/o. Shri Birju, R/o. Devnathpur, Adhwar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 703, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
84	M/s. Maa Vindhyavasini Constrction, Prop. Shri Madhusudan Singh, S/o. Rambadan Singh R/o. Prabhapuram Colony, Urmaura Road, Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 705, Vill. Bhagautideyee, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
85	M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Late Ramruchi Pathak, R/o. Mudiladeeh, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 157, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
86	M/s. Dilip Buildcon Ltd., Director Shri Dileep Suryavanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryvanshi R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Colar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
87	M/s. Maa Sheetala Stone, Prop. Shri Mithilesh Singh S/o. Shri Ramcharittar Singh, R/o. Vill. Adalpura, Thana & Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
88	Shri Gulbadan S/o. Shri Setu, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 170, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
89	M/s. Vindhya Green, Infra Promotors Pvt. Ltd., Director Shri Gajendra Prasad Singh S/o. Shri Jagdish Singh, R/o. Vill. Jamuai, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Hall Pata Sangmohal Cloth Shop Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 592/1, Vill. Gahiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
90	M/s. H.P. Traders, Prop. Shri Haushila Prasad Dubey S/o. Shri Aditya Narayan Dubey, R/o. Vill. Rampur, Post Kolhua, Thana Chilh, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/2, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
91	Shri Dileep Suryavanshi,Director, R/o- Plot No.- 05, Inside Govind Narayan Singh Gate Chunabhatti Kolar Road Bhopal, M.P., Proposed of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Araji No.- 1, Village- Sonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-1.01 ha)	MIRZAPUR	Granted
92	Shri Surendra Kumar Singh, R/o- Village- Dakahi, Thana- Ahraura, District- Mirzapur, U.P.M/s Shiv Stone works. , Proposed of "Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No.-37, Village- Dakahi, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Shiv Stone works. , Leased Area -1.21 ha	MIRZAPUR	Granted
93	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
94	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "SandStone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
95	Shri Rahul Singh S/o Shri Gautam Singh, R/o- 36/10-7, Kaivalya Dham Colony, Durga Kund, District-Varansi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-78, at Village- Khamhawa Jamati, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.607 ha	MIRZAPUR	Granted
96	Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Jigna, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Jigna, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
97	Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Village-Sariya, Thana-Ahraura, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone" Project at Araji No.-01, at Village-Ahirupur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -0.809	MIRZAPUR	Granted
98	Shri Mahusoodan Singh, R/o-Prabhapuram Colony, Umraura Road Robertsganj, Sonbhadra, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mining" Project at Gata No.-180/2, at Village- Bhagautidei, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., M/s Maa Vindhyavasini Construction, Leased Area -1.21 ha	MIRZAPUR	Granted
99	Shri Prashant Maurya S/o Shri Vinod Kumar Maurya Address- Sundar Ghat, Mahuaria, Mirzapur, (U.P.), Proposed "Sand Mining Project" located at Gata No.- 03mi Khand No.-03 , Village- Gogaon, Tehsil- Sadar & District- Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area:5.0 Ha.)	MIRZAPUR	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
100	Shri Sarjeet Singh, R/o- 410, Kesar Bhawan, Ganeshganj, Aghauli, Mirzapur, U.P , Proposed of Building Stone (Sandstone) mining project at Araji No.- 36/6/5 Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Area :0.809 Ha	MIRZAPUR	Granted
101	Shri Ramakant Chaubey S/o Shri Ram Dular Chaubey, R/o- Village- Karaundi, Post- Moin Kumar Bhabhua, Kaimur (Bhabhua), Bihar, Proposed Project of "Building Stone (Sand stone) Mining" located at Araji No - 37 , Village: Dakahi, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area- 1.818 Ha.)	MIRZAPUR	Granted
102	Shri Arjun Singh, R/o- Village- Hinauti Mafi, Tehsil- Gothaura ,District-Mirzapur,U.P. , Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.-360, Village– Adhwar, Tehsil-Chunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Arjun Singh, Area – 1.01 ha.	MIRZAPUR	Granted
103	Shri Ashok Kumar Rai, R/o- S 20 53, Plot No.- 57 58, Buddha Vihar Mall Road Cantt., District-Varanasi, U.P., Proposed of Building Stone (Sand stone) Mining Project at Araji No. - 703, Village: Bhagauti Dei, Tehsil-Chunar, District – Mirzapur (U.P.), M/s Shriram Enterprises, Area:1.01 ha	MIRZAPUR	Granted
104	Shri Subhash Singh, R/o- Village And Post- Akorhi, District- Mirzapur, Uttar Pradesh, Proposed for "Building stone (Sandstone)" Project at Arazi No.- 307/4, Village– Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District–Mirzapur, Uttar Pradesh By Shri Subhash Singh, Area-0.809	MIRZAPUR	Granted
105	Shri Vikas Gupta, R/o- Mohalla Bundelkhandi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., Proposed Building Stone (Sand stone) Mining Project" at Arazi No. – 494 Ga,Village- Devarikalan, Tehsil-Madihan, District – Mirzapur (U.P.) Applied Area – 1.518 Ha.	MIRZAPUR	Granted
106	Smt. Geetanjali Chaube W/o Shri Sanjeet Kumar Chaube R/o Near Degree College, Obra, Sonebhadra (U.P), M/s Harikeshwar Enterprises, Proposed Project of Billi Markundi Khanda, Boulder,(Dolo Stone) Deposit Mining Project (Area 1.504) at Arazi No./Khasra/Gata No 5430ka, 5430kha, 5470, 5469kha, 5431kha, 5468kha, near village- Billi Markundi, Tehsil –Obra, District – Sonbhadra, Uttar Pradesh, M/s Harikeshwar Enterprises (Area 1.504 Ha	SONBHADRA	Granted
107	Shri Sukh Sagar Prasad Upadhyay , R/o- Kota Dala Sonbhdra U .P.,Proposed of Sand /Morrum Mining Project Son River at Araji No : 531 ङ, Khand No : 6, Village- Sasnai, Tehsil- Obra, District-Sonbhadra U.P.,Area-18.214 Ha	SONBHADRA	Granted
108	M/s M/s B.C.S. Enterprises, Pro.-Shri Chandra Bhushan Gupta S/o Shri Ramlakhan Gupta, R/o- Obra, District-Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no. 4419Kh, 4419G, 4422K Mi, 4416K, 7577 Kh, 4420Mi, Area-4.86 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra	Sonbhadra	Granted
109	M/s Eshana Construction, Pro.-Shrimati AAfrina Khan W/o Shri Istiyak Khan, R/o- Village Billi-Markundui, Obra, Sonbhadra mining of Dolo Stone Boulders at Arazi no.5355K, 5359Kh, 5361, 5363K, 5351K, 5352, 5353, 5354, 5362, 5355Kh, 5356, 5357Kh and 5351Kh, Area-5.80 Acre, Village-Billi-Markundi, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra	Sonbhadra	Granted
110	Pehalwan Traders (Old Name R.S.I STONE WORLD PRIVATE LIMITED) Gata No. 2/1, 2/2 and 2/4 (5.80 Hectares), Vill./Ghat- Khairai, Pailani, BANDA	Banda	Granted
111	RAKESH KUMAR MISHRA CONTRACTOR AND SUPPLIER, GATA N.170 MI,VILLAGE SAIPUR, TEHSIL-KARWI, DIST.-CHITRAKOOT	Chitrakoot	Granted
112	RAULI KALYANPUR GRANITE (ARVIND KUMAR MISHRA S/O SHRI AWADHESH PRASHAD MISHRA,), GATA NO-2131/3 RAULI KALYANPUR KARWI CHTRAKOOT, CHITRAKOOT, 210202	Chitrakoot	Granted
113	Ajay Singh Stone Mill (Ajay Singh S/o Shri Ram Kishore Singh), Gata No.-199 Khanda No.- 07, of Area- 0.8090 ha (1.99 Acres), at Village- Kumhraura, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area - 0.8090 ha	Mahoba	Granted
114	Amar Chandra Rajpoot, Gata No 822, Lease Area 0.708 Hac. Vill. Bamhauri Beldaran, Teh. Charkhari, Dist. Mahoba	Mahoba	Granted
115	Ashirwad Murti Singh S/o Late Rammurti Singh Gata No.-512, Khanda No.- 02 new, Area-1.214 ha, Village- Gauharir, Tehsil and District- Mahoba, U.P.,	Mahoba	Granted
116	Brijendra Pratap Singh s/o Late Chandra Bali Singh Gata No.- 512, Khanda No.-04 New, Area-1.214, Village- Gauhari, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.	Mahoba	Granted
117	C.P.S.K. Ventures Pvt. Ltd.(Sanjay Kumar Sahu S/o Shri Chhanga Prasad Sahu) GataNo.- 967 (Khand No.- 05), Village- Kabrai, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.036),	Mahoba	Granted
118	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No. 1021 , Area- 1.214Ha. in Village Makarbai , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
119	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 02 New , Area- 2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
120	Divyanshu singh S/o Dilip Kumar singh Gata No.979 Khand No 03 New , Area- 2.429Ha. in Village Gahara , Tehsil: Sadar & District Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
121	Siyarani Rajpoot Filling Station, Araji No.-288, Khand No.- 4, Village: Majhol, Tehsil: Charkhari District: Mahoba State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha	Mahoba	Granted
122	Himwant Singh S/o Shri Balwant Singh Gata No.- 2702, Khand No.-01 New, Village- Pahara, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-2.022 Ha)	Mahoba	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
123	Ideal Buildtech Private Limited, Gata No.-2456 Kha, Khand No.- 02,Village- Pahra, Tehsil-Mahoba, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area :4.0 ha.)	Mahoba	Granted
124	Ishwar Saran Gupta S/O Shri Nand Kishore Gupta GataNo.- 149 (Khand No.-35), Village- Bari, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha.)	Mahoba	Granted
125	Janmejay Singh S/o Shri Mangal Singh located Gata No.-1939, Area- 1.214 ha, at Village- Pahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.214 ha	Mahoba	Granted
126	Kiran Kumari D /o Shri Manohar Lal Arazi No. 989, Khand No. – 19,Village- Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area- 1.619 Ha.)	Mahoba	Granted
127	Mohit Singh S/o Shri Brajnandan Singh Araji No.-188, (Khand -03 New, 02 old), Village- Mahua Itaura, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 1.214 ha.	Mahoba	Granted
128	NAGENDRA INFRASTRUCTURE, GATA No. 01, KHAND No. 02, LEASED AREA 0.809 Hac., Vill. BAGHWA, Teh. & Dist. MAHOBA, 210424	Mahoba	Granted
129	Narayan Singh S/o Shri Badri Singh Gata No 989 Khand No. 01, Village– Makarbai, Tehsil- Sadar, District–Mahoba, Uttar Pradesh. (Area- 1.619 Ha.)	Mahoba	Granted
130	Narayan Singh, Gata No. 339, Khand 10 Naya, Vill. Daharra, Mahoba	Mahoba	Granted
131	PNC Infratech Ltd (Ashwani Rawat S/o Shri Devi Prasad Rawat) Gata No.-199, Khand No.- 01, Village- Naigawan, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P., (Applied Area : 4.00 ha.)	Mahoba	Granted
132	Shri Vaibhav Singh, Arazi/Gata No. -2611,Village- Pahra, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh, Area- 1.882 Ha.,	Mahoba	Granted
133	Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh Arazi No. 989, Khand No. – 16, Village- Makarbai, Tehsil- Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 4.048 Ha.)	Mahoba	Granted
134	Rahul Singh S/o Shri Rajendra Kr. Singh, Arazi No. 935, Khand No. – 02, Village -Makarbai, Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 3.643 Ha.)	Mahoba	Granted
135	Ram Singh S/o Shri Sitaram Singh Gata No.-339 Khand 08 Naya , Village- Daharra, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809.)	Mahoba	Granted
136	Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-128 Khand 03 New , Village- Marhathi, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)	Mahoba	Granted
137	Ratnesh sahu S/o Shri Laxmi Narayan Sahu Gata No.-512 Khand 03 New, Village- Gauhari, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 0.809Ha.)	Mahoba	Granted
138	Rituraj Singh S/o Shri Yuvaraj Singh Gata No.- 918 , Village- Kharka, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.129.)	Mahoba	Granted
139	RIYAZUDDIN S/o Saiuddin A.B. ASSOCIATES, Arazi No. 1517, Leased Area-1.542 Ha, Village- Pahra, TehsilSadar, Mahoba, U.P.-210427	Mahoba	Granted
140	S S Infratech, Raj Kumar Sharma S/o Shri Nand Lal Sharma Araji No. /Plot No. – 712, Khand No.–05, Area 2.024 ha (5.00 Acres) at Village – Chhikahra, TehsilSadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh	Mahoba	Granted
141	Sadhusharan Vishwakarma Araji No.-1097, Khand No.- 08, at Village-Utiya, TehSil- Sadar, District- Mahoba, U.P.,Lease area-0.809 ha.	Mahoba	Granted
142	Sahu Stone Crushing Industries (Kirti Rani Sahu W/o Shri Sanjay Kumar Sahu), Gata No.- 2/4 (Khand No.-09), Village- Jujhar, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 3.441 ha.)	Mahoba	Granted
143	Sandeep Construction & Suppliers (Thakur Deen Yadav S/o Shri Vishwanath) Arazi No- 339 (Khand No: 12) Area 0.809 ha. in Village- Daharra Tehsil- Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh, M/s,Area 0.809 ha.	Mahoba	Granted
144	Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No. - Gata No. 989, Khand No. 14, Village Makarbai, Tehsil- Sadar, District- Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 a.)	Mahoba	Granted
145	Shiv Baran Singh S/o Shri Shyam Arazi No.- 989, Khand No. – 11 , Village- Makarbai, Tehsil- Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 0.809 Ha.)	Mahoba	Granted
146	Vinay Kumar Rai S/o Raj Nath Rai Gata No.- 953, Khanda No.- 01 New , Area-1.214, Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-1.214 ha)	Mahoba	Granted
147	Wazid Stone Crusher Udyog (Wazid Ali S/o Shri Yakub Ali) at Gata No.- 291, Khand No.- 01 New, Village- Majhol, Tehsil- Charkhari, District- Mohaba,U.P., (Leased Area-0.809 Ha)	Mahoba	Granted
148	Smt. Ratna Jadaun W/o Virendra Singhy Jadaun, R/o- E-7, M-708, Arera Colony Bhopal, M.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-523, Village- Khakuora , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 20.0 ha)	Jhansi	Granted
149	Shri Anand Kumar Yadav S/o Shri Sadhu Ram Yadav, 27, Isai Chowki, Khailar, Tehsi & District- Jhansi, U.P.,, Proposed for Building Stone (Gitti & Khandas, Boulder Mining at Gata No.-669, Khand No.-27, Village- Khailar, Tehsi -Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area- 2.023 ha.	Jhansi	Granted
150	Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Lakhan Yadav, R/o- C.P. Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Shivam Steels,, Building Stone, Khanda & Boulder, Gitti/Ballast Mining at Gata No.- 205/02,, Khand No.- 01, at Village- Bhadarwara Bujurg, Tehsil-Garautha, District - Jhansi, U.P. , M/s Shivam Steels, Lease area-1.618 ha.	Jhansi	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
151	Shri Devashish Biswas, Owner, R/o- B-603, 6th floor Aleesha Apartment, 3 way Road, Raja Ram Mohan Rai Marg, District- Lucknow, U.P., M/s Dee. Enterprises, Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-181, Khand No.-01,at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District- Jhansi, U.P. M/s Dee. Enterprises, Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Granted
152	Shri Sushil Kumar Gupta, R/o- A.M, 2/14 Virangana Nagar, Thana- Nawabad, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine Project at khand no- 03, Village- Khairo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Sushil Stone Gramodhyog, Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Granted
153	Shri Jayram Singh Niranjan, Owner, Near Risala Temple Azadpura, Tehsil & District- Lalitpur,U.P., Proposed for Khanda, Gitti & Boulder Mining at Araji No.- 02/1, Khand No.- 04, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -1.00 ha	Lalitpur	Granted
154	Shri Mohammad Jawed,Owner, R/o- 41 Raipur, IIM Road, District-Lucknow, U.P., M/s M P Infra, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project on the River Bed of River Betwa located at Gata No.- 1396 G, Khand No.- 02, Village-Bhedikhurd, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. M/s M P Infra, Sanctioned Lease Area-20.242Ha	Jalaun	Granted
155	Shri Anand Gupta S/o Shri Laxminarayan Gupta, R/o- Maharajpur, Kanpur Nagar, U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project having lease area- 20.242 ha (50.1 acre)along River Betwa in Gata No.- 1396 Ga, Khand No.- 04, at Village- Bhedikhurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha.	Jalaun	Granted
156	Shri Ankit Gupta S/o Shri Vijay Shankar Gupta, Owner, H.No.-843, Sector- 19, Indira Ngar, Lucknow, U.P., M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., Proposed river bed sand/Morrum Mining from Betwa River for M/s Maa Raktdantika Contractors and Suppliers Pvt. Ltd., located at Gata No.-1396 Ga,Khand No.- 2, Village- Bhedi Khued, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,(Leased Area-20.242 Ha)	Jalaun	Granted
157	M/s Shyam Enter Prisess prop. Sri Gopal Panday S/o Late Sri Gaurishankar Pnaday, R/O - H. No.-622, A.B. Nagar, Lucknow Distt.- Lucknow, Pin Code - 226022	Unnao	Granted
158	Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River located at Khand No.-03 (Gata No.-498 Jha) Village - Udhiya, Tehsil -Ramnagar, District - Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area - 11.00 Ha.	Barabanki	Granted
159	Shri Santosh kumar jaisawal, Mining area-Rudauli, Gata no-2Gha, 613, 1,2, (Area in Hec-2.50), vill-Sarai nasir and barai, Tahsil-Rudauli, Ayodhya	Ayodhya	Granted
160	M/s Shiva Enterprises, Maharajganj, Gata No 593, Village Khaira Khas, Tehsil Belthara Road, District Ballia	Ballia	Granted
161	Shri Manoj Kumar Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o- Present Add- 70 C/5B/1A, Uttari Lokpur, Naini, District-Pryagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No.-3460, Khand No.-17, at Village- Koshnakalan, Tehsil- Meja, District-Prayagraj,U.P., Lease area-1.619 ha.,	Prayagraj	Granted
162	Shri Premji Tripathi S/o. Late Shivmurti Tripathi, R/o. Vill. & Post Bharpura, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1312 Mi, Vill. Dadhiram, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
163	M/s. Bol Bam Eint-Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jatashankar Tripathi, R/o. Vill. Marpha, Po. Hinauti, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 2.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Granted
164	Devendra Singh S/o Shri Mulayam Singh Arazi No. 712 (Khand 04) Village- Chhikhara, Tehsil- Sadar, District- Mahoba (U.P.). Area: 2.024 ha.	Mahoba	Granted
165	Gaurav Bajpai S/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai, Gata No.- 93, Khand No.-01, Area- , at Village- Bari, Tehsil & District- Mahoba, U.P. ,Leased Area -1.012 ha	Mahoba	Granted
166	Sunita devi W/o Devendra Singh Gata No.-2101/2Khand 05 , Village- Sijahari, Tehsil- Mahoba, District-Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.214.)	Mahoba	Granted
167	Shri Deeraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati, R/o- H.No.- 511, New Basti, District: Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Project of Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast (Gitti) Mine at Arazi No.- 464 (Khand-01), Village- Pahara, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 ha	Jhansi	Granted
168	Shri Satyam Gupta S/o Saurabh Gupta, R/o- 944, Civil Lines, Tehsil & District- Jhnasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.- 22, Khand No.-07, Village- Dunara, Tehsil -Sadar, District-Jhansi, U.P., Leased Area -3.237 ha	Jhansi	Granted
169	Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-01, at Village- Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.509 ha	Jhansi	Granted
170	Shri Amit Singh, R/o- 1087/1 Station Road , PNB Bank K Pass, District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti- Boulder) Mine" Project at Gata No.-669, Khand No.-04, at Village- Khailar, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Leased Area -2.225 ha	Jhansi	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
171	Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 353, 354 & 355, Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.722 ha.	Barabanki	Granted
172	Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 183 G, 183 K & 186 in village Saheliya, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.290 ha	Barabanki	Granted
173	Shri Sunny Garg, Owner, R/o- Ramraj Road, Bazpur, District- Udham Singh Nagar, Uttarakhand	Rampur	Granted
174	Brijraj Singh Contractor(Brijraj Singh S/o Shri Kuber Singh) Gata No.-979, Khanda No.- 04, at Village- Gahra, Tehsil & District- Mahoba, U.P.,, Leased Area -1.113 ha	Mahoba	Granted
175	Kanhaiya Enterprises,Gata No. 967, Khand No. – 03 Naya, Village Kabrai, Tehsil & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 2.024 Ha.)	Mahoba	Granted
176	Kanhiya Enterprisse (Sunaina W/o- Shri Mahesh Tiwari) Arazi No. 989, Khand No. – 07, Village Makarbai, Tehsil Mahoba & District Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 0.809 Ha.) in	Mahoba	Granted
177	N H CONSTRUCTION, ARAZI No. 989, KHAND No. 05, LEASE AREA 0.809, Vill. MAKARBAI, Teh. MAHOBA, MAHOBA, 210424	Mahoba	Granted
178	OM Construction and Supplier (Satyendra Kumar Agnihotri S/o Shri Jageshwar Prasad Agnihotri) Gata No. 323, Khand No. - 06 Naya, Village- Mochipura,Tehsil- Sadar , District- Mahoba, Uttar Pradesh,M/s OM Construction and Supplier, Area- 0.607 Ha.,	Mahoba	Granted
179	Pathak Granite, Gata No. 1164, Vill. Kahra, Teh. Dist. Mahoba.	Mahoba	Granted
180	Ram Khilavan Shukla S/o Shri Devi Prasad Gata No.-2561, Khand No.- 02, at Village- Pahara, Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-1.21 ha.	Mahoba	Granted
181	River Bed Ordinary Sand Mining Project, Gatano. 22kha, 42kha, 42ga, 43ka, Village-Katri Durjanapur, Kannauj Kuldeep Narayan Katiyar/143211, Nekpur Kalan, Fatehgadh,	Kannauj	Granted
182	Shri Atul Kumar Tiwari, R/o-Village – Sikikalan, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari. Proposed of Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) mine, at Khasra No. /Plot No./Gata No.- 984 (2), 665, 666 and 669, Area 2.834 ha. (7.00 Acres) at Village – Sikikalan, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Atul Kumar Tiwari.	Prayagraj	Granted
183	Shri Buddh Singh S/o Shri Shatrujeet Singh R/o - 816, Moth, Poonch, Tehsil- Moth District- Jhansi, U. P., M/s Buddh Singh Granite, Proposes of Building Stone (Khanda, Boulder, Balast) Mining at Gata No./Araji No.–281, Khand No. 01, at Village –Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh of M/s Buddh Singh Granite, Area 0.890 ha	Jhansi	Granted
184	Shri Chandan Kumar Maurya S/o Shri Ram Khelawan Maurya, R/o- Village-Pipari, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-275, 276, Khand No.- D.H/12, at Village- Dharawal, Tehsil-Meja, District -Prayagraj, U.P., Lease area-6.758 ha	Prayagraj	Granted
185	Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- 160 OM Shanti Nagar, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 04, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P.,M/s Saksham Contractor and Suppliers, Lease area-0.8090 ha.	Jhansi	Granted
186	Shri Devendra Kumar Gupta, R/o- Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P., M/s Saksham Contractor and Suppliers, Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-181, Khand No.- 03, at Village- Haivatpura, Tehsil-Garautha, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.214 ha.	Jhansi	Granted
187	Shri Hemandas Gawri (Prop) Shri Chanchal Das Gawri R/o- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P.,M/s J.H. Traders Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 1251, Khand No.–05, at Village – Kohdar, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s J.H. Traders, Area 8.097 ha	Prayagraj	Granted
188	Shri Jagdish Prasad S/o Shri Baljor Shri Jagdish Prasad,Village- Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi,U.P., M/sMaa Vaishno Traders Proposed “Sand/ Morrum Mining” Project at Khand No.- 9/27 to 9/29, VillageMohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil- Chayal, District-Kaushambi, U.P. (Leased Area : 21.50 ha.)	Kaushambi	Granted
189	Shri Javed Ali, R/o- Subhash Nagar Saini, Tehsil- Sirathu,District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field Proposed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna Riverbed for located at Khand No.- 10/19 to 10/21, Village- Kataieya, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P. , M/s Aman Brick Field, Lease Area: 10.0 ha	Kaushambi	Granted
190	Shri Ravi Nandan, R/o- at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh Proposed of Building Stone (Gitti, Boulder, Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Plot No./Gata No.- 2098, Khand No.–52, at Village – Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Shri Ravi Nandan, Area 4.048 ha)	Prayagraj	Granted
191	Shri Vijay Kumar Agarwal S/o Late Shri Rameshwar Prasad Agarwal, R/o: 12/10, Dr. Lohia Marg, Tehsil - Sadar, District - Allahabad (U.P.) Proposed "Gitti, Pathar & Khandas Mining" at Bhukhand No. 85 Area - 12.50 Acres (5.061 Ha) Village-Bhatauni, Tehsil - Meja, District-Allahabad, Uttar Pradesh	Prayagraj	Granted
192	Shukla Contractor and Suppliers Prop.Upendra Kumar Shukla S/o Shri Ramkhilawan Shukla Arazi No.- 2509, 2516 Village- Pahra, Tehsil- Sadar & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.303 Ha.)	Mahoba	Granted

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Status of Consent to Operate (CTO)
193	Smt. Archana Gupta W/o Shri Devendra Kumar Gupta, 160, Om Shanti Nagar, Laxmi Gate, Jhansi Khas, Jhansi-284002., Proposed for Building Stone (Khandas, Gitti, Boulder Mining at Gata No.-515, 16, 17, Khand -03, Village- Sirbo, Chanpura, Tehsil-Garautha,District- Jhansi, U.P., Lease area- 1.214 ha.	Jhansi	Granted
194	Smt. Nirmila Devi D/o Shri Vishwanath R/o- 191C/ 146C Chaukhandi, Kydganj District- Prayagraj, U.P Proposed of "Ordinary Sand Mining at Yamuna River" having mine area: 8.0 ha., located at Khand No. 7, Village- Manpur, Ojha Patti, Barhula, Tehsil- Bara, District: Prayagraj	Prayagraj	Granted
195	Smt. Rinku Singh W/o ShriUday Kuamar, R/o- 16 F 811, Kajirpur, Naini, District- Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Sand Stone Mine" Project located at Araji No./Plot No.-59, 98, Khand No.- 05, at Village-Parvezabad, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, U.P., M/s Mateshree Associates, Leased Area -6.072 ha	Prayagraj	Granted
196	Smt. Santoshi Singh W/o Shri Deepak Kumar Singh R/o: 12, Hanumanbag Colony Mamfordganj, Thana- Colonelganj, Tehsil- Sadar, District- Prayagraj-U.P. Proposed Project is toextract Sand Stone at located Araji No./Plot No./Gata No.- 2061, Khand No.–1B, Area 8.097 ha (20.0 Acres) at Village – Bhatauti, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh.	Prayagraj	Granted
197	Smt. Yaduvanshi Pragya Singh D/o Shri Yaduvanshi Ashok Kumar Singh Add.- K-1 Block D, Shalimar Grand-10 Jopling Road, Lucknow, U.P. Proposed "Sand/ Morrum Mining" Project at Adhawal Composite-2 Gata No.- 331, 333 to 335, 339 to 343, 346 to 351, 362 to 366, 376, 380 to 390, 392, 395 to 397, 407, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. (Applied Area : 45.0 ha.)	Fatehpur	Granted
198	Uma Shankar Mishra Gata No.- 3136, Khand No.- 03 new, Area-0.809 ha, Village- Jaitpur, Tehsil-Kulpahar, District- Mahoba, U.P.,(Leased Area-0.809 ha)	Mahoba	Granted
199	Usha Bajpai W/o Shri Bhuvan Prakash Bajpai Gata No.- 989, Khand No.- 09, at Village- Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease area-0.809 ha.,	Mahoba	Granted
200	Vineeta Verma w/o Late Shri Virendra Kumar Gata No. 735, Khand No. - 06 New (Old-07), Area-1.012 ha. in Village- Daharra, Tehsil Sadar & District- Mahoba, Uttar Pradesh.	Mahoba	Granted
201	Proposed Riverbed Ordinary Sand Mining Project located at Gata no. 443, Vill: Mudi, Tehsil Dhaurhara, Distt: Kheri.U.P. L.area 6.87 ha.	Lakhimpur Kheri	Granted
202	Shri Sunny Garg S/o- Shri Meghraj Garg, Gata No- 659 & 671, Village- Doondawala, Ehatmali, Swar, Rampur, UP	Rampur	Granted

Annexure-2

List of 63 Mining Leases Whom CTO Applications are under Process

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
1	Shri Rana Ranjan Singh S/o. Late Rameshwar Singh, R/o. Vill. Matikhana, Post Belan Baraudha, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 112Mi & 121Mi, Vill. Matikhana (Niji), Teh. Lalganj, Area 1.75 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
2	Shri Girija Shankar S/o. Shri Mulraj, R/o. Vill. Mudaila, Thana Saray Khvaja, Teh. Shahganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1537/Kha/1, Vill. Bahuti (Niji), Teh. Marihan, Area 6.00 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
3	M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 03.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
4	Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, Ratandham Apartment, Makrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No.428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	Yes
5	Shri Jonnavalasa Venkata Ramana Rao S/o Shri Suranna Jonnavalasa R/o – B – 12, Industrial Development Area, Maula Ali, District- Hyderabad (Telangana),M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Proposed Project of "Sand/Morrum Mining Project" located at Araji No. 246, Khand – Ba, Village - Khebandha, Tehsil - Obra , District- Sonbhadra, Uttar Pradesh,M/s S.K. Bio Extract And Applications Pvt. Ltd., Area- 6.0 ha.	SONBHADRA	Yes
6	Mujiburrahman S/o Shri Abdul Majeed Arazi No. 339 (Khand No. – 30 Naya, 19 Purana),Village: Daharra,Tehsil -Mahoba & District -Mahoba, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)	Mahoba	Yes
7	Satyam Shivam Contractor (Savitri Devi W/o Shri Santosh Singh) , Gata No.- 93, Khand No.- 06, Villlage- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P., Area -1.012 ha	Mahoba	yes
8	Sunita Devi S/o Shri Devendra Singh Gata No.-356, Khand No.- 04, at Village- Dudhaiya, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha	Mahoba	yes
9	Shri Siddharth Yadav S/o Shri Jitendra Singh Yadav R/o- 364, Pratappura Nagra, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.)., Proposed for Khailar Khanda- Boulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No.-669 (Khand No.07), Village- Khailar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Siddharth Yadav, Area- 2.530 Ha.	Jhansi	Yes
10	Smt. Shruti Dubey W/o Shri Tarun Gupta, R/o- 1346 Kunj Vihar Colony, Civil Line, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Chaukari KhandaBoulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No.1127, Khand No.-03, Village-Chaukari, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Smt. Shruti Dubey, Area- 0.8090 Ha.	Jhansi	Yes
11	Shri Jitendra Pratap Singh Yadav S/o Shri Chhatrapal Singh Yadav, R/o- 50 Purana Raiganj, Seepari bazar, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Khailar KhandaBoulder/ Gitty- Ballast Mining Project at Gata No. 669 (Khand No.21), Village- Khailar, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, Uttar Pradesh by Shri Jitendra Pratap Singh Yadav, Area- 2.023 Ha.	Jhansi	Yes
12	Shri Sanjay Parecha, R/o-Ao 28 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed Khanda- Boulder/ Gitty-Ballast Mining Project Area 2.0 Ha. for a Production of 60,000m 3 /yr at Gata No.310,Khand No.-4, Village- Dagariyarund , Tehsil-Sadar, District-Jhansi	Jhansi	Yes
13	Shri Rajendra Mishra, R/o- 127/581, S-Block Vinoba Nagar, Juhi, Kanpur Nagar, U.P., Proposed Project of "Building Stone, Khanda, Boulder, Ballast (Gitty) Mine" located at Gata No-152,Khand No.- 02, Village- Daun, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., M/s Deep Builders, Area: 1.214	Jhansi	Yes
14	Shri Dhiraj Kumar Prajapati S/o Shri Jitendra Kumar Prajapati R/o-511,New Basti, Jhansi, Uttar Pradesh, Proposed Building Stone "Khandas, Gitti, Boulder Mining Project" at Gata No. 98 (Khand – 05) ,Village: Karanpura, Tehsil: Garautha, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh, Area: 0.809 Ha	Jhansi	Yes
15	Shri Sagar Parecha, Owner,R/o-Village-Dangariyarund, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti)Mine" Project at Araji No.-310, Khand No.- 03, at Village-Dangariyarund , Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P.,Lease area-2.0 ha.	Jhansi	Yes
16	Smt. Shashi Devi W/o Shri VIrendra Kumar, R/o- House No.-168/19, Noniya Mohal, District-Banda,U.P.,M/s Shubh Construction, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project along river Betwa in Gata No.- 321 Ga, Village- Salemapur , Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., (Leased Area-10.0 ha)	Jhansi	Yes

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
17	Shri Anoop Kumar Singh S/o Shri Dharmjeet Singh, R/o- B-27/70, 2ND Floor, Barhar Kothi, Durga Kund Road, Near Gurudham Crossing, Varanasi, U.P., M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-19, Khand No.-05, at Village- Paraaichha, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P. M/s M.C.C. Mahadev Construction Pvt. Ltd. , Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Yes
18	Shri Srimati Saraswati Dubey, R/o- 81 Bajrang Colony Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at Gata No.-603, Khand No.- 02, at Village- Sywari (Siori), Tehsil- Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.214 ha	Jhansi	Yes
19	Shri Anoop Kuamr Singh, R/o-H.No.-B-30/5, Plot No.-914/915, Ambrosiya Apartment , B.H.U Road, Sadar,Varanasi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khandas, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Gata No.-22, Khanda No.- 01, at Village-Paraichha , Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Leased Area -1.902 ha	Jhansi	Yes
20	Shri Anup Kumar Singh, R/o- B30/5, Flat No.- 914/915, Ambrosiya Apartment, B.H.U. Road, Tehsil-Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Plot No.- 22, Khand No.- 01, Area- 1.902 Ha (4.698 Acres), Villlage-Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Mahadev Construction Company, Leased Ar	Jhansi	Yes
21	Shri Ravaraja S/o shri Seetal Singh, Village -Jugupura, Devgarh Road, Lalitpur, District- Lalitpur, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder, Ballast) Mining Project at Gata No.-1498, Khand No.-04, Village-Gadiya, Tehsil-Talbehat, District- Lalitpur, U.P. Lease area-2.023 ha.	Lalitpur	Yes
22	Shri Phool Singh Yadav S/o Shri Shuk Dayal,394, Basalguwa, Tabehat, Lalitpur, U.P., Proposed for (Khanda, Gitti & Boulder)Mining at Araji No.- 93/1, Khand No.- 05, Village-Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Leased Area -2.024 ha	Lalitpur	Yes
23	M/s Adesh Pandey , Gata No.-378/2 & 379/2, Village- Sherpur Pelo, Tehsil- Behat, District-Saharanpur, U.P. (Lease Area 7.00 Ha)	Saharanpur	Yes
24	Anand Mohan Yadav, Gata No. 735, Khand No. 5 Naya, Vill. Daharra, Teh. & Dist. Mahoba	Mahoba	Yes
25	Devendra Shivhare S/O Shri Ram Manohar ShivhareGata no 1370 Khand no 08 vill- Kulpahar Teh Kulpahar Dist-Mahoba	Mahoba	Yes
26	Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 1 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.	Mahoba	Yes
27	Dinesha Chandra Sahu, Gata No. 512, Khand No. 6 Naya, Vill. Gauhari, Teh. & Dist. Mahoba.	Mahoba	Yes
28	J S Enterprises (Jyoti Sachan D/o Shri Ashok Sachan), Gata No.- 192, Village- Mochipura, Tehsil-Sadar, District- Mahoba, U.P., Lease Area – 4.048 ha ,	Mahoba	Yes
29	Neeraj Yadav, Gata No 721, Vill. Daharra, Mahoba	Mahoba	Yes
30	Sandeep Kumar Sahu, Gata No. 216, Khand 2 Naya, Vill. Gauhari, Teh & Dist. Mahoba	Mahoba	Yes
31	Shi Anoop Singh Patel S/o Shri Khyali Ram Patel, R/o- Mohalla Parvaripur, Tehsil & District-Mainpuri, U.P., Proposed Building Stone (khanda, Gitti & Boulder) Mining Project at Gata No.-295, Khand No.-01, Village-Khilara, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.	Jhansi	Yes
32	Shri Adhya Prasad Mishra S/o Late Shri Kamla Sankar Mishra, R/o- Dighiya Babgani Manda, Teshil-Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Araji No./Plot No.275, 278, Khand No.- DH/13, at Village- Dharawal, Teshil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Lease area-4.048 ha.	Prayagraj	Yes
33	Shri Akhil Pratap Singh S/o Shri Raj Bahadur Singh, R/o- Village- Chhapar, Post- Bharosa, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)" Project at Gata No.-87, Khand No.-02, at Village- Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.809 ha.,	Jhansi	Yes
34	Shri Akhilesh Kumar Singh S/o Late Rakesh Bahadur Singh, R/o- 162- Chilbila Nahwai Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh Proposed of Building Stone (Khanda & Gitti, Boulder) Mining Project at Araji No./ Gata No.- 1 Kha, Khand No.- V/6, , at Village- Veerpur,Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P.,M/s Akhilesh Kumar Singh, (Leased Area-2.834 ha)	Prayagraj	Yes
35	Shri Ashish Kumar Singh S/o Shri Kailash Singh, R/o- Station Road, Paraichha, Tehsil & District-Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No./Araji No./Plot No.-719, at Village- Goramachhiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., M/s Ashish Enterprises, Leased Area -1.214 ha	Jhansi	Yes

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
36	Shri Ateek Ahmad R/o: Plot No.-154, Vivek Nagar, Kanpur Sagar Road, Kabrai, Mahoba-210424 Uttar Pradesh Proposed Building Stone (Gitti-Boulder) Sand Stone mine, at Khasra no. /Plot no./ Gata No. – 1144, Khand No.3, Area 2.024 ha. (5.0 Acres) at Village – Mamauli, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Kumar Garnitev/90284.	Prayagraj	Yes
37	Shri Deepak Wadhi S/o Shri Jagmohan Wadhi, R/o- 1533, Janki Puram, Civil Line,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.- 856, Khand No.-04, at Village-Pali Pahari, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.728 ha.,	Jhansi	Yes
38	Shri Diwakar Singh, R/o- Village- Kosanakalan Manda, Tehsil- Meja, District- Prayagraj Uttar Pradesh, M/s D.P.S Enterprises Proposed of Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. Gata No- 174, Khand No.–B/5, at Village – Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s D.P.S Enterprises, Area 2.0240 ha	Prayagraj	Yes
39	Shri Harpal Singh, R/o- 206 Katra, Gursarai Dehat, Tehsil- Garautha, District- Jhnasi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-226, Khand No.-07, at Village-Sirvo, Tehsil- Garautha, District- Jhnasi, U.P., Leased Area -0.809 ha	Jhansi	Yes
40	Shri Ishwar Das Parecha, R/o- 57/A, Sundar Vihar Colony, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project located at Araji No.-696, Khand No.-01 , at Village-Karari, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha	Jhansi	Yes
41	Shri Jjaideep Rai(Shri Yogendra Pramani,R/o-356/4, Civil Line Thana-Nawabad, Tehsil- Sadar, istrict- Jhansi, U.P)., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for located at Khand No.- 240, Khand No.-04, Village- Himanpura, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 16.194 ha)	Jalaun	Yes
42	Shri Milan Yadav S/O- Shri Pramod Kumar R/O- 612 H.No, Kamal Singh Colony, Khati Baba District: Jhansi (U.P.), Proposed Project of “Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining” located at Gata No- 442₹ (Khand-01), in Village Dongri, Tehsil- Sadar, District Jhansi, Uttar Pradesh, Area 1.618 Ha.	Jhansi	Yes
43	Shri Pramod Kumar Gupta S/o Shri Ram Narayan Gupta, R/o- 1215 Civil Line, Shakti Nagar, B.K.D,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-669, Khand No.-03, at Village- Khailar , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,	Jhansi	Yes
44	Shri Pravendra Singh S/o Shri Vishun Singh, R/o- 240/4, Ao Kachahari Chauraha Civil Lines,Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Boulder & (Gitti) Bailast) Mining" Project at Gata No.- 120, Khand No.-01, Village- Majhari, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P., , Leased Area -0.809 ha	Jhansi	Yes
45	Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Surendra Bahadur Singh R/0-Village Rajapur, Post – Bharatganj, Tehsil Meja, District- Prayagraj (U.P.) Proposed of “Building Stone Sand Stone (Khanda, Boulder Gitti) Mining Project” located at Araji No. 1Mi, khand K/1, Village- Kevalpur, Tehsil- Meja & District- Prayagraj, Uttar Pradesh, (Area 1.214 Ha.)	Prayagraj	Yes
46	Shri Rajeev Singh S/o Shri Brijendra Pratap Singh, R/o--Ambedkar Nagar Colony, Kabrai, District- Mahoba, U.P., Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder, Patiya, Lalmorrum etc) Mining" Project at Araji No.-93/1, Khanda No.- 07, at Village- Lakhanapur, Tehsil-Lalitpur, District- Lalitpur, U.P., Leased Area -2.134ha	Lalitpur	Yes
47	Shri Ratan Singh Yadav S/o- Shri Hiralal R/O- Village: Poonchha, Thana: Poonchha District: Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog, Proposed Project of “Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti - Baillast Mining” located at Gata No- 505 (Khand-01), Area 1.618 Ha. in Village Patha, Tehsil- Garautha, District Jhansi, U.P., M/s Ratan Stone Gramudyog	Jhansi	Yes
48	Shri Sandeep Singh Yadav, Owner, R/o-143, Barwa Sagar, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mining" Project at Gata No.-37/4, at Village- Jarbo, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.011 ha.,	Jhansi	Yes
49	Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 281, Khand No.- 01, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres), Villlage- Marodakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog, L	Jhansi	Yes
50	Shri Sujeet Bahadur Singh, S/o- Shri Harihar Singh, R/o- Village- Sersa, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P.,M/s Harihar Stone Gramodhyog, Proposed of Building Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Gata No./Araji No./ Plot No.- 12, Khand No.-02, Area- 0.890 Ha (2.25 Acres) at Village- Paraichha, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Harihar Stone Gramodhyog	Jhansi	Yes

S.N	Name & Address of Mining lease	Name of District	Pending Applications for Grant/Renewal of CTO. (Yes/No)
51	Shri Usha Rani Gavri (Prop) W/o Shri Hemandas Gavri Office Add: 3rd Floor, Flat No.104 Skandh Apartment, Lukarganj, Prayagraj. Permanent Add:- 21A, Lukarganj (Near Police Chowki) Thana-Kuldabad, Tehsil- Sadar, District – Prayagraj U.P. Proposed Building Stone (Khanda, Boulder, Gitty) Sandstone mine at Araji No. /Plot No./Gata No- 174, Khand No.–B/10, at Village – Bangaliya, Tehsil-Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s M.K.A. Enterprises, Area 2.428 ha	Prayagraj	Yes
52	Shri Varun Kumar, R/o- Ward No.- 70, Sindhi Tola, Shankargarh, District- Prayagraj, U.P. Proposed of "Building Stone (Gitti- Boulder) Sand Stone Mine" Project at Khasra No./Plot No./Gata No-174, Khand No.-B/9, at Village- Bangaliya, Tehsil- Meja, District-Prayagraj, U.P.,M/s Varun Kumar/110803, Leased Area -4.048 ha	Prayagraj	Yes
53	Shri Vidhya Bhushan Singh, Owner, at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area- 2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed Project of Sand Stone (Gitti-Pathhar, Khandas & Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 8 & 9, Area-2.631 Ha, Village- Surwadlapur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., (Leased Area-1.01 ha)	Prayagraj	Yes
54	Shri Vijay Bahadur, R/o- Panti Meja Khas, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P. Proposed of Sand Stone (Gitti- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./ Plot No.- 1 mi, Khand No.-K/2, Area-2.02 Ha (5.0 Acres) at Village- Kewalpur, Tehsil- Meja, District- Praygraj, U.P., of Shri Vijay Bahadur	Prayagraj	Yes
55	Shri Vijay Kumar Khatri S/o Shri R.M. Khatri, R/o- Purana 45 Naya 762, Civil Lines,District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda,Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-267, Khand No.- 01, at Village- Silari, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.416 ha.	Jhansi	Yes
56	ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana- Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-105, Khand No.- 01, at Village- Athodna, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-2.023 ha.	Jhansi	Yes
57	ShriVinay Kumar S/o Shri Lala Ram Verma, R/o- 748, Vanshi Gauhara, Thana- Korwali Mainpuri, District- Mainpuri, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-442 Ga, Khand No.- 02, at Village- Dongri, Tehsil-Sadar, District -Jhansi, U.P. Lease area-1.618 ha.	Jhansi	Yes
58	Smt. Saraswati Dubey W/o Shri Sanjay Dubey, R/o- 81, Bajrang Colony, Block Side of Medical College, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-326, Khand No.-01,at Village- Todi, Tehsil-Moth, District Jhansi, U.P. Lease area-0.809 ha.	Jhansi	Yes
59	Smt. Saroj Singh, R/o- Village- Bangliya, Tehsil - Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Building Stone (Khanda/ Boulder/Khanda) Sand Stone mine at Araji No./Gata No.- 174, Khand No.–B/2, at Village –Bangaliya, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of Smt. Saroj Singh, Area 1.619 ha.	Prayagraj	Yes
60	Smt.Ragini Dubey, R/o-B.A. 5 K.K. Puri Colony, Seeparee, Tehsil &District-Jhansi, U.P., Proposed of Red Morrum Mine Project at Gata No.-2232, Khand No.- 04, at Village-Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,	Jhansi	Yes
61	Shri Ahmad S/o Mustfa Shekh, Vill-Shekhpurwa, tehsil-Mankapur, Dist-Gonda, Proposed for Ordinary Sand Mining to be used in Riverbed of Ghaghara M/s A.R. Vito Minerals from Gata No.-3225, Village-Chhapar Magaarbi, Teshil- Dhanghata, District- Sant Kabir Nagar, U.P.,Leased Area -3.364 ha	Sant Kabir Nagar	Yes
62	Shri Sunil Kumar Jaiswal, Date: 29/09/2021 S/o- Shri Chhotelal Jaiswal R/o-Vill.-Tandiya Bazar, Thana-Jogiya Udaipur District- Siddharthnagar, Proposed for “Ordinary Sand Mining Project”, at Gata No. 259 ग, 258 ग & 258 ख, Village/Ghat-Chivarahiya, Tehsil-Naugarh, District-Siddharth Nagar , U.P. , (Lease Area: Area-2.32 Ha)	Siddharth Nagar	Yes
63	Shri Prem Prakash Narang, R/o-Krishna Nagar, District- Shahjanpur, U.P.	Shahjahanpur	Yes

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Ajay Kumar Singh, R/o- 514151 A, Ambrosia, Lanka, Varanasi,Mirzapur,Uttar Pradesh, Proposed "Building Stone (Sand Stone)" Project at Gata No.-142, VillageSonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. (Applied Area : 1.01 ha.)

यह कि Shri Ajay Kumar Singh, R/o- 514151 A, Ambrosia, Lanka, Varanasi,Mirzapur,Uttar Pradesh, Proposed "Building Stone (Sand Stone)" Project at Gata No.-142, VillageSonpur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. (Applied Area : 1.01 ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha

यह कि Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha.

यह कि Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Adarsh Stone Mill (Mohammad Arshad Khan S/o Mohammad Rafique Khan) Gata No.-426, at Village- Palka, Tehsil-Mahoba, District -Mahoba, U.P. Lease area-1.214 ha.

यह कि Adarsh Stone Mill (Mohammad Arshad Khan S/o Mohammad Rafique Khan) Gata No.-426, at Village-Palka, Tehsil-Mahoba, District -Mahoba, U.P. Lease area-1.214 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Adya Enterprises, Gata No.1119, Vill. Kabrai, Dist. Mahoba

यह कि Adya Enterprises, Gata No.1119, Vill. Kabrai, Dist. Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha.

यह कि Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Alok kumar Shukla S/o Gopal Chandra Shukla Gata No.-1027, Area-2.024 ha, Village- Kharka Tehsil and District- Mahoba, U.P.,

यह कि Alok kumar Shukla S/o Gopal Chandra Shukla Gata No.-1027, Area-2.024 ha, Village- Kharka Tehsil and District- Mahoba, U.P., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Brij Mohan Singh, Gata No 1032, Vill. Makarbai, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि Brij Mohan Singh, Gata No 1032, Vill. Makarbai, Teh. & Dist. Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Brij Mohan Singh, Gata No 199, Khand No. 3 Naya, Vill. Kumhraura, Teh. & Dist. Mahoba

यह कि Brij Mohan Singh, Gata No 199, Khand No. 3 Naya, Vill. Kumhraura, Teh. & Dist. Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

DEVENDRA KUMAR GUPTA, GATA
N. 3136, KHAND N. 02 Naya, VILLAGE-Jaitpur, TEHSIL Kulpahar, DIST.-MHOBA

यह कि DEVENDRA KUMAR GUPTA, GATA

N. 3136, KHAND N. 02 Naya, VILLAGE-Jaitpur, TEHSIL Kulpahar, DIST.-MHOBA जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Kalyan Singh S/O Shri Badri Singh Gata no 1939 vill- Pahara Teh and Dist-Mahoba

यह कि Kalyan Singh S/O Shri Badri Singh Gata no 1939 vill- Pahara Teh and Dist-Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

KATYAYNI NATURAL RESOURCES LTD Gata No. Part of 195/1Village- Lahureta, Tehsil- Naraini, District Banda, BANDA

यह कि KATYAYNI NATURAL RESOURCES LTD Gata No. Part of 195/1Village- Lahureta, Tehsil- Naraini, District Banda, BANDA जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त बांदा।
5. जिला खान अधिकारी, बांदा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Khare Lal Verma S/o Shri Mukund Lal Verma Gata No.-476, Village- Pahra, Tehsil- Sarila, District-District- Hamirpur, U.P., Leased Area -1.62 ha

यह कि Khare Lal Verma S/o Shri Mukund Lal Verma Gata No.-476, Village- Pahra, Tehsil- Sarila, District-District- Hamirpur, U.P., Leased Area -1.62 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त हमीरपुर।
5. जिला खान अधिकारी, हमीरपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Abhiyan Infrastructure, Shri Abhishek Singh S/o. Bharat Singh, R/o. Moh. Satyanganj, Post & Thana Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Abhiyan Infrastructure, Shri Abhishek Singh S/o. Bharat Singh, R/o. Moh. Satyanganj, Post & Thana Ahraura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 3.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 760, 762, 766, 768 & 770, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Area 4.00 Teh. Lalganj, Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 760, 762, 766, 768 & 770, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Area 4.00 Teh. Lalganj, Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 764, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Teh. Lalganj, Area 6.20 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Dilip Bildcon Ltd., Director Shri Dilip Survanshi S/o. Late Shiv Narayan Suryavanshi, R/o. Plot No. 05, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chunabhatti Kolar Road, Bhopal (M.P.), Mining Project at Gata No. 764, Vill. Semari Mangradaha (Niji), Teh. Lalganj, Area 6.20 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Dynamik Riyalcon Pvt. Ltd. B-41-G-3F Dilshad Gordane Sahdara, New Delhi, Prop. Shri Dinesh Khandelwal S/o. Shri K.C. Khandelwal, R/o. 211C, RatanDham Apartment, Maikrobertganj, Kanpur Nagar, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Jay Maa Vindhyavasini Contractor, Vill. Saravanpur, Durgapur Road, Amethi, Distt. Amethi, Prop. Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Korari Girdhar Shahpur, Tehsil & Distt. Amethi and Shri Abhishek Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Vill. Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Jay Maa Vindhyavasini Contractor, Vill. Saravanpur, Durgapur Road, Amethi, Distt. Amethi, Prop. Shri Ajay Kumar Pandey S/o. Shri Ashok Kumar Pandey, R/o. Vill. Korari Girdhar Shahpur, Tehsil & Distt. Amethi and Shri Abhishek Tiwari S/o. Shri Ashok Kumar Tiwari, R/o. Vill. Katara Raja Himmat Singh, Tehsil & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 141, Vill. Chiraiya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Om Jay Infradevlopers, Partner Shri Rahul Singh S/o. Om Prakash Singh R/o. House No. 31, Bhuneshwar Nagar Colony, Ardali Bazar, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 6438Ga, Vill. Naugawan, Teh. Lalganj, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Om Jay Infradevlopers, Partner Shri Rahul Singh S/o. Om Prakash Singh R/o. House No. 31, Bhuneshwar Nagar Colony, Ardali Bazar, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 6438Ga, Vill. Naugawan, Teh. Lalganj, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. R.K. Construction Company, Prop. Shri Rajkumar Singh S/o. Shri Vijay Pratap Singh, R/o. Gau Ghat, Thana Kotawali Shahar Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. R.K. Construction Company, Prop. Shri Rajkumar Singh S/o. Shri Vijay Pratap Singh, R/o. Gau Ghat, Thana Kotawali Shahar Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1k, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Rudra Bali Traders, Prop. Shri Rajesh Kumar Singh S/o. Shri Ramji Singh, R/o. Basaratpur, Adalpura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre. Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Rudra Bali Traders, Prop. Shri Rajesh Kumar Singh S/o. Shri Ramji Singh, R/o. Basaratpur, Adalpura, Teh. Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhora, Teh. Sadar, Area 3.00 Acre. Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Soma Enterprises, Banjara Hills, Hyderabad, Prop. Shri P.R. Koteshwar Roy S/o. Shri Venkateshwar Roy, R/o. Banjara Hills, Hyderabad, Hall Pata - Vibhuti Glass Factory, Ramnagar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 139, 140/1, 141/1, 141/2, 143/1, Vill. Dhauhan, Teh. Chunar, Area 5.79 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Soma Enterprises, Banjara Hills, Hyderabad, Prop. Shri P.R. Koteshwar Roy S/o. Shri Venkateshwar Roy, R/o. Banjara Hills, Hyderabad, Hall Pata - Vibhuti Glass Factory, Ramnagar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 139, 140/1, 141/1, 141/2, 143/1, Vill. Dhauhan, Teh. Chunar, Area 5.79 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Sadar, Area 7.48 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Vindhya Stone Products, Prop. Shri Sanjay Kumar Dubey S/o. Shri Vidda Prasad Dubey, R/o. Dharsara, Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997 Mi, Vill. Sindhaura, Sadar, Area 7.48 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Ramruchi Pathak, R/o. Sa. Mudiladih, Thana Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 03.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि M/s. Vindhyavasini Enterprises, Prop. Shri Rajendra Prasad Pathak S/o. Ramruchi Pathak, R/o. Sa. Mudiladih, Thana Ghorawal, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 02, Vill. Sariya, Teh. Chunar, Area 03.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

new Annpurna Granite (Amita Singh W/O Shri Anil Singh), Gata No.- 339, Khand No.-21 New 32 Old, Village- Daharra, Tehsil -Sadar, District-Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha

यह कि new Annpurna Granite (Amita Singh W/O Shri Anil Singh), Gata No.- 339, Khand No.-21 New 32 Old, Village- Daharra, Tehsil -Sadar, District-Mahoba, U.P., Leased Area -1.619 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Praveen kumar Tripathi S/o Shri Narendra Kumar Tripathi Gata No.- 339, Khand No.-06 New, Village- Daharra, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-1.214 Ha)

यह कि Praveen kumar Tripathi S/o Shri Narendra Kumar Tripathi Gata No.- 339, Khand No.-06 New, Village- Daharra, Tehsil and District- Mohaba,U.P., (Leased Area-1.214 Ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Priyanshi Singh Parihar, Gata No. 93, Khand 03, Vill. Bari. Teh. & Dist. Mahoba

यह कि Priyanshi Singh Parihar, Gata No. 93, Khand 03, Vill. Bari. Teh. & Dist. Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Pushpendra Singh Yadav S/o Shri Shivpal Singh Yadav Arazi No.- 20 kha, Village: Naigawan, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, State-Uttar Pradesh. Area -1.729 Ha.

यह कि Pushpendra Singh Yadav S/o Shri Shivpal Singh Yadav Arazi No.- 20 kha, Village: Naigawan, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, State-Uttar Pradesh. Area -1.729 Ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Rafique Khan, Gata No. 339, Khand No. 22 Naya, Daharra, Dist. Mahoba

यह कि Rafique Khan, Gata No. 339, Khand No. 22 Naya, Daharra, Dist. Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

RAKESH KUMAR MISHRA, GATA N.188, Khand No. 1 Naya VILLAGE Mahua Itaura, TEHSIL-Kulpahar, DIST.-Mahoba

यह कि RAKESH KUMAR MISHRA, GATA N.188, Khand No. 1 Naya VILLAGE Mahua Itaura, TEHSIL-Kulpahar, DIST.-Mahoba जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Ram Kishore Singh S/o Shri Guruprasad Singh, Gata No.- 339, Khand No.- 09, at Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., M/s Shivam Granite, Leased Area -0.809 ha

यह कि Ram Kishore Singh S/o Shri Guruprasad Singh, Gata No.- 339, Khand No.- 09, at Village- Daharra, Tehsil & District- Mahoba, U.P., M/s Shivam Granite, Leased Area -0.809 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

S.R. Innovation LLP, Gata no- 100, Khand no- 1(block-24), Village- Khaptiaha Kalan, Tah- Pailani, Disstt- Banda

यह कि S.R. Innovation LLP, Gata no- 100, Khand no- 1(block-24), Village- Khaptiaha Kalan, Tah- Pailani, Disstt- Banda जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त बांदा।
5. जिला खान अधिकारी, बांदा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sabir khan S/o Shri Masoor Ali Gata No.- 128, Khanda No.-02, Area-0.809, Village- Marhathi, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.

यह कि Sabir khan S/o Shri Masoor Ali Gata No.- 128, Khanda No.-02, Area-0.809, Village- Marhathi, Tehsil- and District- Mahoba, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sapan Kumar Agrawal S/o Late Sudhakar Agrawal Gata No.- 526, Village- Khadakhar, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, U.P.,Leased Area -0.80 ha

यह कि Sapan Kumar Agrawal S/o Late Sudhakar Agrawal Gata No.- 526, Village- Khadakhar, Tehsil- Rath, District- Hamirpur, U.P.,Leased Area -0.80 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त हमीरपुर।
5. जिला खान अधिकारी, हमीरपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shivam Granite (Ramkishor Singh S/o Shri Guru Prasad Singh) Arazi No. 339, Khand No. – 26 New 29 Old,Village- Daharra, Tehsil- Mahoba , District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 1.619 Ha.)

यह कि Shivam Granite (Ramkishor Singh S/o Shri Guru Prasad Singh) Arazi No. 339, Khand No. – 26 New 29 Old,Village- Daharra, Tehsil- Mahoba , District -Mahoba, Uttar Pradesh,(Area 1.619 Ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District- Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha

यह कि Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District-Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha

यह कि Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Ajay Kumar Singh S/o Shri Basant Ram Singh, R/o- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone Project" at Araji No.-639, at Village- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -3.64 ha

यह कि Shri Ajay Kumar Singh S/o Shri Basant Ram Singh, R/o- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of Building Stone "Sand Stone Project" at Araji No.-639, at Village- Rampur Sakteshgarh, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -3.64 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Amod Kumar Singh S/o. Shri Devendra Chaudhari, R/o. Vill. Bathuva, Pathrahiya, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, 1J, 1An, 1Tha and 1Tha, Vill. Dhanawal (Niji), Marihan, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Amod Kumar Singh S/o. Shri Devendra Chaudhari, R/o. Vill. Bathuva, Pathrahiya, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, 1J, 1An, 1Tha and 1Tha, Vill. Dhanawal (Niji), Marihan, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Anantram Shakya S/o Shri Kalicharan, R/o- Kuiyanboot Dhilawal, Post- Pachpukhara, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur, Proposed for Ordinary Sand Mining Project at Gata No.33, Village-Assampur, Teshil-Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur,Leased Area -10.05 ha

यह कि Shri Anantram Shakya S/o Shri Kalicharan, R/o- Kuiyanboot Dhilawal, Post- Pachpukhara, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur, Proposed for Ordinary Sand Mining Project at Gata No.33, Village-Assampur, Teshil-Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s Kamla Contractor & Supplier Assampur Amritpur,Leased Area -10.05 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त फर्रूखाबाद।
5. जिला खान अधिकारी, फर्रूखाबाद।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-277, Khand No.- 02, at Village-Silari, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.416 ha.,

यह कि Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-277, Khand No.- 02, at Village-Silari, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.416 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-3096, Khand No.- 12, at Village-Bijauli, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha.,

यह कि Shri Anoop Parecha, R/o- Bo 30 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti) Mine" Project at Gata No.-3096, Khand No.- 12, at Village-Bijauli, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-0.8090 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Anurudh Kumar Khare S/o Shri Siyasaran Khare, R/o- 34, Purani Kotwali, Pachkuiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 87, Khand No.- 01, Area- 1.214 Ha, Villlage-Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Khare Traders, Leased Area -1.214ha

यह कि Shri Anurudh Kumar Khare S/o Shri Siyasaran Khare, R/o- 34, Purani Kotwali, Pachkuiya, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed Project of Building Stone,(Khandas & Gitti, Boulder) Mine Project located at Gata No./Araji No./Plot No.- 87, Khand No.- 01, Area- 1.214 Ha, Villlage-Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Khare Traders, Leased Area -1.214ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Arun Kumar Tripathi, Director, S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. Of TCI, Chandanpur, Than- Maduwadih, Tehsil- Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Sand stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-141, at Village- Chiraiyai, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, U.P. M/s P.B. Infratech Pvt. Ltd., Lease area- 0.890 ha.

यह कि Shri Arun Kumar Tripathi, Director, S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. Of TCI, Chandanpur, Than- Maduwadih, Tehsil- Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Sand stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-141, at Village- Chiraiyai, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, U.P. M/s P.B. Infratech Pvt. Ltd., Lease area-0.890 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.)

यह कि Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Balaji Suntech power Energy Pvt Ltd. (Prop.- Smt Arati saxena W/o Ashok Kumar) Gata No.-534/3, New , Area-0.809, Village- Urwara, Tehsil & District- Mahoba, U.P.

यह कि Shri Balaji Suntech power Energy Pvt Ltd. (Prop.- Smt Arati saxena W/o Ashok Kumar) Gata No.-534/3, New , Area-0.809, Village- Urwara, Tehsil & District- Mahoba, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Bhagwati Shivhare, R/o- 421/4, C.P. Mission Compound, Thana- Sipri Bazar, District- Jhansi, U.P., M/s Ankur Enterprises, , Extraction of Building Stone, Khanda, Gitti & Boulder at Gata No.-587,KhandNo.-04,Village- Nahari, Tehsil- Naraini, District- Mirzapur, U.P., M/s Ankur Enterprises, Leased Area -2.0 ha

यह कि Shri Bhagwati Shivhare, R/o- 421/4, C.P. Mission Compound, Thana- Sipri Bazar, District- Jhansi, U.P., M/s Ankur Enterprises, , Extraction of Building Stone, Khanda, Gitti & Boulder at Gata No.-587,KhandNo.-04,Village- Nahari, Tehsil- Naraini, District- Mirzapur, U.P., M/s Ankur Enterprises, Leased Area -2.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Bihari Yadav, R/o- Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav), Proposed of "Building stone (Sandstone)Mine "Project at Arazi No.-597Jha & 597 Tra, Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav) Area 2.545 ha

यह कि Shri Bihari Yadav, R/o- Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav), Proposed of "Building stone (Sandstone)Mine "Project at Arazi No.-597Jha & 597 Tra, Village– Khamhwajamati , Tehsil-Chunar, District – Mirzapur, Uttar Pradesh By M/s Adarsh Construction & Suppliers (Shri Lal Bihari Yadav) Area 2.545 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri CEO Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority(UPEIDA), C-11 Second Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining" Project at Gata No.-9/18, 9/19, Village- Nanda Ka Purva, Tehsil-Chail, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area:24.280 Ha)

यह कि Shri CEO Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority(UPEIDA), C-11 Second Floor, Paryatan Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining" Project at Gata No.-9/18, 9/19, Village- Nanda Ka Purva, Tehsil- Chail, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area:24.280 Ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त कौशाम्बी।
5. जिला खान अधिकारी, कौशाम्बी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Chandrika Prasad S/o Late Munnar , Owner, (Lessee), R/o Ibrahimpur Tehsil- Chinar, Disrict- Mirzapur, U.P. Proposed Capacity Expansion Project "Gitti- Stone, Boulder & Khandas ine' at Gata No.- 2098/B of Area- 15.00 Acres (6.07 ha), Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District-Allahabad, U.P., Lease Area: 6.07 Ha

यह कि Shri Chandrika Prasad S/o Late Munnar , Owner, (Lessee), R/o Ibrahimpur Tehsil- Chinar, Disrict- Mirzapur, U.P. Proposed Capacity Expansion Project "Gitti- Stone, Boulder & Khandas ine' at Gata No.- 2098/B of Area- 15.00 Acres (6.07 ha), Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District-Allahabad, U.P., Lease Area: 6.07 Ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रयागराज।
5. जिला खान अधिकारी, प्रयागराज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar S/o Shri Shahid Hussain, R/o- Nai Basti Banki, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) & Red Morrum Mining" Project at Gata No.-585, Khand No.-01,at Village- Bhandra, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-2.0 ha., Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar

यह कि Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar S/o Shri Shahid Hussain, R/o- Nai Basti Banki, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) & Red Morrum Mining" Project at Gata No.-585, Khand No.-01,at Village- Bhandra, Tehsil-Mauranipur, District Jhansi, U.P. Lease area-2.0 ha., Shri Chaudhary Ubaid Ahmad Thekedar जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Dhanpal Singh S/o. Shri Khajan Singh, R/o. Moh. Shankarpur, Ghaziabad and Shri Bramhdatta S/o. Shri Shivdatta R/o. Moh. C-729, Sector-C, Maha Nagar, Lucknow, Mining Project at Gata No. 17Gha, Vill. Pathraur (Niji), Teh. Marihan, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Dhanpal Singh S/o. Shri Khajan Singh, R/o. Moh. Shankarpur, Ghaziabad and Shri Bramhdatta S/o. Shri Shivdatta R/o. Moh. C-729, Sector-C, Maha Nagar, Lucknow, Mining Project at Gata No. 17Gha, Vill. Pathraur (Niji), Teh. Marihan, Area 4.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Govind Singh, R/o- Village- Basaratpur, Adalpura, Thiresapur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Araji No.-01, at Village- Ahirupur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Leased Area -1.01 ha

यह कि Shri Govind Singh, R/o- Village- Basaratpur, Adalpura, Thiresapur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Araji No.-01, at Village- Ahirupur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,M/s Dipali Traders, Leased Area -1.01 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha

यह कि Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Hari Lal Prajapati S/o. Shri Moti Ram Prajapati, Shri Moti Ram Prajapati S/o. Shri Shivnath Prajapati, R/o. Vill. Korari, Girdhar Shahpur, Teh. & Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 428, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil-Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 37, Village- Dakahi,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-1.21Ha)

यह कि Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil-Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 37, Village- Dakahi,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-1.21Ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Indulata Pandey,R/o- Sahaspur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur,U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 1141, Village- Darhiram,Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.607 Ha)

यह कि Shri Indulata Pandey,R/o- Sahaspur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur,U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.- 1141, Village- Darhiram,Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.607 Ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Jagdish Chandra Diwedi S/o. Late Ramrekha Diwedi, R/o. Visundarpur, Civil Lines, Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Jagdish Chandra Diwedi S/o. Late Ramrekha Diwedi, R/o. Visundarpur, Civil Lines, Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 484, Vill. Devari Kalan (Niji), Teh. Marihan, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Jai Ram Yadav S/o Shri Badri Prasad, R/o- Village-Khalishpur, Tehsil- Budhanpur, District- Azmgarh, U.P., M/s Jai Ram Engineers Contractors, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at located Gata No.-281, Khanda No.- 05, Area - 1.780 ha , at Village- Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P.,M/s Jai Ram Engineers Contractors, Leased Area -1.780 ha

यह कि Shri Jai Ram Yadav S/o Shri Badri Prasad, R/o- Village-Khalishpur, Tehsil- Budhanpur, District- Azmgarh, U.P., M/s Jai Ram Engineers Contractors, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mining" Project at located Gata No.-281, Khanda No.- 05, Area - 1.780 ha , at Village- Madaurakhurd, Tehsil- Moth, District- Jhansi, U.P.,M/s Jai Ram Engineers Contractors, Leased Area -1.780 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Jamidar Singh S/o. Shri Vikrmajit Singh, R/o. Vill. Semara, Khulua, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 12.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Jamidar Singh S/o. Shri Vikrmajit Singh, R/o. Vill. Semara, Khulua, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 997Mi, Vill. Sindhaura, Teh. Sadar, Area 12.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Jayprakash Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Jayprakash Singh S/o. Late Lal Bahadur Singh, R/o. Vill. Kanhaipur, Ahraura, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 399, Vill. Jigana, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Kadam Raj Singh S/o Late hanu Pratap Singh, R/o- Village-Amaaw Madhupur, District-Jaunpur, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-27,Village- Chaudhraan, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 5.00 Ha ,

यह कि Shri Kadam Raj Singh S/o Late hanu Pratap Singh, R/o- Village-Amaaw Madhupur, District-Jaunpur, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-27,Village- Chaudhraan, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 5.00 Ha , जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रयागराज।
5. जिला खान अधिकारी, प्रयागराज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Manish Kumar, R/o Ward no. 23, Near Main market, Ahraura, Tehsil- Chunar, Mirzapur, U.P., Proposed of Building stone(Sandstone)" Project at Gata No.-519, Village– Ghasipur, TehsilChunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area : 2.02 ha.)

यह कि Shri Manish Kumar, R/o Ward no. 23, Near Main market, Ahraura, Tehsil- Chunar, Mirzapur, U.P., Proposed of Building stone(Sandstone)" Project at Gata No.-519, Village– Ghasipur, TehsilChunar, District–Mirzapur, Uttar Pradesh, (Area : 2.02 ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Manish Ojha, R/o Village- Katieya, Chayal, District - Kaushambi, U.P. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 10/17 & 10/18 over an area of 24.28 Ha situated in Village - Kataieya, Tehsil - Chayal, District - Kaushambi, U.P.

यह कि Shri Manish Ojha, R/o Village- Katieya, Chayal, District - Kaushambi, U.P. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 10/17 & 10/18 over an area of 24.28 Ha situated in Village - Kataieya, Tehsil - Chayal, District - Kaushambi, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त कौशाम्बी।
5. जिला खान अधिकारी, कौशाम्बी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Manoj Kumar Mishra S/o Shri Mahesh Kumar, R/o- Dudhua, Post & Thana- Utraanv, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Ordinary Sand Mining Project on River bed of Tons, at Khand No.- 42, Village-From Ganga Tons Sangam to Bhaganpur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P.,Leased Area -5.00 ha

यह कि Shri Manoj Kumar Mishra S/o Shri Mahesh Kumar, R/o- Dudhua, Post & Thana- Utraanv, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed of Ordinary Sand Mining Project on River bed of Tons, at Khand No.- 42, Village-From Ganga Tons Sangam to Bhaganpur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P.,Leased Area -5.00 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रयागराज।
5. जिला खान अधिकारी, प्रयागराज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Nikhil Jain,R/o- 13- A, unv Block, Shalimarbagh, Delhi, M/s Abundance Toujours Pvt. Ltd., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 747, Khand No.- 03, Village- Pathrehta , Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 16.194 ha)

यह कि Shri Nikhil Jain,R/o- 13- A, unv Block, Shalimarbagh, Delhi, M/s Abundance Toujours Pvt. Ltd., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 747, Khand No.- 03, Village- Pathrehta , Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 16.194 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जालौन।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जालौन।
5. जिला खान अधिकारी, जालौन।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Nitin Nishad, R/o- 252 C, Nai Basti, Kydganj, District- Prayagraj, U.P. Proposed Capacity Expansion of Sand Stone (Gitte- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 2098, Khand No.- 51A, at Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P., M/s Nitin Nishad/90873, Leased Area -2.631 ha

यह कि Shri Nitin Nishad, R/o- 252 C, Nai Basti, Kydganj, District- Prayagraj, U.P. Proposed Capacity Expansion of Sand Stone (Gitte- Pathhar, Khandas, Boulder) mine at Khasra No./Plot No.- 2098, Khand No.- 51A, at Village- Bhatauti, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P., M/s Nitin Nishad/90873, Leased Area -2.631 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रयागराज।
5. जिला खान अधिकारी, प्रयागराज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-1619, Khand No.- 03, at Village- Rauni, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.618 ha.

यह कि Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Bailast & Gitti)Mining" Project at Gata No.-1619, Khand No.- 03, at Village- Rauni, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.618 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur,District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-479, 480, Khand No.- 01, at Village-Kanja, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.,

यह कि Shri Pawan Kumar Seth S/o Shri Bhagwat Prasad, R/o- Damele Chowk, Mauranipur,District-Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-479, 480, Khand No.- 01, at Village-Kanja, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Rajendra Singh, Owner, R/o- Village- 7/364, Shivpuram, Gora Bazar, Thana- Kotwali Nagar, District- Raebareli, U.P., M/s Jagriti Infratech Pvt. Ltd., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mine Project at Gata No.- 547, Village-Bhojpur Pahadi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-2.01 ha)

यह कि Shri Rajendra Singh, Owner, R/o- Village- 7/364, Shivpuram, Gora Bazar, Thana- Kotwali Nagar, District- Raebareli, U.P., M/s Jagriti Infratech Pvt. Ltd., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mine Project at Gata No.- 547, Village-Bhojpur Pahadi, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-2.01 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Santosh Kumar Pandey S/o. Shri Lakshmi Narayan Pandey, R/o. Vill. Mahuari Kalan, Thana-Vindhyachal, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2442 to 2444, 2456, 2458, Vill. Mahuari Kalan, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Santosh Kumar Pandey S/o. Shri Lakshmi Narayan Pandey, R/o. Vill. Mahuari Kalan, Thana-Vindhyachal, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 2442 to 2444, 2456, 2458, Vill. Mahuari Kalan, Teh. Sadar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Santosh Kumar Singh, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khand Gitti Mining Project at Araji No.- 09, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P,Area-1.396 Ha

यह कि Shri Santosh Kumar Singh, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khand Gitti Mining Project at Araji No.- 09, Village-Lakhanapur, District- Lalitpur, U.P,Area-1.396 Ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त ललितपुर।
5. जिला खान अधिकारी, ललितपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Satish Yadav S/o - Shri Kartar Singh Yadav R/O- Village and P.O. - Khilli, Thana – Poonch, Tehsil : Moth, Distt: Jhansi, (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining" located at Gata No- 23 (Khand-04), Area 1.30 Ha. in Village Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh.

यह कि Shri Satish Yadav S/o - Shri Kartar Singh Yadav R/O- Village and P.O. - Khilli, Thana – Poonch, Tehsil : Moth, Distt: Jhansi, (U.P.), Proposed Project of "Building stone, Khanda – Boulder/ Gitti -Ballast Mining" located at Gata No- 23 (Khand-04), Area 1.30 Ha. in Village Dasna, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Shivpal Singh S/o- Shri Kartar Singh R/o - Village & Post-Khilli Tehsil- Moth, District- Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building Stone Khanda – Boulder/ Gitti- Ballast Mining " located at Gata No. 455 (Khand No. - 01), in Village- Pachobai, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 0.809 Ha.

यह कि Shri Shivpal Singh S/o- Shri Kartar Singh R/o - Village & Post-Khilli Tehsil- Moth, District- Jhansi (U.P.), Proposed Project of "Building Stone Khanda – Boulder/ Gitti- Ballast Mining " located at Gata No. 455 (Khand No. - 01), in Village- Pachobai, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh, Area 0.809 Ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri SidhiNath Singh S/o. Shri Mahadev Singh & Shri Budhiram S/o. Shri Shyama Singh, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri SidhiNath Singh S/o. Shri Mahadev Singh & Shri Budhiram S/o. Shri Shyama Singh, R/o. Vill. Sonpur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 1K, Vill. Sonpur, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Somesh Bhardwaj S/o Shri Om Prakash Bharadwaj, R/o- Ganj, Mahoba, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite Proposed of Sand/Morrum Mining Project at Guruwal Composite at Gata No.- 53 to 71, 74 to 86, 91, 132 to 134, Khand No.- 01, Village- Guruwal, Tehsil- Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite, (Lease Area: 50.00 ha)

यह कि Shri Somesh Bhardwaj S/o Shri Om Prakash Bharadwaj, R/o- Ganj, Mahoba, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite Proposed of Sand/Morrum Mining Project at Guruwal Composite at Gata No.- 53 to 71, 74 to 86, 91, 132 to 134, Khand No.- 01, Village- Guruwal, Tehsil- Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s Ambey Granite, (Lease Area: 50.00 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त फतेहपुर।
5. जिला खान अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Sunil Kumar Pandey S/o. Shri Devi Prasad Pandey, R/o. Bankelal Tandon ji Ki Gali, Wellesellyganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Sunil Kumar Pandey S/o. Shri Devi Prasad Pandey, R/o. Bankelal Tandon ji Ki Gali, Wellesellyganj, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 730, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Sunil Kumar S/o Shri Chandan Singh, R/o- H.N.-239/18, Shanti Nagar, Gurgaon, Haryana, M/s The Sunworld Travels Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Gata No.- 4, 5, 16, 17, 18, 25, 48 & 56, Village- Ghazipur, Tehsil-Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s The Sunworld Travels, Lease Area: 15.0 ha

यह कि Shri Sunil Kumar S/o Shri Chandan Singh, R/o- H.N.-239/18, Shanti Nagar, Gurgaon, Haryana, M/s The Sunworld Travels Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Gata No.- 4, 5, 16, 17, 18, 25, 48 & 56, Village- Ghazipur, Tehsil-Khaga, District-Fatehpur, U.P., M/s The Sunworld Travels, Lease Area: 15.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त फतेहपुर।
5. जिला खान अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Suraj Prasad Gupta S/o Shri Kalicharan Gupta, R/o- Kabrai, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-745/2, at Village-Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.182 ha.,

यह कि Shri Suraj Prasad Gupta S/o Shri Kalicharan Gupta, R/o- Kabrai, Tehsil & District- Mahoba, U.P., Proposed of " Building Stone (Gitti , Khanda & Boulder) Mining" Project at Gata No.-745/2, at Village-Makarbai , Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.182 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Suresh Chandra Dani, R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along river bed of Ganga river, at Gata No.- 1/3, at Village-Sinauli, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha

यह कि Shri Suresh Chandra Dani, R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along river bed of Ganga river, at Gata No.- 1/3, at Village-Sinauli, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त फर्रूखाबाद।
5. जिला खान अधिकारी, फर्रूखाबाद।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Tarun Gupta S/o Shri Ashok umar Gupta, R/o- 1346 Naya 712, Kunj Bihari Colony, Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi,U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease Area 14.00 ha (34.58 acre) along river Betwa in Gata No.- 01, 218 Ka, Village- Kudri, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.00 ha, Shri Tarun Gupta

यह कि Shri Tarun Gupta S/o Shri Ashok umar Gupta, R/o- 1346 Naya 712, Kunj Bihari Colony, Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi,U.P., Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease Area 14.00 ha (34.58 acre) along river Betwa in Gata No.- 01, 218 Ka, Village- Kudri, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.00 ha, Shri Tarun Gupta जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Vijay Bahadur Singh, Khasra No.-1370, Khand no 04 New 03 Old ,Village -Kulpahad, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 2.024 ha.

यह कि Shri Vijay Bahadur Singh, Khasra No.-1370, Khand no 04 New 03 Old ,Village -Kulpahad, Tehsil-Kulpahad, District- Mahoba, U.P., Lease area- 2.024 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Virendra Kumar Singh, R/o- Village- Kudaran,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Kudaran, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.616 ha

यह कि Shri Virendra Kumar Singh, R/o- Village- Kudaran,Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,Proposed of "Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-399, at Village-Kudaran, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -1.616 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- 178, CP Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-23, Khand No.- 07, at Village-Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.00 ha.,

यह कि Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- 178, CP Mission Compound, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mining" Project at Gata No.-23, Khand No.- 07, at Village-Dasna, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., Lease area-2.00 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- B-178, c.p. Misssion Compund, Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-173, Khand No.- 01, at Village- Dhawar, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Lease area-2.832 ha.

यह कि Smt. Anupama Yadav W/o Shri Charan Singh Yadav, R/o- B-178, c.p. Misssion Compund, Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder)Mining" Project at Gata No.-173, Khand No.- 01, at Village- Dhawar, Tehsil-Moth, District -Jhansi, U.P., M/s Raj Construction Company, Lease area-2.832 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha.

यह कि Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P. Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha

यह कि Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District- Sonebhadra, U.P. Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Khushbu Yadav W/o Shri Neelesh, R/o- 17, Kamal Residency, Shivaji Nagar, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-244, Khand No.-01, at Village-Musawali, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Lease area-1.821 ha.,

यह कि Smt. Khushbu Yadav W/o Shri Neelesh, R/o- 17, Kamal Residency, Shivaji Nagar, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder & Gitti) Mining" Project at Gata No.-244, Khand No.-01, at Village-Musawali, Tehsil-Moth, District- Jhansi, U.P., M/s Brij Construction Company, Lease area-1.821 ha., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Kusum Kali, R/o-Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P, Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone mining) Mine Project at Gata No./Khasra No.- 258, Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.7 ha)

यह कि Smt. Kusum Kali, R/o-Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P, Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone mining) Mine Project at Gata No./Khasra No.- 258, Village - Baluwa Bajahur, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.7 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Lakshmi Devi W/o. Shri Ashok Kumar Yadav, R/o. Moh. Ghurahupatti, Civilin Line, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50, Distt. Mirzapur.

यह कि Smt. Lakshmi Devi W/o. Shri Ashok Kumar Yadav, R/o. Moh. Ghurahupatti, Civilin Line, Teh. Sadar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 188/1, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.50, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Lalli, Owner,R/o- Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mine, at Gata No.- 177, Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.(Area: 1.01 Ha)

यह कि Smt. Lalli, Owner,R/o- Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mine, at Gata No.- 177, Village- Dhuria, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.(Area: 1.01 Ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Madhurima Singh W/o. Shri Akshya Pratap Singh, R/o. Vill. & Post Jamo Gauriganj, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 01, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Smt. Madhurima Singh W/o. Shri Akshya Pratap Singh, R/o. Vill. & Post Jamo Gauriganj, Distt. Amethi, Mining Project at Gata No. 01, Vill. Dhuriya, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Manju Kushwaha, 429, Bada Gaon Gate, Teachers colony, Jhansi, 284001, Diaspore-Pyrophilyte Mining project at Plot No. 1002, Village-Parvasi, Tehsil & District Jhansi, 10.12 Ha

यह कि Smt. Manju Kushwaha, 429, Bada Gaon Gate, Teachers colony, Jhansi, 284001, Diaspore-Pyrophilyte Mining project at Plot No. 1002, Village-Parvasi, Tehsil & District Jhansi, 10.12 Ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Meela Devi W/o Shri Umashankar Vill: & Post Sikhad, Tesil Chunar, Distt: Mirzapur,UP, Sand Stone Mine' project at Gata no. 187Mi, Village Madfa Teshil Chunar, Distt: Mirzapur, UP Leased area 1.5175 ha.

यह कि Smt. Meela Devi W/o Shri Umashankar Vill: & Post Sikhad, Tesil Chunar, Distt: Mirzapur,UP, Sand Stone Mine' project at Gata no. 187Mi, Village Madfa Teshil Chunar, Distt: Mirzapur, UP Leased area 1.5175 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Mihtilesh Kumari W/o Shri Chiraunji Lal, R/o- Chandradeepa, Jangi Road, Tehsil-Sadar, District- Mirzapur,U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-36/6/5, at Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha

यह कि Smt. Mihtilesh Kumari W/o Shri Chiraunji Lal, R/o- Chandradeepa, Jangi Road, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur,U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine Project at Gata No./Araji No.-36/6/5, at Village-Sonbarsa, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Neelam Singh W/o. Shri Ghanshyam Singh, R/o. Ghasipur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 485 & 486, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Smt. Neelam Singh W/o. Shri Ghanshyam Singh, R/o. Ghasipur, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 485 & 486, Vill. Patti Kalan, Teh. Chunar, Area 2.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Reeta Singh W/o Shri Vijay Bahadur,R/o- Village- Sinhapur, Post- Saaripur, Tehail-Aurai, District- Bhadohi, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-25, Village- Kabra to Diha and Kakra to Jamunipur, Tehsil-Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 4.00 Ha ,

यह कि Smt. Reeta Singh W/o Shri Vijay Bahadur,R/o- Village- Sinhapur, Post- Saaripur, Tehail-Aurai, District- Bhadohi, U.P. Proposed for Ordinary Sand Mining from river bed of Ganga River located at Khand No.-25, Village- Kabra to Diha and Kakra to Jamunipur, Tehsil- Karchhana, District- Prayagraj, U.P., Lease Area: 4.00 Ha , जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त प्रयागराज।
5. जिला खान अधिकारी, प्रयागराज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Sunita Singh, R/o- Village-Tiyara, District Chandauli, Uttar Pradesh, Proposed of Building Stone (Sandstone) mine at Araji/Gata No.- 88, village Kukuhipur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Area- 2.424 ha.

यह कि Smt. Sunita Singh, R/o- Village-Tiyara, District Chandauli, Uttar Pradesh, Proposed of Building Stone (Sandstone) mine at Araji/Gata No.- 88, village Kukuhipur, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P., Area- 2.424 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Smt. Sushila Devi, Owner, Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. ,
Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Araji No.-428, at Village-Dhuriya,
Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. Lease area-1.414 ha.

यह कि Smt. Sushila Devi, Owner, Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. , Proposed of Building Stone (Sand Stone) Mine" Project at Araji No.-428, at Village-Dhuriya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P. Lease area-1.414 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sri Radhika Raman Yadav, Thekedar, Village Lighaura, Tehsil Garautha, District-Jhansi, U.P., Khanda, Gitty/Boulders (Building stone) project at Gata no./Araji no./Plot no. 1098, Khand-01,at Village Sakarar, Tehsil Mauranipur, District-Jhansi., Lease area 1.618 ha.M/s Radhika Raman yadav thekedar

यह कि Sri Radhika Raman Yadav, Thekedar, Village Lighaura, Tehsil Garautha, District-Jhansi, U.P., Khanda, Gitty/Boulders (Building stone) project at Gata no./Araji no./Plot no. 1098, Khand-01,at Village Sakarar, Tehsil Mauranipur, District-Jhansi., Lease area 1.618 ha.M/s Radhika Raman yadav thekedar जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. /सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sri Sanjay Singh S/o. Shri Jhagadu Singh, R/o. Hinauti Mafi, Rastogi Talab, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38 & 01, Vill. Kudaran & Basdih, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Sri Sanjay Singh S/o. Shri Jhagadu Singh, R/o. Hinauti Mafi, Rastogi Talab, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Mining Project at Gata No. 38 & 01, Vill. Kudaran & Basdih, Teh. Chunar, Area 5.00 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sri. Sujeet Bahadur Singh, S/o Sri Hari Har Singh, Village-Sersa, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P., EC for Stone Ballast/Khanda Boulder Mine at Araji No. 19, Village-Paraicha, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P.

यह कि Sri. Sujeet Bahadur Singh, S/o Sri Hari Har Singh, Village-Sersa, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P., EC for Stone Ballast/Khanda Boulder Mine at Araji No. 19, Village-Paraicha, Tehsil-Moth, Jhansi, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त झांसी।
5. जिला खान अधिकारी, झांसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Sukirti Singh W/o Sh. Ramkishore Singh Gata No.-93, Khand No.- 07, Village- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha)

यह कि Sukirti Singh W/o Sh. Ramkishore Singh Gata No.-93, Khand No.- 07, Village- Bari, Tehsil- Mahoba, District- Mahoba, U.P. (Applied Area : 1.012 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Wakar Fatima Usmani W/o Md Shoyeb Gata No.- 2702, Khanda No.-03 New, Area-2.024,
Village- Pahara, Tehsil- and District- Mahoba, U.P.

यह कि Wakar Fatima Usmani W/o Md Shoyeb Gata No.- 2702, Khanda No.-03 New, Area-2.024, Village- Pahara, Tehsil- and District- Mahoba, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त महोबा।
5. जिला खान अधिकारी, महोबा।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

Shri Amrita Singh W/o. Shri Vishal Singh, R/o. House No. J-12/15 H-3, Bauliyabag, Ramkatora, Chetganj, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur.

यह कि Shri Amrita Singh W/o. Shri Vishal Singh, R/o. House No. J-12/15 H-3, Bauliyabag, Ramkatora, Chetganj, Sadar, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 728, Vill. Bhagautideye, Teh. Chunar, Area 02.50 Acre, Distt. Mirzapur. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त मिर्जापुर।
5. जिला खान अधिकारी, मिर्जापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2352
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H05473/सी–3/सा०-329/2024 दिनाँक 10/01/2024

मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No.- 179/2,Village-Rahna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P, (Leased Area-3.75 ha) mining lease operated by Shri Sanjay Bhatiya S/o Late Shri Anand Prakash Bhatiya by R/o- 1/472, Ramchandrapuri, Maida Mill Phatak, Thana-Qutubsher

यह कि मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No.-179/2,Village-Rahna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P, (Leased Area-3.75 ha) mining lease operated by Shri Sanjay Bhatiya S/o Late Shri Anand Prakash Bhatiya by R/o- 1/472, Ramchandrapuri, Maida Mill Phatak, Thana-Qutubsher जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाँक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सहारनपुर।
5. जिला खान अधिकारी, सहारनपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H0540 /सी–3/ सा०–332 /खनन/2024 दिनांक: 10 /01/2024

. मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No 14/1 (Area 3.10 Hectare) mining lease Village Badshahi Bagh Ra Tehsil - Behat , District Saharanpur, UP operated by Shri Rajesh Kumar S/o Shri Ranveer Singh, R/o- Garhi Birwal, Tehsil- Indri, District- Karnal, Haryana

यह कि मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at Gata No 14/1 (Area 3.10 Hectare) mining lease Village Badshahi Bagh Ra Tehsil - Behat , District Saharanpur, UP operated by Shri Rajesh Kumar S/o Shri Ranveer Singh, R/o- Garhi Birwal, Tehsil- Indri, District- Karnal, Haryana जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सहारनपुर।
5. जिला खान अधिकारी, सहारनपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H05481 / सी–3 / सा॰ 322 / खनन / 2024 दिनांक: 10/01/2024

मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at khand No/ Gata no 03, Lot No 03 (Area 08.05 hectare) mining lease Village Rehna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P operated by Shri Satendra Kumar S/o Shri Virendra Singh, Village & Post Khaira Najafgarh,Nai Dilli

यह कि मैसर्स Project of Building Stone (Sand, Bajri & Boulder) Mining Project at khand No/ Gata no 03, Lot No 03 (Area 08.05 hectare) mining lease Village Rehna, Tehsil-Behat, District- Saharanpur, U.P operated by Shri Satendra Kumar S/o Shri Virendra Singh, Village & Post Khaira Najafgarh,Nai Dilli जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सहारनपुर।
5. जिला खान अधिकारी, सहारनपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: HO5482/सी–3/सा०-322/रेतखनन/2024 दिनाँक: 10/01/2024

मैसर्स Prime Vision Industries Ltd, Gata No 1/1, Yamuna River,
(Lease Area 52.63 Hectare) Village- Dariya Baramad,
Tehsil and District Saharanpur.

यह कि मैसर्स Prime Vision Industries Ltd, Gata No 1/1, Yamuna River (Lease Area 52.63 Hectare) Village- Dariya Baramad, Tehsil and District Saharanpur जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनाँक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त **पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।**

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सहारनपुर।
5. जिला खान अधिकारी, सहारनपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: HO54B3 / सी–3 / सा०-322 / खनन / 2024 दिनांक: 10 / 01 / 2024

मैसर्स EC of the Proposed Sand Minor Mineral Mines
at Gata No.-228 over an area of 20.469 ha, Village-Bidauli,
Distt.-Shamli, M/s Deep Builders

यह कि मैसर्स EC of the Proposed Sand Minor Mineral Mines at Gata No.-228 over an area of 20.469 ha, Village-Bidauli, Distt.-Shamli, M/s Deep Builders जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, शामली।
4. पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त शामली।
5. जिला खान अधिकारी, शामली।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 40549 / C-5/125760ANO-393/2022/23 Date 09/1/2024

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Harprit Singh Dhaliwal, R/o Pathan 3, Paliya Kaln, Paliya, District-Kheri, U.P.

खनन स्थत–

River Bed Ordinary Sand mining at River Jauraha at Gata No. 947, Village-Manjha, Tehsil-Nighasan, District-Kheri, U.P. (Leased Area-11.809 ha)

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त लखीमपुर खीरी।
5. जिला खान अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No HOSHD / C-5/125/ OA No-393/2022/23 Date 09/1/2024

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Kailash Saini, S/o Shri Babu Ram Saini, M/s Saini Traders, R/o- 748, Jagrati Nagar, District- Indore, U.P.

खनन स्थत–

Sand Mining Project at Khasra No.-257 Ka, Village- Dhanwan, Tehsil- Biswan, DISTT.- Sitapur, U.P., M/s Saini Traders

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No HOSHII / CSI IMS/DA No-393/2022/23 Date 04/1/2023

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Dhiraj Verma S/o Kripashankar Verma, Owner, R/o - 323, Mohalla- Than, Tehsil- Biswan, Distt.- Sitapur, U.P., M/s Radhey Construction

खनन स्थत–

Sand Mining Project at Gata No.- 609Ka, 610Ka, Village- Kyotana Hardopatti, Tehsil- Laharpur, Distt.- Sitapur, U.P., M/s Radhey Construction,

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No HO5412 / C-5/125/OA No. 393/2022/23 Date 06/11/2024

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Dharmendra Kumar Sharma S/o Shri Bharat Prasad Sharma, R/o- 2/15, Shivshankarpuram, Shivpuri, Tehsil & District- Sitapur, U.P., M/s Bharat Construction

खनन स्थत–

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project In Sharda River at Gata No.-8 Ka/ 195, Village- Ratauli, Tehsil- Laharur, District- Sitapur, U.P.,(Leased Area: 8.0 Ha)

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@upnch.in - Web Site: www.upnch.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No HO/4113/C-5/125/OAND-393/2022/23 Date 09/11/2023

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Sanjay Singh S/o Shri Shankar Baksh Singh,
Owner, R/o- Village- Ganga Purwa, Than - Gaao,
District- Sitapur, U.P., M/s Sanjay Singh Construction

खनन स्थत–

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Gomti River at Gata No.-337 Mi & 330, Village- Ajizpur, Tehsil- Mishrikh, District-Sitapur, U.P., M/s Bharat Construction (Leased Area:5.12 Ha)

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@upncb.in - Web Site: www.upncb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No Hostilg / C-5/125/OANo.-393/2022/23 Date 09/1/2024

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Abhaya Pratap Singh S/o Shri Shankar Baksh Singh, Owner, R/o- Village- Ganga Purwa, Mohalla- Ladilpur, Thana- Gaon, District- Sitapur, U.P., M/s Abhaya Pratap Singh

खनन स्थत–

Proposed "Ordinary Sand Mining" Project at Sharda River at (Khand- Aa) Gata No.-8 Ka/195,, Village- Ratauli, Tehsil- Laharpur, District-Sitapur, U.P., M/s Abhaya Pratap Singh (Leased Area:8.782 Ha)

यह कि इकाई द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H05420 /सी0-6/सहमति जल/...../बन्दी/U.P.C.B./2024 Dated 29/01/2024

मेसर्स Shri Shrimati Rajni Shahi, Proposed Project of Ordinary Sand Mining Project on the riverbed Ghaghra River at Gata No.-Gha, Block No.-04, Village-Ratanpura, Teshsil- Gola, District- Gorakhpur, U.P., M/s Aarchis Enterprises, Lease Area: 5.0 Ha

यह कि मैसर्स Shri Shrimati Rajni Shahi, Proposed Project of Ordinary Sand Mining Project on the riverbed Ghaghra River at Gata No.-Gha, Block No.-04, Village-Ratanpura, Teshsil- Gola, District- Gorakhpur, U.P., M/s Aarchis Enterprises, Lease Area: 5.0 Ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, गोरखपुर।
5. जिला खान अधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सा-766

Ref. No.....1105421/सी0-6/सहमति जल/...../बन्दी/2024 Dated 09/09/2024

मेसर्स M/s Anil Sing, Gata No 767,
Village-Sahbadiya Sultanpur, Tehsil-Sagari,
District-Azamgarh

यह कि मैसर्स M/s Anil Sing, Gata No 767, Village-Sahbadiya Sultanpur, Tehsil-Sagari, District-Azamgarh जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uplooded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
5. जिला खान अधिकारी, आजमगढ़।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1405427 /सी0-6/सहमति जल/...../बन्दी/...../2024 Dated 09/01/2024

मेसर्स Shri Sandhya Pandey W/o Shri Dinesh Pandey, Proposed of Sand Mining Project from River Bed of Rohin river at Gata No.- 247 Ga,at Village- Baikunthpur, Tehsil- Nautanwa, District- Maharajgaj, U.P.,Leased Area -5.475 ha,

यह कि मैसर्स Shri Sandhya Pandey W/o Shri Dinesh Pandey, Proposed of Sand Mining Project from River Bed of Rohin river at Gata No.- 247 Ga,at Village- Baikunthpur, Tehsil- Nautanwa, District- Maharajgaj, U.P.,Leased Area -5.475 ha, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महराजगंज।
4. पुलिस अधीक्षक, महराजगंज।
5. जिला खान अधिकारी, महराजगंज।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No..3764/18../सी0-6/सहमति जल/...../बन्दी/GKP../2024 Dated 09/01/2024

मेसर्स Shri Rakesh Chauhan, Owner, Proposed Project of riverbed Ordinary Sand Mining on the riverbed of Rapti River located at Gata No.-10/2, Block No.- 02,Village- Nadua Lalpur Ehatmali, Tehsil- Sadar, District- Gorakhpur, U.P., (Lease Area: 5.0 ha)

यह कि मैसर्स Shri Rakesh Chauhan, Owner, Proposed Project of riverbed Ordinary Sand Mining on the riverbed of Rapti River located at Gata No.-10/2, Block No.- 02,Village- Nadua Lalpur Ehatmali, Tehsil- Sadar, District- Gorakhpur, U.P., (Lease Area: 5.0 ha) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निदेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, गोरखपुर।
5. जिला खान अधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सी-766

Ref. No....H105431.P /सी0-6/सहमति जल/...../बन्दी/G.K.P:./2024 Dated 09/01/2024

मेसर्स Shri Sanjay Kumar Maddeshiya S/o Shri Shivnath Prasad,
Proposed Ordinary Sand Mining Project from Ganghra river for at Gata No.- 648, Village- Malauli, Tehsil- Gola, District- Gorakhpur, U.P.,Leased Area -5.0 ha

यह कि मैसर्स Shri Sanjay Kumar Maddeshiya S/o Shri Shivnath Prasad, Proposed Ordinary Sand Mining Project from Ganghra river for at Gata No.- 648, Village- Malauli, Tehsil- Gola, District- Gorakhpur, U.P.,Leased Area -5.0 ha,जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, गोरखपुर।
5. जिला खान अधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 05476 /सी0-6/सहमति जल/सी-764/बन्दी/सत्यापित/2024 Dated 09/09/2024

मैसर्स Shri Subedar Yadav S/o Late-Pitamber Yadav,
Vill-Dadwa,Post-Rajgadh, Dist-Gorakhpur Mining
Project- Address- Total Area25.0hect. of Gata No.-1150 of Vill-
Narayanpur, tehsil-Dhanghata, District-Sant Kabir Nagar

यह कि मैसर्स Shri Subedar Yadav S/o Late-Pitamber Yadav ,Vill-Dadwa,Post-Rajgadh, Dist-Gorakhpur Mining Project- Address- Total Area25.0hect. of Gata No.-1150 of Vill- Narayanpur, tehsil-Dhanghata, District-Sant Kabir Nagar जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
4. पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर।
5. जिला खान अधिकारी, सन्तकबीर नगर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. M05417 /सी0-6/सहमति जल/ 21-766 /बन्दी/Gkp/2024 Dated 29/01/2024

मेसर्स Shri Dev Narayan, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Rapti River bed, for located at Block No.-02, Gata No.- 04, Village- Tal Mahulani, Tehsil-Campierganj, District-Gorakhpur, U.P., Lease Area: 5.0 ha

यह कि मैसर्स Shri Dev Narayan, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Rapti River bed, for located at Block No.-02, Gata No.- 04, Village- Tal Mahulani, Tehsil- Campierganj, District-Gorakhpur, U.P., Lease Area: 5.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, गोरखपुर।
5. जिला खान अधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

संदर्भ स0– H05436/सी–7/विविध–370/खनन/बन्दी आदेश/2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Mohammad Arif,Owner, Gohar Neariya, District- Pilibhit, U.P.

यह कि M/s Shri Mohammad Arif,Owner, Gohar Neariya, District- Pilibhit, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, Pilibhit।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त Pilibhit।
5..जिला खान अधिकारी, Pilibhit।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05436 / सी–7 / विविध–370 / खनन / बन्दी आदेश / 2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Mahendra Kumar Agarwal S/o Babulal Agarwal, R/o- Ward No.- 04, Tilak Nagar Khatima,Udham Singh Nagar

यह कि M/s Shri Mahendra Kumar Agarwal S/o Babulal Agarwal, R/o- Ward No.- 04, Tilak Nagar Khatima,Udham Singh Nagar जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी. ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10. 2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, Pilibhit।
4..पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त Pilibhit।
5..जिला खान अधिकारी, Pilibhit।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05436/सी–7/विविध–370/खनन/बन्दी आदेश/2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Anuj Bansal, HN-30, Qazi Zadgan, Moh- Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Bansal Bricks

यह कि M/s Shri Anuj Bansal, HN-30, Qazi Zadgan, Moh- Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Bansal Bricks जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, Bijnore।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त Bijnore।
5..जिला खान अधिकारी, Bijnore।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05436/सी–7/विविध–370/खनन/बन्दी आदेश/2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Pankaj Vesh S/o Shri Ashok, 191, Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Sagar Bricks Works

यह कि M/s Shri Pankaj Vesh S/o Shri Ashok, 191, Katarmal, Tehsil- Chandpur, District- Bijnor, U.P., M/s Sagar Bricks Works जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी. ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10. 2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, Bijnore।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त Bijnore।
5..जिला खान अधिकारी, Bijnore।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05436/सी–7/विविध–370/खनन/बन्दी आदेश/2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Kumar Gupta, R/o- Mohalla- Nausar, Jalalabad District- Shahjahanpur,U.P.

यह कि M/s Shri Rajesh Kumar Gupta, R/o- Mohalla- Nausar, Jalalabad District- Shahjahanpur,U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, Moradabad।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त Moradabad।
5..जिला खान अधिकारी, Moradabad।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05436/सी–7/विविध–370/खनन/बन्दी आदेश/2024 दिनांकः–10.01.2024

पंजीकृत

M/s Shri Malkit Singh, R/o- Math Khera, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P., M/s Baba Deep Singh Enterprises

यह कि M/s Shri Malkit Singh, R/o- Math Khera, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P., M/s Baba Deep Singh Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3..जिलाधिकारी, Rampur।

4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त Rampur।

5..जिला खान अधिकारी, Rampur।

6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H03793 / सी–2 / एन0जी0टी0–66 / 2023 *Date 08.12.2023*

M/s Shri Aditya Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o-House No.-109, Purani Bindki, Fatehpur, U.P. Proposed Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.-159Ka,159Kha,159Gha,113,163,165,Village- Mavaiya Mustakil, Tehsil-Bindki, District- Fatehpur, U.P. (Area – 1.392 ha).

यह कि M/s Shri Aditya Singh S/o Shri Jagdish Singh, R/o-House No.-109, Purani Bindki, Fatehpur, U.P. Proposed Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.-159Ka,159Kha,159Gha,113,163,165,Village- Mavaiya Mustakil, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P. (Area – 1.392 ha). जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4. पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त फतेहपुर।
5. जिला खान अधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720681, 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Prakash Brick Field, Owner, Village-Medua, Tehsil- Ram Sanehighat, District-Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No./Gata No.-985, 1054, 1170 Ga, 909, 913, 916, 978 Jh & 1179 in Village- Medua, Tehsil-Ram Sanehighat, District- Barabanki, U.P.,(Leased Area: 4.202 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sonu Yadav, Owner, R/o- Village- Lokhriha, Nawabganj, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Mine Project" at Khasra No./Gata No.-325, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj , District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.506 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashok Kumar,R/o Village-Chandamau, Tehsil- Ramnagar, Distrct-Barabanki, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed for Soil Mining Project at Khasra No./Gata No.- 221, Village- Daudpur, Tehsil-Nawabganj, Distrct- Barabanki, U.P., Leased Area -0.696 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mahendra Pratap Singh,Director, R/o-380 Manas Enclave CIMAP, Imdira Nagar, Lucknow, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Earth Mining to be in used in "Earth Filling by Ordinary Soil Excavation, at Khasra No.-196, Village-Mohammadpur Kirat, Tehsil-Ramsanehight, District- Barabanki, U.P.,Leased Area -0.5086 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Atul Kumar Singh S/o Shri Amar Singh, R/o- Village- Jata, Barauli, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 311 Ka,Village- Jata, Barauli, District- Barabanki, U.P., (Leased Area-0.421 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarvesh Kumar Yadav, R/o- Village-Sohilpur, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra No./Gata No.- 42, Village- Sohilpur, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P, Leased Area -0.122 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Shubham Yadav, Owner, R/o- Ordinary Earth Mine at Gata No.- 316, Village- Jata, Tehsil- Nawabganj , District- Barabanki,U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Khasra/Gata No.- 316, Village- Jata, Tehsil- Nawabganj , District- Barabanki,U.P., Lease Area: 0.567 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Supendra Singh, R/o-Ordinary Earth Mine At Gata No.- 594, Village- Ruhera, Tehsil- Ramnagar, Barabanki, U.P., M/s Chauhan Enterprises, Area: 0.379 ha,

खनन स्थल–
Proposed Ordinary Earth Mine At Gata No.- 594, Village- Ruhera, Tehsil- Ramnagar, Barabanki, U.P., M/s Chauhan Enterprises, Area: 0.379 ha,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, R/o-Ordinary Earth Mine at Village- Manjhar, Tehsil- Haidergarh, Barabanki,U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine at Gata No. 100 & 101,,Village- Manjhar, Tehsil- Haidergarh, Barabanki,U.P. Area- 1.65 Ha.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amarkesh Yadav, Owner, R/o- Village-Sarai Akbarabad, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, over an area 1.396 ha. in Khasra/Gata No.– 444, 461 & 473Mi in Village-Sarai Akbarabad, Tehsil -Nawabganj, District:-Barabanki, Uttar Pradesh, Lease area-1.619 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajesh Rastogi, R/o- Village- Pachhim Belawn, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine At Gata No. 732, 734 & 736Mi, Village- Pachhim Belawn, Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.3286 Ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashok Kumar Srivastva S/o Late Mathura Prasad , Resident H No. 2/24 Vineet Khand, Gomati Nagar Lucknow, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed simple soil excavation form Gata Nos. 520, 506 at Village- palhari , Tehsil – Navabganj, District - Barabanki, Uttar Pradesh, Area – 0.444 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Lavneesh Gupta, R/o-Village - Mohammadpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 231, 482, 502 & 530 in village Mohammadpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,Area: 0.995 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vivek Verma, R/o- Village- Barel (Bahar Seema), Tehsil-Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, at Khasra/Gata No.– 2711 , village Barel (Bahar Seema), Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area: 0.177 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jung Bahadur, R/o-village- Bahlolpur, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for Soil Mine at Khasra/Gata No.– 1067Ga in village- Bahlolpur, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.410 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mohd. Wahid Ali, R/o- Village-Shahpur, Tehsil-Nawabganj, District Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 31kh, 34kh, 35, 36kh & 39 in village Shahpur, Tehsil Nawabganj,District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 1.487 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
M/s Priyanshi Construction, R/o- Village-Rahramau, Tehsil-Nawabganj, District Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine Project at Khasra/Gata No.– 966, 967 & 968 in village Rahramau, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.775 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Hitendra Verma, R/o- Village-Amoli Hissampur, Tehsil-Ramnagar, District Barabanki, U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Project Soil Mine, Village-Amoli Hissampur, Tehsil-Ramnagar, District- Barabanki, U.P., developed (Applied Area : 1.128),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Singh, R/o- Village-Meerpur, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, developed by M/s K. M. Construction

खनन स्थल–
Proposed of Project Soil Mine, Village-Meerpur, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, developed by M/s K. M. Construction (Jitendra Singh) (Applied Area : 0.809),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Neeraj Kumar, R/o-village Salarpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Project at Khasra/Gata No.–260Ja,260Jha,260La,260Ra & 260Gya in village Salarpur, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh. Area 1.15 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mukesh Kumar, R/o- Village-Barauli, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 311Ka , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sumit Singh, R/o- Salhipur Kanjas, District- Pratagarh, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine, Khasra/Gata No.– 505 , Village- Jata, Tehsil -Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.843 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashish Gupta, R/o- village Rampur joga, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh "

खनन स्थल–
Proposed for our ordinary earth Mine, Khasra/Gata No.– 487, 525mi, 475 & 710 in village Rampur joga, Tehsil Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.8529 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarvesh Kumar Yadav, R/o- Village-Lalpur Majre, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed for our Ordinary earth Mine, at Khasra/Gata No.– 462Ka & 480 , Village- Umrapur Raisaheb, Tehsil- Ramsanehighat, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.390 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajiv Kumar Yadav, R/o- Village- Katra, Post- Jahangeerabad,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary Earth Mine, Khasra/Gata No.– 294, 445, 446, 447 & 462, Village- Sarai Akbarabad, Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 1.71 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Subham Yadav, R/o- village - Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh,

खनन स्थल–
Proposed for our Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 37 & 42, village - Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.774 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Durgesh Kumar, R/o- Village-Chandamau,Tehsil-Ramnagar, District:-Barabanki, Uttar Pradesh.,

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine at Khasra/GataNo.- 272 Da & 289 Mi, Village-Chandamau,Tehsil-Ramnagar, District:- Barabanki, Uttar Pradesh., Area 0.865 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vivek Verma, R/o- Near Rajkiy Inter College, Next To Shankar Ji Mandir, Lakhperabagh, Barel, Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary earthmine, at Khasra/GataNo.-709 atVillage-Chhedanagar,Tehsil-Nawabganj, District-Barabanki, Uttar Pradesh by Vivek verma, Area-0.402 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pratap Singh, R/o- Village- Lokhariha Purwa, Jata, District- Barabanki, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary earth mine at Gata No.- 179, Village- Gehndwer, Tehsil- Nawabganj, District Barabanki, developed by Pratap Singh, (Area- 0.78 ha.)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, R/o- Village- Kareemabad , Malauli, Tehsil- Nawabganj, District - Barabanki,(U.P.)

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth mine at Gata no.- 1179, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 & 1194 Village- Mirzapur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, (Area- 1.435ha.) developed by Sri Ajay Kumar.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit Shukla, R/o-Village- Sonaran Purwa, Chaugava, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth mine at Khasra/Gata No.- 1001, 1015, 1014 & 1010 mi at Village- Mohammadpur, Tehsil- Nawabganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh developed by Ankit Kumar shukla, Area- 2.061 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amarkesh Yadav, R/o- Village- Gopalpur, Majre Mahuamau, Darhara, District- Barabanki, U.P

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth Mine,Khasra/GataNo.– 182, 183, 195 & 198, Village- Sultanpur,Tehsil- Nawabganj, District:-Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.738 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Devansh Singh, R/o- 594 Ka 397 Nilmatha Cant, Lucknow Chhawani, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary earth Mine at Khasra/GataNo.– 292 & 293in village Parsa, Tehsil- Sirauligauspur & District- Barabanki, Uttar Pradesh, Area 0.418 ha. in

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Proposes of Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 466& 471in village-Parsa,Tehsil-Sirauli Gauspur, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.607 ha.

खनन स्थल–
Proposes of Ordinary earth Mine, Khasra/GataNo.– 466& 471in village-Parsa,Tehsil-Sirauli Gauspur, District:- Barabanki, Uttar Pradesh, Area- 0.607 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03789 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Proposed of "Ordinary earth mine"at Khasra/Gata no.- 347 & 365, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki in Area- 0.897 ha. developed by Shri Ramu

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary earth mine"at Khasra/Gata no.- 347 & 365, Village- Jata, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki in Area- 0.897 ha. developed by Shri Ramu

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, बाराबंकी।
5. जिला खान अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03790 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Munaveer Ali, Village- Kiriyara, Tehsil- Mohammdi,District- Kheri, U.P., M/s Khan Bricks Field

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-322, 750, 808, 810, 1478, 411, 1417, 268, 1420, 86, Area- 4.334 ha, at Village- Kiriyara, Tehsil- Mohammdi,District- Kheri, U.P., M/s Khan Bricks Field,(Leased Area: 4.334 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखीमपुर खीरी।
5. जिला खान अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03790 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sarafat Ali S/o Shri Riyasat Ali, R/o-Village- Peerpur, Post- Manikpur, District-Hardoi, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Khasra No.- 777, 785, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 371 & 379, at Village- Jamunia Rana & Rehjania,Tehsil-Mitauli, District- Kheri,U.P.,M/s Qadri Bricks Feild,(Leased Area:3.766 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखीमपुर खीरी।
5. जिला खान अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Indrapal S/o Late Kallu, Nivasi: Borumau, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-65 & Area- 1.727 ha in Village-Borumau, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ran Singh, Propritor, Project at Gata No.- 266, 91, 92, 90, Village- Pashchim Gaon, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation"Project at Gata No.- 266, 91, 92, 90, Village- Pashchim Gaon, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow,U.P.,(Leased Area-1.4875 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sandeep Singh, Village- Sakra Dakshin, District- Ambedkar Nagar, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of " Soil/ Clay Excavative for Brick Kiln Site" at Gata No.-527, 665, 680, at Village-Kurauni, Tehsil-Sarojini Nagar,District-Lucknow, U.P., Leased Area -1.489 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kanhaiya Lal Sharma S/o Shri Lal Babu Singh, R/o- B-603, Shalimar Emreld, Jppling Road, Batlar Palace Crossingh, Lucknow, U.P., M/s NH DRA INFRACON PVT LTD.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 163,165, at Village- Barakhempur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,(Leased Area: 2.751Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sushil Kumar Chandani, R/o- Sikandarpur Banthara, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s Anil Ent Udyog

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-1482, 138, 873, 875, 884, 922, 967 Sa, 854, 915, 972, 977 and 818, at Village- Kurauni, Kishunpur, Kuudiya and Banthara Sikandarpur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s Anil Ent Ud

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sushil Kumar Chandani, R/o-Sikandarpur Banthara, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s S.K. Brick Field

खनन स्थल–
Proposed Brick Earth Mining Project located at Gata No.-728, 749, 725, 315, 317, 682, 722, 703, 706, 244, 247, at Village- Khandedev, Dadupur, Tehsil- Sarojini Nagar,District- Lucknow, U.P., M/s S.K. Brick Field,(Leased Area: 3.825 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Usha Yadav, Village- Sairpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-194,Village- Sairpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.8810 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jagat Pal Singh S/o Shri Om Prakash, R/o- D.S.E.- 962, Sector- C, Jankipuram, District- Lucknow, U.P., M/s Shri O.P. Enterprises

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 624,Village- Rasoolpur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.,M/s Usha Construction Area: 0.6570 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jagat Pal Singh S/o Shri Om Prakash, R/o- D.S.E.- 962, Sector- C, Jankipuram, District- Lucknow, U.P., M/s Shri O.P. Enterprises

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 441,Village- Rajauli, Tehsil-Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Area: 0.8953 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Putti Lal, Ram Prasad, Kailash, Babu Lal S/o Shri Girdhari, R/o- Village- Narharpur, Tehsil- B.K.T.,District- Lucknow, U.P

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.- 320, 222,Village- Salidapur, Tehsil- B.K.T.,District- Lucknow, U.P, (Area: 1.2160 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Nitin Gupta S/o Nanhkau Gupta, Add.-97/53, Behta, Sorojini Nagar, Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-2467 Kha, 2490 Ga, 1212, 1213, Village-Thari, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., Area: 0.975 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Heera Lal Mishra, R/o- Plot No.- 4587, Sector-B, Pocket No.- 5 & 6, Basant Kunj, New Delhi M/s Rail Vikas Nigam Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 134, Village- Naguvamau Khurd, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P., (Leased Area-0.355 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Ravindra Nagar, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 735, 923, Village- Bhaurumau, Tehsil- B.K.T., District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-0.410 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Raibareli Road, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1378, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-1.520 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Shri Naubat Singh, R/o- H.No.- 592 JH/247, Raibareli Road, Telibag, District- Lucknow, U.P., M/s Sadbhav Engineers Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1377 Sa, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.,M/s Sadbhav Engineers Ltd. (Leased Area-0.7850 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Chakresh Jain S/o hri NC Jain, R/o- D-39, Kamla Nagar, Thana- New Agar, District-Lucknow, U.P., M/s PNC Infratech Ltd.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-191, Village- Papnamu, Tehsil- Sadar, District-Lucknow, U.P., M/s PNC Infratech Ltd.(Leased Area-1.35 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 163, 561 & 669, Village- Dhatingra, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.099 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-394, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District-Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.360 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-288, Village- Sonava, Tehsil- B.K.T, District-Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-4.101 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 364, 365 & 367 Village- Parsau, Pargana- Mahona, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.261 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1730/20 & 1730/23, Village- Shipuri, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-0.530 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-1117 & 1141 Ka, Village- Paharpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-1.377 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ravindra Kumar S/o Shri Lotan Singh, R/o- 4/14, Vishal Khand, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 12, 16 Aa, 20 Sa Mi & 21 Sa, Village- Hardaurpur, Tehsil- B.K.T, District- Lucknow, U.P., M/s Arihant Constructions (Leased Area-3.648 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Raj Kumar Singh s/o Shri Hansraj Singh, Add.- 16A/1K, Shubham Nagar NEAR Yojna Nagar, Teshil- Lucknow, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 873, 1029, 1197, Village- Dharurahara, Teshil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.7160 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rakesh Kumar,S/o Shri Jiyalal, R/o-Narharpur, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-369, Village- Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.623 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ram Sagar, Shri Sarvjeet S/o Shri Chandrapal Gupta, R/o- Rajapur, Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-336, Village- Saraura, Tehsil- Bakshi Ka Talab, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-0.5780 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anand Kumar Yadav S/o Shri Jai Prakash Yadav, R/o- Village- Michkura, Tehsil- Milkipur, District- Faizabad, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 826 Sa, Village- Barauna, Tehsil- Sarojni Nagar, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-3.228 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh,R/o- H.No.- 592 Jha/226, Ravindra Nagar, Telibagh, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-350, 351, 1183 Ka, 1307, 1572, 1537, 633, 659, 630, 631, 520 Kha, Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-2.559 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Shalini Singh W/o Shri Uday Pratap Singh, R/o-3/90, Vishwas Khand, Gomti Nagar, District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-53, Village- Nizampur , Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.(Leased Area-1.066 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ram Kunwar S/o Shri Salik Ram, Village- Tant Ka Purwa, Gauriya Kala,Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1819, 1820, 1822, Village- Gauriya Kala,Tehsil- Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-2.238 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Amit Kumar Yadav S/o Shri Ram Kishan, R/o- H.No.- 886, Gomti Nagar Vistar, Sector-05, Gomti Nagar, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1205Kh, located in Village- Jehta,Tehsil- Lucknow, District- Lucknow, U.P. (Leased Area-0.7590 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Bhagwan Deen S/o Matadeen, R/o-Village-Dhanua Saad, Tehsil-Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-963, Village-Dhanua Saad, Tehsil- Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.(Leased Area-1.631 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Surendra Singh S/o hri Ved Ram Singh, R/o- 617/1604, Digdiga, Vishal Khand Gomti Nagar, District- Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-678, located in Village- Sadrauna, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-3.428 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Sunil Kumar Mishra,R/o- 27 Jalvau Vihar, Sector-L, Ashiyana,District-Lucknow,U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 518, 529 Sa, 540, located in Village- Palenhada, Tehsil -Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. , M/s Ambay Build Infra Pvt. Ltd., (Leased Area-1.423 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rajeev Kumar Singh S/o Naubat Singh, R/o-H.No.+592 Jha/247, Raebareli Road, Telibagh, District- Lucknow, U.P., M/s Rajeev Associates

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-548 Jha, located in Village- Kaliya Khera, Tehsil - Sarojini Nagar, District- Lucknow, U.P. ,M/s Rajeev Associates, (Leased Area-4.87 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Rajkumari D/o Shri Ram Lakhan, R/o-Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District-Lucknopw, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Khasra No.-114, located in Village-Malaha, Tehsil-Malihabad, District- Lucknow, U.P..(Leased Area-0.511 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Gaurav Rajpal S/o Shri Anand Rajpal, R/o- Near St. Basil School, Khiri Ghat, Tehsil- Basti, District- Lucknow, U.P.,M/s Rajpal Traders and Packagers

खनन स्थल–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.- 1421, 1428, 1429,Village- Malaha, Tehsil- Malihabad, District- Lucknow, U.P., (Leased Area- 1.6503 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ritesh Singh S/o Rajesh Singh, R/o-F-11, Kanti Puram, Kanchanpur, Matiyari,Dewa Road, Chinhat, District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 855, located in Village-Raipur Raja, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.4480 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ritesh Singh S/o Rajesh Singh C/o Smt. Garima Singh, R/o- F-11, Kanti Puram, Kanchanpur, Matiyari,Dewa Road, Chinhat, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No.- 312, located in Village-Sultanpur, Tehsil-B.K.T, District- Lucknow, U.P.,M/s SVGS Enterprises Leased Area -0.7344 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–

खनन स्थल–
Proposed"Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.– 757, Village- Kuroni, Tehsil- Sarojani Nagar, District- Lucknow, U.P., Lease area-0.7160 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sandeep Kumar Singh, R/o-D-2226, Indira Nagar,Lucknow, U.P., M/s Ujjwal India Enterprises. "

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Mining project at Gata No- 95, 79Ka, 79Kha Village-Chaurahiya, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow, U.P.,M/s Ujjwal India Enterprises, Lease area-0.56 ha.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Subhanshu Pratap Singh, R/o-13 Bhola Vihar Colony Sitaput Madiyaon Tehsil-Bakshi ka Talab,District-Lucknow,U.P., M/s Shree Balaji Infratech and Developer

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Excavation Mining Projec at Gata No.-602, 62/1, Villag-Shivpuri, Tehsil-Bakshi ka Talab,District- Lucknow,U.P.,M/s Shree Balaji Infratech and Developer,(Lease Area: 1.804 ha),

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kamal Kishor, R/o- ,Village-Gauriya kala, Tehsil-Mohanlalganj, District-Lucknow,U.P.,

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mine, at Khasra No.-1531ja & 1609ka ,Village-Gauriya kala, Tehsil-Mohanlalganj, District- Lucknow,U.P., developed by Shri Kamal Kishor, 1.53 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Buddha Lal, R/o- -Village-Dada Sikandarpur, Gadiana, Tehsil-Mohanlalganj , District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-225, in Vill.: Dada Sikandarpur, Tehsil: Mohanlalganj, District- Lucknow, Uttar Pradesh. (Lease Area: 0.914 Ha.)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03788 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Basanti Tripathi W/o Shri Shivakant Tripathi, Add.-617K/359, Dwivedi Niwas, Vikas Khand-3, Gomti Nagar, Lucknow Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-701/2, 701/3, 835 in Village: Kolwa Bhanora, Tehsil: Malihabad, District- Lucknow, Uttar Pradesh. Area-0.879 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. जिला खान अधिकारी, लखनऊ।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rambachan S/o Shri Baizu, R/o- Village- Dhuriya, Post- Gadaicha, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Soil Execavation" Project at Gata No.- 180, 166/2, 165, 167, 168, 169, 171/2, 171/2, 172, 235/2, 176, 390,318, 207, 195, 196, 159, 163, 10/2, 273, 274 Ka, Village- Murtajanagar, Tehsil- Mahoodabad, District-Sitapur,U.P.,(Leased Area-2.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vinod Kumar S/o Shri Hardwari Lal, R/o- Village- Dhakhiya Aeliya, Thana-Imaliya Sulatanpur, Tehsil & District-Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 313 Ka, 314, 316 Ka, 317, 334 Ka, 189, 432 Ka, 40, Village- Angrasi,Tehsil & District-Sitapur, U.P., (Leased Area-0.9805 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Naimish Kumar S/o Shri Ram Kishan, R/o- Chichahi, Post- Madhwapur, Kamlapur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-90, 353, 478 Ka, 549, 572 Ga, 585, 587, 612, 613, 691, 705, 777, 778 Ga, Village- Khapura, Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-2.183 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Rishpal Singh /o Shri Sukhdev Singh,
R/o- Keshav Green Nagar, Ahata Kaptan,
Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 03, 97, Village- Singhariya,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-1.219 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pradeep Tiwari S/o Shri Rameshwar Tiwari, R/o-Mo.- Behati Laharpur, Tehsil-Laharpur , District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.- 809, 811, 813, Village- Ramnagar,Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Leased Area-0.518 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kumar Awasthi S/o Shri Uttam Kumar Awasthi, R/o- Village- Fattepur, Moh.- Nabinagar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-1238, 1241, 1243, 1254, 1252, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.(Leased Area-0.593 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sanjay Singh S/o Shri Rampal Singh, R/o-H.No.-C-15, Awas Vikas Colony, Tehsil & District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-735, 732 Kha, 734 Kha, 732 Ka, 734 Ka, 699, Village- Neri, Tehsil & District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.801ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Geeta Shukla W/o Shri Vimlesh Shukla, R/o- Ranikothi, District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-7, 373, 374, 585, 587, 588, 589, 620, 692, 693, 706, 808, 809, 812, 463, 464, 467, 468, 469, 501, 683, 60, 481, 204, 338 ka , 279, 281 ka, 341, Village-Khapura, Tehsil & District- Sitapur, U.P.,

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Geeta Shukla W/o Shri Vimlesh Shukla, R/o- Ranikothi, District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth" Mining Project located at Gata No.-125 mi, 1238 mi, , Village-Dhanai Khera, Tehsil & District- Sitapur, U.P., M/s Ramraj Construction, (Lease Area: 1.295 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine Project from Khasra/Gata No.-486 Kha & 486 Gha, at Village-Chilvara(Khairabad), Tehsil & District- Sitapur, U.P.,(Leased Area: 4.028 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ajay Kumar, Owner, R/o- Maharaj Nagar, Mudrasan,Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ajay Soil Mining Project (Category B2) from Khasra No.-447, Village- Tahpur, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.591 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ranbachan S/o Shri Baizu, R/o + Village- Dhuriya, Post- Gadaicha, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Eccavation Project at Gata No.-176, 166/2, 167, 168, 169, 171/2, 135/2, 318, 172, 207, 195, 196, 180, 390,, Village- Murtajanagar, Tehsil- Mahmoodabad, District- Sitapur, U.P., (Lease Area:2.176 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pawan Kumar S/o Shri Uttam Kumar,R/o- Village- Raipurganj, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Mining Project at Gata No.-1288, 1289, Village- Katesar, Tehsil- Laharpur, District- Sitapur, U.P., (Lease Area: 0.562 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Umesh Kumar Giri, Owner, R/o- Geet Vihar,Deeddaylpuram, Indira Nagar, Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Umesh Soil Mining Project (for category B2) at Gata No.- 122/1, Village- Dhanaikheda, Tehsil & District- Sitapurr, U.P., Leased Area -1.00 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashfaq Ahmad, R/o- village- Narhi, Tehsil & District:- Sitapur, Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed for our Soil Mine, over an area 1.037 ha. in Khasra/Gata No.– 307, 764, 766, 668, 671, 682Ga, 749Kha, 750Ga, 779kha & 780Kha in village- Narhi, Tehsil & District:- Sitapur, Uttar Pradesh.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Arjit Shukla Ramraj, R/o-Coal Movers And Logistics Mohalla Navinagar, Rani Kothi, Butsganj Sitapur, Uttar Pradesh

खनन स्थल–
Proposed of Ramraj Coal Soil Mining Project Village- Dhanaikheda, Tehsil Sitapur, District Sitapur, State-Uttar Pradesh Area – 3.035 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Arvind Kumar S/o Shri Ram Asre R/o: Village- Hardoi Chungi, Krishna Nagar District- Sitapur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Soil Excavation from Gata No.- 03, 97 Village-Singhariya, Tehsil & District- Sitapur, U.P. (Area – 1.219 ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03791 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Dhirendra Pratap Singh S/o Shri Jaykaran Singh R/o- Village-Magraura ,Tehsil- Sidhauli District- Sitapur Uttar Pradesh.

खनन स्थल–
Proposed Soil Excavation Project at Gata No.- 195, Village- Badi, Tehsil- Sidhauli, District- Sitapur, U. P., Area: 0.392 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सीतापुर।
5. जिला खान अधिकारी, सीतापुर।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Abimanyu Choudhury S/o Shri Naresh Choudhury, Director, W 21 1st Floor Rajori Garden, New Delhi, M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd.

खनन स्थल–
Katri Hariharpur Ehatmali Sand/Morrum Mine on Ganga River at Gata No.-102, Village- Katri Hariharpur Ehatmali, Tehsil- Sadar District-Unnao, U.P., Lease Area: 15.089 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishore Dawivedi S/o Shri Maharaj Narayan Dwivedi, R/o- 972, Indra Nagar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of mining permit for Simple Soil Excavation form Khasra/Gata Nos.2035, Khand No. 777, Area– 2.897 ha at Village- Hadaha, Tehsil & District - Unnao, Uttar Pradesh

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Pradeep Kumar Dixit S/o Shri Mahesh Kumar Dixit, Address- 167, Kevta Talab, Civil Line, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Simple Soil Mine Excavation from Khasra/Gata No.- 247, 249, 86, 90 & 91, Area- 0.687 ha, at Village- Devarakhurd, Tehsil & District- Unnao, U.P.,(Leased Area: 0.687 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Gopal Pandey S/o Shri Gauri Shankar Pandey, R/o- H.No.- Old 622, New 1000, D.S.N. College Road, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ganga River located at Gata No.-286, Village - Katari Pariyar, Tehsil & District- Unnao, U.P.i, U.P., Sanctioned Lease Area - 26.0566 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anand Kumar S/o Shri Jai Prakash Yadav, R/o- Village- Michkura Mahulara, Tehsil- Milkipur, District- Faizabad, U.P., M/s Maa Vindyawashini Builders

खनन स्थल–
Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-79, located in Village-Barha, Tehsil- Purwa, District-Unnao, U.P. ,M/s Maa Vindyawashini Builders,(Leased Area: 1.2715 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Nadu S/o Shri Babu Lal, Add.- Jawahar Nagar, Khurd-Kotwali, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Excavation Project" at Gata No.- 115, 119, 127, Villae- Dewara Khurd, Tehsil- Unnao, District- Unnao,U.P.,Leased Area -0.866 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sanjay SinghChauhan S/o Shri Brijbhan Singh Chauhan, R/o- Banthara Sikandarpur, District- Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Mining Permit for Simple Soil Excavative(Period- 3.0 month) Project at Gata No.-353, at Village-Lala Khera Majra Paharpur, Tehsil-Purwastrict- Unnao,U.P.Leased Area -0.5566

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit Singh, Village- Magarwara, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavative Project" at Gata No.-147, 148, at Village-Dewra Khurd,Tehsil & District- Unnao, U.P., Leased Area -0.354ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Kamlesh Chaurasiya S/o Shri Ram Narayan, R/o- 248/2, Lok Nagar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 1332,at Village- Sudesha Bahadur, Tehsil- Unnao, District- Unnao, U.P.,,(Leased Area: 0.481 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Mohd.Armaan S/o Shri Mohd Usmaan,
R/o- Village- Saharawa, Tehsil- Purwa,
District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Gata No.-183,Village- Datauli, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P., Area: 0.261 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Vishvash Opratap Singh, Owner,
Manikapur, Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Earth Mine " at Khasra No./Gata No.- 1165 & 1166, Village- Baunamau, Tehsil- Sadar , District-Unnao, U.P., , (Leased Area-0.4390 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Shailendra Singh, Owner, Gurudhari
Unnao, Safipur, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Soil Mine" at Gata No.- 489 & 497, Village- Jujharpur, Tehsil-Safipur, District- Unnao, U.P., (Leased Area-2.548 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
M/s Gawar Construction Ltd.,Owner, Gurgaon, Haryana

खनन स्थल–
Proposed Ordinary Earth Mine over an area 4.958 ha in Khasra No./Gata No.- 171 Ka & 171 Kha in Village- Banigon, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P.,Leased Area -4.958 ha

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Charu Chandra Srivastava S/o Late Shri S.B. Srivastava, R/o- Mohalla-Rakabganj, Tehsil- Sadar, District-Lucknow, U.P.

खनन स्थल–
Proposed " Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-4936, Village- Kantha, Tehsil- Purwa, District- Unnao, U.P., (Leased Area-1.329 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Anuj Jaiswal S/o Late Shri Satya Narayan Jaiswal, R/o- Village & Post- Ajgain, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Brick Earth Mining Project" at Gata No.- 6420, 6422, 4171, 6419, 6443, 2014, 1407, 1408, 1409, 1673, 1, located at Village- Baoli, Jansar, Rainapur, Kaithan Khera & Dariyapur, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P., M/s Vipin Brick Field, (Area

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jai Chand Singh, S/o Shri Shiv Narayan Singh Vill: Hanuman Colony, Sufipura, Distt: Bahraich,U.P.

खनन स्थल–
Proposed Riverbed Sand Mining Project from Ganga River located at Gata No.-13 Mi,over an area of 5.3660 ha situated in Village - Manpur Ahatmali, Tehsil- Beeghpur, District- Unnao, U.P., U.P., Sanctioned Lease Area - 5.3660 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sunil Kuymar,Owner, R/o- Banthar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Soil Excavation Project at Gata No. - 1615, 1617, 1617Mi, 1597, 1619Mi, 1698Mi & 1699Mi, Village- Aanta, Pargana Hadha,Tehsil & District- Unnao (UP), Area: 1.018 Ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sunil Kuamr Yadav S/o Shri Surajbhan Yadav, R/o- Village & Post- Sarosi, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Earth Excavation Project" at Khasra/Gata No.-206, located at Village & Post-Sarosi, Tehsil & District- Unnoa, U.P. (Area:0.4050 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishor Dewedi S/o Shri Mahraj Narain Dewedi, R/o- H. No.-972, Indira Nagar, Thana- Sadar, Tehsil- Sadar, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Ordinary Earth Earth Excavation from Khasra/Gata No.- 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, Area-0.759 ha, at Village- Kushalpur Vasaina, Tehsil & District- Unnao, U.P.,(Leased Area: 0.759 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ankit S/o Shri Jay Shankar,R/o-Village- & Post- Banther, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed "Ordinary Soil Execavation Project" at Gata No.-1038, 1033, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047,Village-Aata, Tehsil- Sadar, District-Unnao,U.P.(Leased Area-0.8377 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Akshat Singh, R/o- A BEE City 99, Type- 2 Colony, A B Nagar, District-Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of Soil Mine located at Khasra/Gata No.-356, 357, 358 & 359, Village- Hadha, Tehsil & District-Unnao, U.P., (Leased Area-1.2335 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Kumar S/o Shri Ramesh Chandra Sahu, R/o-Lohcha, Haraha, Achalganj, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.- 918Kha, 921Ka, Village- Himmatgarh, Tehsil- Hasanganj, District- Unnao, U.P. (Area – 1.075 ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Brij Kishor Dwivedi, R/o- H No 972 Indra Nagar Thana Sadar Tehsil- sadar, District - Unnao UP,

खनन स्थल–
Proposed "Simple Soil Execavation Project"(Period 6.0 month) at Gata No.-1892, Village- Benther, Tehsil & District- Unnao, U.P., (Leased Area-1.265 Ha)

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sudheer urf Anuj Sharma S/o Shri Rajkumar Sharma R/o: Village- Sheshpur Nari, Tehsil & District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed for Soil Excavation from Gata No.- 1679, 1683, 1684 Village- Aata, Tehsil & District- Unnao, U.P. (Area – 0.853ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Smt. Kamlesh Kumari, R/o- 7/60, Katra, Tehsil- Bangarmau, District- Unnao, U.P.

खनन स्थल–
Proposed of "Ordinary Soil Excavation Project" at Gata No.- 116, Village- Kakraora, Tehsil- Safipur, District- Unnao, U.P. (Area – 1.0120 ha).

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No… H 03792 /C-5/125/O.A.-393/2023 ***Date 08.12.2023***

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Jitendra Kumar S/o Ramesh Chandra Sahu, R/o- Lohcha, Haraha, Achalganj

खनन स्थल–
Proposed for Ordinary Earth Mining at Gata No.-1063, at Village- Mahnaura, Tehsil- Hasnganj, District-Unnao, U.P., Lease area-0.6900 ha.

यह कि उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा उक्त स्थल पर खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उन्नाव।
5. जिला खान अधिकारी, उन्नाव।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 03797 / वृत्त–6 / सा0– 766 / बन्दी आदेश / 2023 *Date 08-12-2023*

सेवा में,

M/s Gammon Engineers & Contractors Pvt. Ltd.
Soil Execavation Project, (Leased Area-3.123Ha) at Gata No.-293, 300,
Village-Paranapur, Tehsil- Sadar,
District- Varansai, U.P.

यह कि M/s Gammon Engineers & Contractors Pvt. Ltd. Soil Execavation Project, (Leased Area-3.123Ha) at Gata No.-293, 300, Village-Paranapur, Tehsil- Sadar,District- Varansai, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176 / 2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ....."

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई. / सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन / संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा / पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
5. जिला खान अधिकारी, वाराणसी।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03787/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Nisha Dulvani S/o Harvansh Dunwani,
R/o- H.No.- 19, Madhuban Colony, Mohalla Nai Basti,
District- Pilibhit, U.P., M/s Shri Om Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Nisha Dulvani S/o Harvansh Dunwani, R/o- H.No.- 19, Madhuban Colony, Mohalla Nai Basti, District- Pilibhit, U.P., M/s Shri Om Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, पीलीभीत।
5..जिला खान अधिकारी, पीलीभीत।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03787/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rais Ahmad S/o Munne Ansari,
R/o- Saraini Tirkunia, Amaria,District- Pilibhit, U.P., M/s Singh Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rais Ahmad S/o Munne Ansari, R/o- Saraini Tirkunia, Amaria,District- Pilibhit, U.P., M/s Singh Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, पीलीभीत।
5..जिला खान अधिकारी, पीलीभीत।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Shivendra Singh, Ambedkarnagar, District- Shahjahanpur,U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Shivendra Singh, Ambedkarnagar, District- Shahjahanpur,U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur,U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur,U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Kumar erma S/o Shri Chote Lal Verma
R/o-Village-Gadhiya Saraili,Tehsil- Puwayan, District-Shahahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Kumar erma S/o Shri Chote Lal Verma R/o-Village-Gadhiya Saraili,Tehsil- Puwayan, District-Shahahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Deepu Gupta,
R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Deepu Gupta,
R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Deepu Gupta, R/o- Madan Nagar, Jalalabad, District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Gurudev Mishra,
District- Shahjahanpur , U.P., M/s Satya Om Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Gurudev Mishra, District- Shahjahanpur , U.P., M/s Satya Om Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Arivind Verma,
District- Shahjahanpur, U.P., M/s Balaji Construction and Supplier
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Arivind Verma, District- Shahjahanpur, U.P., M/s Balaji Construction and Supplier जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Ashi Parveen,
R/o- Khudaganj, Nayaganj,District- Shahjahanpur, U.P,
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Ashi Parveen, R/o- Khudaganj, Nayaganj,District- Shahjahanpur, U.P, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Mohd Jahid,
R/o- 94, Bhangshan Miranpur Katar, Tehsil- Tilhar,District- Shahjahanpur,
U.P,M/s Hira Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Mohd Jahid, R/o- 94, Bhangshan Miranpur Katar, Tehsil- Tilhar,District- Shahjahanpur, U.P,M/s Hira Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Mumtaz,
R/o- 130 Umarpur,Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Sabri Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Mumtaz, R/o- 130 Umarpur,Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Sabri Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Taj Mohammad,
R/o- Dhakiya Hamidnagar, District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Chand Brick Field
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Taj Mohammad, R/o- Dhakiya Hamidnagar, District- Shahjahanpur, U.P, M/s Chand Brick Field जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Smt. Mamata Agarwal,
R/o- 90 Ka cha Katra,District- Shahjahanpur,
U.P, M/s Singhal Ent Udyog
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Smt. Mamata Agarwal, R/o- 90 Ka cha Katra,District- Shahjahanpur, U.P, M/s Singhal Ent Udyog जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Kuldeep Singh,
R/o- Kasbhara, Tehsil-Puwanya,
District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Kuldeep Singh, R/o- Kasbhara, Tehsil-Puwanya,District-Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh KumarVerma. Owner,
R/o- Gadhiya, Sareli lalpur,District- Shahjahanpur, U.P.,
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh KumarVerma. Owner, R/o- Gadhiya, Sareli lalpur,District-Shahjahanpur, U.P., जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Kumar Verma, S/o Shri Chotte Lal verma,
Village: gadhiya sareli, lalpur, Shahjahnpur, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Kumar Verma, S/o Shri Chotte Lal verma, Village: gadhiya sareli, lalpur, Shahjahnpur, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Harsh Raj Tiwari,
R/o- Village: siktiha, Lakhimpur kehri, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Harsh Raj Tiwari, R/o- Village: siktiha, Lakhimpur kehri, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Sachin Kumar,
R/o- Village: Badagaon, Puwanya, Shahjahnpur, U.P
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Sachin Kumar, R/o- Village: Badagaon, Puwanya, Shahjahnpur, U.P जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Chotelal,
R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shree Kant Verma,
R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shri Rajesh Chotelal,
R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P.
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shri Rajesh Chotelal, R/o-Village – Daulatpur Mu. , District- Shahjahanpur, U.P. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H03786/सी–7/विविध–370/खनन/2023 ***Date : 08-12-2023***

पंजीकृत

M/s Shree Kant Verma,
R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises
Mob No. : 7839891950

यह कि M/s Shree Kant Verma, R/o- Nizampur Gautiya, Shahbaznagar, M/S Shree Shyamji Enterprises जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"……15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ……"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1..आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2..सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2..सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3..जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4..पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, शाहजहांपुर।
5..जिला खान अधिकारी, शाहजहांपुर।
6..मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Annexure-4

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
"खनिज भवन," लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

संख्या– 1753/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2022 दिनांक 26/ दिसम्बर 2023

विषयः–मा0एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्याः 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को अपराह्न 12:30 बजे पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी042203/सी–6/सा0–766/ओ0ए0–176/23 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा 210 खनन ईकाइया जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय की ई–मेल cmo.lko62@gmail.com से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई–मेल ceo6@uppcb.in पर दिनांक 14.12.2023 को निदेशालय के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित 210 खनन पट्टे/परमिट की सूची जो की वर्तमान में संचालित नहीं है, प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु ई–मेल की छायाप्रति व सूची संलग्न है।

भवदीय,
26/12/23
(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या– ——/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
"खनिज भवन," लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

संख्या– — /एम0–एन0जी0टी0 वाद/2022 दिनांक 26/ दिसम्बर 2023

विषयः–मा0एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्याः 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को अपराह्न 12:30 बजे पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी042203/सी–6/सा0–766/ओ0ए0–176/23 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा 210 खनन ईकाइया जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय की ई–मेल cmo.lko62@gmail.com से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई–मेल ceo6@uppcb.in पर दिनांक 14.12.2023 को निदेशालय के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित 210 खनन पट्टे/परमिट की सूची जो की वर्तमान में संचालित नहीं है, प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु ई–मेल की छायाप्रति व सूची संलग्न है।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या–1752/एम0–एन0जी0टी0 वाद/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।

26/12/23

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

2531

Gmail

Chief Mines Officer DGM <cmo.lko62@gmail.com>

list of mining leases which has been cancelled/expired

1 message

Chief Mines Officer DGM <cmo.lko62@gmail.com> Thu, Dec 14, 2023 at 6:27 PM
To: ceo6@uppcb.in

Respected sir

PFA

MX-M265NV_20231214_205853.pdf
9833K

BEEN CANCELLED/ [illegible]

Sl.No.	Name & Address of Mining lease	Name of District	MINERAL	REMARK
1	Shri Nagebdra Singh, R/o - MIG-02 Mahabalipuram, Kanpur Nagar, U.P., M/s Vaishnavi Enterprises, River Ordinary Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-2Mi, Area 26.00 Acre (10.50 Ha) , Village- Katari Sunaudha, Tehsil- Bilhaur	Kanpur Nagar	SAND	LEASE CANCELLED
2	Shri Suresh Chandra Dani (Prop.), R/o-Gaujajali, Bichli Haldawani, District-Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along Ganga river, at Gata No.- 72, at Village/Ghat- Katri Manpur, Tehsil- Sadar, District-Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha	Farrukhabad	SAND	LEASE CANCELLED
3	Shri Subodh Shukla, R/o- Bagkuchha, District- Farrukhabad, M/s R.C. Construction Company, Mining of Minor Mineral (Ordinary Sand), at Plot No.-970 Ka, 1162, Village- Bhaupur Chaurasi, Tehsil- Amritpur, District-Farrukhabad, U.P., M/s R.C. Construction Company, (Leased Area-7.194 Ha)	Farrukhabad	SAND	LEASE CANCELLED
4	M/s Moti Construction Company, R/o-405 Kh, Naya Patel Nagar, Tehsil- Orai, Distrcit- Jalaun, River Sand Mine, at Khasra No.- 698K, 699 & 721, Village-Katri Ludhwa Khera (Rani Ghat), Tehsil - Sadar, District.- Kanpur, U.P.,M/s Moti Construction Company, (Leased Area-21.58 Ha)	Kanpur Nagar	SAND	LEASE CANCEELED
5	Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, River Bed Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-1598 Cha, Village-Samuhi, Tehsil- Ghatampur, District-Kanpur Nagar, (Leased Area-27.5 Ha)	Kanpur Nagar	SAND	LEASE CANCEELED

6	Shri Sudhakar Katiyar, Owner, R/o-Village- Maseni, Tehsil- Farrukhabad, District-Farrukhabad Proposed River Bed Sand/Morrum Mining in River Ganga at Village-Bhithaura, Gata No.-AS-1, Gata No.- 771/1/9 to 771/2/9, Area- 12.0 ha(29.65 Acres) at Village- Asani, Tehsil-Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., Lease Area: 12.0ha	Fatehpur	SAND	LEASE CANCELLED ON 30-04-2020
7	Shri Ravendra Singh Chauhan, Owner, 440, Near National Convent School, Lalitpur, U.P., Padwa River Sand Mine at Araji No.- 01, at Villge- Padwa, Tehsil-Mahaoni, District- Lalitpur, U.P., M/s Ramraja Minerals, Leased Area -2.60 ha	Lalitpur	SAND	LEASE CANCELLED
8	Sri. Brijendra Singh, Village-Nrew Ramnagar Orai, Tehsil-Orai, District-Jalaun, Sand/Morum Mining Project at Gata No-860/19, Village-Simiriya, Tehsil-Orai, District Jalaun (Leased Area 3.112 Hac)	Jalaun	SAND	LEASE CANCELED
9	M/s MHG Landstockist Pvt. Ltd.- Sand Mining located at Gata No-212 ,216-224, 232-246, 379, 381-385, 391,392, Khand No.-03, Village- Subhanpur, Tehsil-Khekra, Distt.-Baghpat	Bagpat	SAND	LEASE NOT EXISTING
10	M/s Manish Chauhan- Sand Mining located at Gata No.-1/2/1, Village-Badarkha Salarpur, Tehsil- Badaut, Disst.-Baghpat, U.P.,	Bagpat	SAND	LEASE NOT EXISTING
11	M/s HSM HOLDINGS Village-Sankroud, Tehsil- Khekra, DistrictBaghpat	Bagpat	SAND	LEASE NOT EXISTING
12	M/s MANGAL INFRA REALTY PVT LTD KHASRA NO 1/2, VILLAGE GAURIPUR KHADAR, DISTRICT AND TEHSIL BAGHPAT	Bagpat	SAND	LEASE NOT EXISTING
13	M/s Apollo Retailers Pvt. Ltd., Gata No.-1/2, Village- Chaprauli Khadar, Tehsil-Badaut, District-Baghpat, U.P.,	Bagpat	SAND	LEASE NOT EXISTING
14	Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 4.213 ha (10.41 acre) along River Yamuna in Gata No.-1671 & 674, at Village- Issopur Khurgan, Tehsil- Kairana, District- Shamli, U.P., (Leased Area-4.213 Ha) Shri Manju Singh W/o Shri Jay Kumar Singh, R/o- 502, Awas Vikas, District-Fatepur	Shamli	SAND	LEASE CANCELLD ON APRIL 2023

15	Mr Mohammad Ali S/o Late Mr Fakir Mohammad	Bulandshahr	SAND	LEASE CANCELLED ON 12-07-2021
16	Mr Jitendra S/o Mr Aan Singh	Bulandshahr	SAND	LOI CANCELLD
17	Smt. Dolly Garg, W/o Shri Brajesh, R/o - H.No.- 12/40, Nagala Udaiya Road, Kheragarh, Distt.- Agra, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining (Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining located at Gata No.-1,2, Village-Sawami Ahatmali, Tehsil- Sadar, Disst.-Agar, U.P., M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining, Lease Area 6.07 Ha)	Agra	SAND	LEASE EXPIRED ON 30-01-2023
18	Shri Arun Kumar S/o Late Shri Rambilash Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P., M/s Rishabh Herbal Pvt. Ltd.(Akbara-2 Ordinary Sand Mining at Yamuna River" Project at Gata No.-1175 Sh, Village- Akbara-2, Tehsil- Kirawali, District- Agar, U.P.,(Leased Area: 8.09 Ha))	Agra	SAND	LEASE EXPIRED ON 19-06-2023
19	Shri Ram Gopal Chaudhary S/o Shri Kaloo Ram Chaudhary, H.No.-162/2 Vijay Nagar, Gali No.-2, District-Etawah (River Bed Ordinary Sand Mining Project from Yamuna River for M/s R G Construction located at Gata No.-63/2, Village- Karmana, Tehsil- Agra, District- Agra, U.P., Sanctioned Lease Area: 6.07 ha)	Agra	SAND	LEASE EXPIRED ON 22-05-2023

20	Shri Harivansh Lal Verma S/o Bhagoti Prasad Verma, Owner, Village-Dhem, P.O.- Bhambuwa , Tehsil-Colonelganj, District- Gonda, U.P. (Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ankur Construction, located at Gata No.- 1064 Mi, Village- Madra, Tehsil-Agar, District- Agar, U.P., Lease Area: 6.07 ha (6.07 acre),)	Agra	SAND	LEASE EXPIRED ON 14-06-2023
21	Shri Dhrmveer Gupta, A-3, 1996, New Civil Lines, Indra Prasad, Hordoi	Hardoi	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED ON 19-02-2023
22	Shri Sunita Singh W/o Shri Pawan Kumar Singh, R/o- B- 708, Sector-C, Mahanagar, Lucknow, U.P.	Hardoi	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED ON 15-02-2023
23	Shri Rajveer singh S/o Shri Veerendra Singh, 122/1 Kailashpuri, Sandi Road, Distt.-Hardoi, U.P., M/s Awadh Construction	Hardoi	SAND	EC CANCEELD
24	Shri Ashish Kumar Pandey S/o ShriAnil Kumar Pandey, R/o-Anang Behta, Tehsil-Sadar, District- Hardoi, U.P.	Hardoi	SAND	PERMIT PERIOD EXPIRED ON 09-02-2022
25	M/S Raalpur Ordinary Sand Mining Project Gata No. 1436/22, 1437, Khand no. 1/A, Vill. Raalpur, Tehsil Lalganj, Raebareli	Raebarcli	SAND	LEASE CANCELD ON 28-03-2022
26	Proposed River Bed Sand Mining Project from Gomti River located at Gata No.- 182 Mi, 184, 186, 199 Kh, 200, 201,203 Mi, Village- Jheejha Mau, Tehsil-Nawabganj, District- Barabanki, U.P., (Total Lease Area: 5.238 ha)	Barabanki	SAND	LEASE CANCELLED
27	Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River for M/s Laxmi Dev, located at Khand No.- 02, (Gata No.-498 Jha), Village- Udhaiya, Tehsil- Ramnagar, District- Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area: 12 ha,	Barabanki	SAND	LEASE CANCELLED

28	Proposed Project of Ordinary Sand Mine at Gata No.- 1 Gh, Village- Kothri Gauriya, Tehsil- Sirauligauspur, District- Barabanki,U.P., Lease area-2.1833 ha.	Barabanki	SAND	LEASE CANCELLED
29	Proposed of Riverbed Ordinary Sand mine, Village Kothri Gauriya (Gata No.- 685/2/1, 685/2/2, 758/3, 674, 675/1, 758/1 & 758/1) Tehsil- Sirauli Gauspur & District -Barabanki, Developed By Shrimati Bhanmati, Area 1.6035 Ha	Barabanki	SAND	LEASE CANCELLED
30	Sand/ Mining Project at Gata No.- 1105 Mi, 1328 ka, 1104 Mi, 1325, Village- Raghunathpur, Tehsil-Misrikh, District- Sitapur, U.P., M/s Kamal Enterprises, Lease Area 10.132 Ha	Sitapur	SAND	LEASE CANCELLED ON 17-06-2020
31	River Bed Sand Mining in River Kadhina at Gata No.- 325, 348, 356, 357, 360, 391, Area- 7.315 ha, Village- Bhithaura Bahadur Nagar, Tehsil- Moholi, District- Sitapur, (Leased Area-7.315 Ha)	Sitapur	SAND	LEASE CANCELLED ON 28-01-2020
32	Proposed Ordinary Sand Mining Project at Gata No.-21 Ka/20,at Village- Manjha Setuhee, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, U.P.,Leased Area -1.0720 ha,	Sitapur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED ON 01-11-2021
33	M/s Aradhya Enterprises, Prop. Shri Ajay Kumar Singh, Mining area-vill-Sonauli Mohmmadpur, Gata no-6186JA, (Area in Hec-6.00), Tahsil-Tarabganj, Gonda.	Gonda	SAND	LEASE EXPIRED ON 30-04-2023
34	Shri Ajit Kumar Mishra S/o Shri kailash nath Mishra, Civil Line, Balrampur, Mining Project Address-Total Area2.387hect. of Gata No.- 5, 7क, 30क मि, 28 of Vill- Ahlad Nagar, District- Balrampur	Balrampur	SAND	LEASE CANCELED

35	Proposed Project of River Bed "Sand/Morrum Mining"on the river bed of Ganga River, at Gata No.-1255 Ka (Area 15 ha) in Village-Bara, Tehsil- Sewrai, Distt.- Ghazipur	Ghazipur	SAND	LEASE CANCELLED ON 29-06-2019
36	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Tejaswa Gas Service Sand Mining at Gata No-2, Village-Gangbarar Tari, Tehsil- Zamania Distt.-Ghazipur	Ghazipur	SAND	LEASE CANCELLED ON 29-06-2019
37	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of M/s Rajesh Prasad Yadav and Son located at Arazi No.-2, Khand No.-01, Village- Hasanpur, Tehsil-Sakaldiha, Distt-.Chandauli, U.P.	Chandauli	SAND	LEASE EXPIRED ON 18-01-2023
38	EC of Proposed River Bed Sand Mining Project from Ganga River of Shri Ajay Kumar Singh located at Arazi No-2 Ga, Khand No.-03, Village- Puravijai, Tehsil-Sakaldiha, Distt.-Chandauli, U.P.	Chandauli	SAND	LEASE CANCELLED ON 22/07/2023
39	Shri Raj Pratap Yadav S/o Shri Bhagwat Prasad Yadav, Proposed "Sand Mining" at Ghaghra River Bed at Gata No. - 396/1 , Village: Takia Dharahara Khadar, Tehsil: Salempur, District: Deoria, State: Uttar Pradesh,Area: 11.70 Ha	Deora	SAND	LEASE CANCELLED ON 04-10-2023
40	Shri Moor Singh S/o Shri Karan Singh, Mahmoodpur, Than-Sunagadi, Tehsil- Patiyali, District-Kasaganj,U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.	Badaun	SAND	LEASE CANCELLED ON 30-03-2019
41	Shri Jitendra Kumar, Owner, S/o Shri Gyanchand, Ward No.- 4, Dineshpur, Tehsil- Gadarpur, District- Udhamsingh Nagar(U.K.), M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.	Badaun	SAND	LEASE CANCELLED ON 31-03-2019

42	Shri Jagjeet Singh, R/o-Birasini, Tehsil- Tilhar, District-Shahjahanpur, U.P.	Shahjahanpur	SAND	PERMIT EXPIRED
43	Smt. Mubshara Bi, W/o Sajid khan Bragad, R/o- Village-Shahbaznagar, Tehsil- Sadar, District -Shahjahanpur,U.P.	Shahjahanpur	SAND	PERMIT EXPIRED
44	Shri Radha Krishan Gupta, S/o Shri Ramnarayan Gupta, R/o Village-Hundal Khel, Tehsil- Sadar, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh	Shahjahanpur	SAND	PERMIT EXPIRED
45	Mr. Neelam Mathur, Owner, M/s Krishna Construction, H.No.-31, Anand Bhawan, Sant Pual College, Civil Lines, Distt.-Moradabad, U.P.	Moradabad	SAND	LEASE EXPIRED
46	Smt. Neelam Mathur, Owner, H.No.- 31, Anand Bhawan, Sant Paul College, Civil Lines, Distt.-Moradabad, U.P., M/s Krishna Construction	Moradabad	SAND	LEASE CANCELED
47	Shri Lakhvindar Singh, Shri Mahendra Singh & Shri Jugendra Singh, S/o Shri Sarjeet Singh, R/o-Jamna Jamni Chauhadda, Tehsil-Sadar, District- Rampur, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
48	Shri Gurmeet Singh, R/o-Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A.A. Cable Layers	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
49	Shri Arun Kumar Goyal S/o Shri Deewan Chand, R/o- Subhash Nagar,Uttarakhand	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
50	Shri Saurabh Kumar Tomar, R/o-Shop No.- 02, Before Meenar, Harthala, Moradabad, U.P.., M/s Shiv Shakti Enterprises	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
51	Shri Anjali Kapoor W/o Shri Sharad Kapoor R/o- H.No.- C-13, Gandhi Nagar, Teshil & District-Moradabad, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED

52	Shri Radhey Shyam S/o Shri Ramswaroop, R/o- Chakarpur, Tehsil- Bajpur, District- Udham Singh Nagar, Utttarakhand	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
53	Shri Satpal Singh, R/o- Village- Bhoovra Ehatmali, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
54	Shri Brahmpal Singh, R/O- Ampur Dhamman, Tehsil – Tanda, District – Rampur, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
55	Shri Rajendra Singh R/o Munda Pande, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
56	M/s Umar Goods Transport & Ent. , Add.- Bhojpur Dharampur, Near B.S.N.L. Kashipur Road, District-Moradabad, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
57	Shri Nusrat Naim Siddiqui, Date: 30/12/2021 S/o- Late Shri Rashidullah Siddiqui R/o- Ekta Vihar, Shaukat Ali Road, Civil Lines, Tehsil- Sadar, District- Rampur (U.P.)	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
58	Shri Name Ali S/o Shri Maseeta R/o-Narpat Nagar Dudawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P., M/s Imran Traders	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
59	Shri Naame Ali S/o Shri Maseeta R/o—Narpat Nagar Doondawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
60	Shri Gaurav Agarwal S/o Shri Jaideep Agarwal R/o Badrinath Marg, Kalagarh Sukhri, Kotdwar, Pauri Garhwal	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
61	Shri Gurmeet Singh, Partner R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A. A.Cable Layers	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED

62	Shri Abdul Vahab S/O Abdul Gaffar R/o- Mohalla -Lal Masjid, Tehsil- Sadar ,District-Rampur, U.P	Rampur	SAND	LEASE PERIOD EXPIRED
63	Smt. Srimani Gupta W/o Shri Ashok Kumar Gupta, R/o- Mayur Vihar Jhalwa, Tehsil- Sadar, Distt.- Allahabad EC of mining lease for extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.-11/3 and 11/4, Area- 24.28 ha. (60.00 Acres) Village- Diya, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 22-01-2023
64	Shri Kalpanal Karwaria, Owner, R/o-1203, Ahiyapar, Malwiya Nagar, Distt.- Allahabad, U.P., M/s K.K Associates Morrum Mining at Yamuna river, Khand No.-16/2 & 16/3, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., M/s K.K Associates, (Leased Area-20.23 Ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 25-03-2019
65	Shri Saiyad Sahil Ali S/o Shri Mohd. Rajan Babu, House No.- 1/8/40, Village-Kumharan Tola, Post- Sahadatganj, Cantt., Distt.- Faizabad, U.P. Proposed River Bed from Yamuna River located at Khand No. - 15/41 & 15/42, Village-Umrawan, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., (Leased Area-24.28 Ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 20-01-2019
66	Shri Arun Kumar S/o Late Shri Ram Vilas Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District-Ghazaibad, U.P. Sand/ Morrum from river bed of Yamuna, at Zone No./ Gata No./ Khand No.-11/15 and 11/16, Area 24.28 Ha(60.00 Acres), at Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi, U.P., M/s Rishab Herbal Pvt Ltd., (Leased Area-24.28 Ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 16-01-2021

67	Shri Rajesh Mishra, Owner, R/o- Village and Post- Ayah, Tehsil and District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers Proposed River Bed sand/Morrum Mining in Yamuna River for Gata No.- 130, 131, 180, 181, 184, 185, 187 and 189, Area-16.78 ha (41.46 Acres), Village-Gokan, Tehsil & District- Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers(Leased Area-16.78 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 10-01.2019
68	Shri Santosh Kumar Yadav S/o Shri Deena Nath Singh Yadav, Owner, R/o-H.No.- 184, Eldico Green, Gomati Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Enterprises Proposed "Sand/Morrum Mining " Project in Yamuna River at Gata No.-467, 466, 454, 425, 426, 427, 428, 430 & 431, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. (Leased Area: 6 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 15-02-2019
69	Shri Sunil Kumar Pandey S/o Shri Anand Shankar Pandey, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Harsh Enterprises, located at Plot No.-13/18, 13/19, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 05-02-2022
70	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 11-10-2019
71	Shri Manish Ojha, R/o Village- Katieya, Chayal, District - Kaushambi, U.P. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 10/17 & 10/18 over an area of 24.28 Ha situated in Village - Kataieya, Tehsil - Chayal, District - Kaushambi, U.P.	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 19-03-2021

72	Shri Rajesh Kushwaha S/o Late Shri Mahadev Prasad, R/o- 20/17, Rasoolpur, Allahabad, U.P., M/s Rajesh Enterprises Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Rajesh Enterprises located at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 59.99 acre(24.28 ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 20-06-2020
73	Shri Mohd. Asif Usmani S/o Mohd. Mukwil Usmani, R/o- A 1068/5 G.T.B. Nagar, Karaili, District- Allahabad, M/s Bharat Earth Movers Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Bharat Earth Movers, located at Khand No.- 15/45 to 15/46, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 ha (60 Acre), Effective Area- 18.88 ha (46.65)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 31-03-2021
74	Shri Shesh Narayan Karwariya S/o Shri Liladhar Karwariya, Village- Tenva, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for Shri Shesh Narayan Karwariya located at Khand No.-16/16 & 16/17, Village- Jamunapur, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi,, U.P., Lease Area: 24.28 ha, Effective Working Area: 16.38 Ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 08-03-2021
75	Shri Pankaj Kumar S/o Shri Bhagwan Das, Owner, R/o- Mahmoodpur Manauri, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P., M/s Jai Bajarang Traders Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Jai Bajarang Traders located at Khand No.- 11/05 to 11/06, Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Lease Area: 24.28 ha (59.97 acre),	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 13-10-2022

76	Shri Sanjay Tyagi ,Managing Director, M/s Devyash Project & Infra-Structure Pvt. Ltd., Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining Project in Yamuna River at Khand No.- R.K. 1A,(Gata No.-Part of 144 etc, 40, 36, 32, 68, 5) , Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 34.81 Ha	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON18-03-2020
77	Shri Shivpratap Singh Chandel S/o Shri Kallu Singh, R/o- 20-A, Gautam Nagar, Tehsil- Sadar, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 40.48 ha (100.0 acre) along River Yamuna in Gata No.- 391 Mi (Khand No.- 04), Village- Korra Kanak, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. (Leased Area-40.48 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 01-01-2020
78	Shri Bishan Singh S/o Ghanaram, R/o- 650, C.I.C. Campus Jhokan Bagh, Jhansi, U.P., M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. located at Khand No.- SG- 01, Gata No.- 191, 272, 378, 379, 380, 293/2, Village- Sangolipur Garha, Tehsil- Khanga, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 31.57 ha (78.0 acre),	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 27-06.2019
79	Shri Arun Kumar Mishra, M/s Dijiyana Mining Corporation Pvt. Ltd.,Vishnupuri Annex Indore "Korra Kanak" Sand/Morrum Mining Project over an area of 40.48 ha, (Khand No.- 03, Gata No.- 383 Mi, 391) near Village-Korra Kanak, Tehsil & District- Fatehpur, U.P.	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 01-01-2020
80	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 11-10-2019

81	Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed Morum Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 302, 301, 296, 297, 286 mi, 271 mi, 287 mi, 270 mi, 269 mi, 259, 58 mi, 255, 254, 253, 291, 252, 251, 292, 290, 289, 288, 287, 294, & 293, at Khand No.- A-10, OF Area-40.48, Ha(100.03 Acres) Village - Adhawal, Tehsil & District - Fatepur, U.P.,M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd.	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 21-12-2020
82	Smt. Madhubala Ojha W/o Shri Manish Ojha, R/o- Shyam Colony, Vishunipur, Near Bhagwatiganj, Balrampur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor Proposed Morrum Mining Project at Yamuna River Bed at Gata No-33, 34, 38, 39, 50, 51, 56, 57, Khnad No. S.P.- 1 & 2, Village- Salempur, Tehsil-Khaga, District- Fatehpur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor ,(Leased Area-30.36 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 02-11-2023
83	Shri Abhishek Singh S/o Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Shivpuri, Thana-Khakhareru, Tehsil- Khanga, District-Fatehpur, U.P. Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining at River Yumana Project at Khand No.- R-3, Gata No- 34 mi, 54, 55, 97, 96, 56, 53, 35, 95, 57, 58, 52, 51, 92, 91, 59, 60, 50, 89, 90, 62, 61, 49, Village- Ranipur, Tehsil- Khaga, District- Fatepur, U.P., Lease Area: 34.41 ha	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 04-03-2021
84	Shri Indrasan Maurya S/o Bhrigunath, R/o-Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P Proposed river bed Sand/Morrum from river bed Yamuna at Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 9.0 Ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 28-02-2023

85	Shri Sanjay Kumar S/o Late Jagat Narayan, Owner, R/o- Mahmoodpur, Manauri, District- Kaushambi, U.P., M/s Sagar Brick Field. Extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.- 8/3 and 8/4, Village- Rushai, Saidpur,Tehsil-Chail, District.- Kaushambi, U.P.,M/s Sagar Brick Field., Lease Area: 24.28 Ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 13-10-2022
86	Shri Upendra Kumar Gupta S/o Shri Minnilal Gupta, R/o- House No.- E-91, Shri Nath Vihar Colony, Flat No- 2, Chilla Road, District- Banda, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 7.13 ha (17.61) along River Ken in Khanda No.- BA-1,Gata No.- 43 mi, 44 mi, Village- Bara, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P., M/s Shreebamdev Global Pvt. Ltd., (Leased Area-7.13 Ha)	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 13-09-2023
87	Shri Ravi Jain, Director, R/o- 214 2nd Floor Bardhman Plaza Neta Ji Subhash Place, Delhi, M/s Amoras Trading India Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Khasra No./Gata No.- 389, 391, Village-Korra Kanak, Tehsil-Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., M/s M/s Amoras Trading India, Lease Area: 40.0 ha	Fatehpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 20-02-2023
88	Smt. Mansi Rastogi W/o Shri Deepak Rastogi, Owner, H.No.- 132 HIG, Preetam Nagar, Gayasuddinpur, Uprhar, District- Allahabad, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Balaji Coal Company, located at Khand No.- 9/8 to 9/10, Village- Umarwal, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 18 ha,	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 13-10-2022
89	Shri Ravi Shankar Gupta S/o Late Hira Laal, R/o- Daranagar, Tehsil- Sirathu, District- District-Kaushambi, U.P., Proposed river bed Sand/Morrum Mining Project along river Yamuna located at , Khand No.- 9/25 to 9/26, Village-Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area-16.00 Ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE PERIOD END ON 02-10-2022

90	Shri Santosh Tiwari S/o Shri Surendra Tiwari, R/o- Mo. No.- C-144, Sector-E, Thana- Aliganj, District- Lucknow, U.P. Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Yamuna River located at Khand No.- 15/35 to 15/39, (Khand Sr. No.- 03) Village- Umrawan , Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Lease Area: 10.00 ha)	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 29-09-2023
91	Shri Achintay Karvariya S/o Shri Kapil Muni Karvariya R/o – 1184 Malviya Nagar, Thana-Atarsuiya, Tehsil-Sadar, District- Prayagraj, U.P. Proposed Sand/ Moram Mining From Yamuna Riverbed Located at Khand No. 14/07 To 14/10, Village- Katri, Tehsil- Manjhanpur District: Kaushambi (U.P.) Lease Area: 17.0	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 12-10-2023 ,CTO GRANTED ON 16-04-2023
92	Shri Sunil Kesharwani, S/o Shri Ram Babu Kesharwani R/o –744, G T Road, Bamrauli, Distt-Prayagraj, U.P. Proposed river bed Sand/Morrum Mining having lease area 16.00 ha (40 acre) along river Yamuna in Khand No. 9/3 to 9/4 at Village – Piparhata, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U. P. of M/s Vishwanath Enterprises, Area 16.00 ha	Kaushambi	MORRUM	LEASE CANCEL ON 24-11-2023 ,CTO GRANTED ON 10-05-2023
93	Sri. Rajeev Agrawal, CGM (T) cum Regional Officer, U.P. M/s National Highways Authority Of India (NHAI), Sand/Moram Mining, Project at Gata No, 246, 472, Village-Khebandha,Tehsil-Robertsganj,District-Sonbhadra,UP.	SONBHADRA	MORRUM	LEASE EXPIRED
94	Shri Satish Kumar Upadhyay S/o Ravindra Kumar Upadhyay, Add.- Bandhawa, Kanchwa, District- Mirzapur, U.P., Proposed "Sand/Morrum Mining" Project at Araji No.- 166 (Khand No.- 01), Village- Nagawan, Tehsil- duddhi, District- Sonebhadra, U.P.,M/s Aman Asociates (Leased Area-8.097 ha)	SONBHADRA	MORRUM	LEASE EXPIRED
95	Shri Vijendra Kumar S/o Shri Laldhari Kushwaha, R/o Village- Sarai, Post-Ramgarh, Tehsil- Robertsganj, District - Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed Sand / Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 166 Kh, in Village- Nagwa, Tehsil-Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh., Area 2.0 ha	SONBHADRA	MORRUM	LEASE EXPIRED

96	Shri Harivansh Singh S/o- Bagholan, R/o Village- Ghaghara, Post- Ghaghara Tehsil - Dudhi District -Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed "Sand/ Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 6400k, 6400kh, area- 1.876 ha in Village- Ghaghara, Tehsil- Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh	SONBHADRA	MORRUM	LEASE EXPIRED
97	Shalendra Yadav, Sand/Morrum mining along River Yamuna, Khand No. 31/4, village- Patyora, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, State- Uttar Pradesh(Lease Area- 36.437 ha, Production Capacity-5,82,912 m3/annum)	Hamirpur	MORRUM	LEASE CANCELLED ON 23-11-2022
98	Ajit Singh Malhotra khand no 7,17,18,21,23,25,27,28,29,30,35,37,38,40 ,177,176Mi, Area 62.48 acre, Vill. Amlaur Khadar, Teh. Pailani, BANDA 210126	Banda	MORRUM	LEASE EXPIRED
99	BRAJESH TIWARI Kolawalraipur, Gata No-721, 722, 723, Naraini Banda	Banda	MORRUM	LOI CANCEELD
100	SG PROJECTS LIMITED Area- 44.46 Acre (18.0Ha) On Ken River ForSand/Morrum Mining Project at Khand No/GataNo-60 Village- Sadikhadar Tehsil- Pailani , District- Banda(U.P)	Banda	MORRUM	LEASE CANCELED
101	Smt. Priyanka Seth, W/o Shri Saurabh Gupta, R/o 905, Chandra Vihar Colony, Tehsil & District: Jhansi, U.P, Proposed of "Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed at Gata No. 321 (Khand – 01) of Area: 4.5 Ha, Village: Saujna, Tehsil: Moth, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
102	Kamlesh Sahu (Shri Ashish Yadav), R/o-Village- Palar, Badagaon, Distt.- Jhansi, U.P., Shamsherpura Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01 Village - Shamsherpura, Tehsil- Tehsrauli, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-12.140 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
103	Shri Jitendra Singh, R/o-Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-28, 67, 73, 76, Khand No.-02, Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.0 ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED

104	Shri Deepak Changani S/o Shri Chetan Lal, Owner,R/o- H.No.-1042, CIC Camapus, Jhokan Bag, Tehsil & District-Jhansi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha), Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha)	Jhansi	MORRUM	SURRENDER APPLICATION
105	Shri Sujeet Tiwari, R/o-372/28, Babulal Karkhane K Pass, Civil lines,Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction, Proposed Project of riverbed "Ordinary Sand Mining" on the riverbed of River Gorboro at Gata No.-373, 374, 382, 383, 384, 386, 387, 782, 800, 692 at Village-Navada, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction,Leased Area -3.0 ha	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
106	Shri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram , Director, For- Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., R/o 818 west Patel Nagar, New Delhi, Proposed Sand/Morrum Mining Project for M/s Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., located at Gata No./Zone No./Khand No- 01 Ka, Village-Kukargaon, Tehsil- Tehrauli, District-Jhansi, U.P.,(Leased Area-30.361 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
107	Shri Rajesh Singh , M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd. , W-21, First Floor, Rajauri Garden, Dehli, Erach (Khand-01/Area-40.468 ha) Sand/Morrum Mine on Betwa River at Khand No.- 01, Village- Erach Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd., Sanctioned Lease Area: 40.468 ha	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
108	Shri Shrestha Sahu S/o Shri Vinod Sahu, Owner, R/o- 940/80 Civil Line ,Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction, Area-30.0 Acre/ 12.140 Ha. for River Sand/Morrum Mining at Khand No./ Gata No.- 1129, Village- Dikauli, Tehsil-Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction (Leased Area-12.140 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED

109	Shri Mayank Tomar, Lesses, i26, Bapu Nagar, Bhilwara, Rajasthan, Dhawaker River Sand/Morrum Mine at Khasra No.-1984 & 2009, at Village- Dhawaker, Tehsil- Mauranipur, District- Jhansi, U.P., (Leased Area-12.14 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
110	Shri Ashish Yadav S/o Ram Pratap, R/o-Village- Palar, Badagaon, Tehsil & District.- Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Chelra Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 1055, 1107, Villgae- Chelra, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-16.187 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
111	Shri Akarshit Sharma, Address: H.No.-74, C.O.D. Farm, Jwalanagar, Vikash Nagar, Tehsil- Sadar, District- Rampur, M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Luhargaon Sand Mine On Betwa River at Khand No.- 01, Village- Luhargaon, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P.,M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., (Leased Area-12.14 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
112	Shri Sharad Pratap Singh S/o Shri Shyam Sundar Singh, R/o- Village- 240, 4A, Kachahri Chauraha, Distt.- Jhansi, U.P., M/s Sharad Enterprises, River Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-184, Area 22.00 Acre (8.903 Ha) , Village-Paraicha, Tehsil- Moth, Distt.- Jhansi, U.P.,M/s Sharad Enterprise, (Leased Area-8.903 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
113	Shri Karan Singh Rathore S/o- Bharath Singh Rathore, A/49 Basant Vihar Panchayawala, Near Raysal School, Jaipur, Vaishali Nagar, Rajasthan, M/s Shri Kuberkamna Marbles Pvt. Ltd., Mailwara Sand Mine on UR River located at Gata No. 950, 966 at Village - Mailwara, Tehsil- Mauranipur, Distt.-Jhansi , U.P., (Leased Area-14.164 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED

114	Shri Akarshit Sharma S/o Sanjeev K. Sharma, H. No.- 74, C.O.D. Farm Jwalanagar, Vikas Nagar, Tehsil-Sadar, Distt.- Rampur, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Pachauro Sand / Morrum Mine on Sukhnai River located at Gata No. 968, 796, 797, 1102 at Village - Pachauro, Tehsil- Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-8.093 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
115	Shri Aman Deep Singh S/o Shri Ranjeet Singh, Katghar, Veer Shah Hazari, Moradabad- 244001, M/s A.D. Agro Foods Pvt. Ltd., Tharro Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01, 319, Village - Tharro, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s A.D. Agro Foods Pvt. Lt, (Leased Area-20.234 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
116	Shri Kailash Chand, E7 M708, Arera Colony, Bhopal, M.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., Devri Sand Mine on Dhasan River located at Gata No 381/10, 332/1, Village - Devri, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., (Leased Area-21.044 Ha)	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
117	Shri Ashok Kumar Rai, Prop., M/s Maa Betwa Trading Company, R/o Village-Badora, Post-Ghisauli, District-Jhansi, U.P., Sand/Moram mining at Araji/Gata No. 278 & 293, Village-Teharka, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P. (Leased Area-20.234 Ha).	Jhansi	MORRUM	LEASE CANCELLED
118	Shri Bishan Singh, R/o- 240/4A, Civil Lines Kachahari Chauraha, Tehsil-Jhansi, District- Jhansi, U.P., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 240, Khand No.- 03, Village-Hamanpur, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, U.P., (Lease Area: 13.360 ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
119	Shri Nirmal Kant Tiwari,R/o-204, Budhauliyana Rath,District-Hamirpur,U.P.,M/s Mankameshwar Infrastructure, Proposed river bed Ordinary Sand Mining from Betwa River at Gata No.-1396 , Khand No.-1,Village-Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, U.P., M/s Mankameshwar Infrastructure, (Leased Area-20.42 Ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED

120	Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Shaksham Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for , located at Gata No.- 317 Mi, Khand No.- 03, Village- Kurauna, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P.,M/s Shaksham Contractors Suppliers(Leased Area-20.242 Ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
121	Shri Rajesh Singh, M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd., 312- Ganpati Plaza, Bhati, 41 M. Road, Rajasthan, Basrehi Sand/Morrum Mine on the Betwa River for M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd. at Gata No.- 596, Khand No.-02,(Area-16.194 Ha), Village-Basrehi, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P.	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
122	Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-747 (Khand No.-01), Village- Pathreta, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-40.02 Ha	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
123	Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Sakshm Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for M/s Sakshm Contractors Suppliers, located at Gata No.- 2513, 2629, Khand No.- 02, Area-20.242 ha (50.00 Acres)Village- Kharka, Tehsil-Orai, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED

124	Shri Ajay Kumar Kattiyar, Owner R/o-117/721 Q-Block, Kakadev Sarada Nagar, Naveen Nagar, District- Kanpur Nagar,U.P., M/s New Pooja Construction, Total Area- 22.0 Acres (8.906 Ha),Effective Workable Area-17.30Acres (7.012 Ha), River Sand/Morrum Mining Project at Gata No.-1782, 1783, Khand No.- 02, Village-Mohana, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., Sanctioned L	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
125	Shri Maheep Kumar Ojha S/o Shri Ramdeo Prasad Ojha, Village- Dhushah, Tehsil- Balrampur, District-Balrampur, U.P., M/s Bindu and Ram Construction Company, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Bindu and Ram Construction Company, located at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village- Bhedi Khurd, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 20.242 Ha , Effective Ar	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
126	Shri Umesh Chandra Bansal S/o Shri Kailash Narayan Bansal, Village- Jauti Road, Near Radha Krishan Temple, Porsa, District- Muraina, U.P., M/s Kanhaiyan Lal And Sons, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Kanhaiyan Lal And Sons located at Gata No.- 1782, 1783, Khand No- 03,Village- Muhana, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 8.906 ha , Effective Workable Area- 8.016 Ha	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
127	Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District-Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Area- 40.0 Acre/16.194 Ha. for River Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- 03, Gata No.- 267, 268 ,Village-Kyotra, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta (Leased Area-16.194 Ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED

128	Sri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram Singh R/o H.No. 240/4A, Civil Lines, Kachhehri Chauraha, Distt: Jhansi, U.P., Sand/Morrum Mining from Betwa River Gata no. 240 Khand no.5, Vill: Himanpura, Tehsil Kalpi, Dsitt: Jalaun U.P. Lease Area 16.194 ha	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
129	Shri Yashpal Singh Parmar, Owner, M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., District-Chhatarpur, M.P., Area- 40.0 Acre(16.194 ha) for River Sand/Morrum Mining at Khand No.-04, Gata No.-2558, 2563, Village- Bandhauli, Tehsil-Urai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd (Leased Area-16.194 Ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
130	Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District-Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Sand/Morrum Mining from betawa river for M/s Suresh Chandra Gupta at Gata No. 596 Khand No. 1, Village- Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P. (Area 16.194ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
131	Shri Sharif Khan, Owner, R/o- 315 Nemi Nagar, Extension- Vaishalinagar, Jaipu , M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Karthara Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 01,Gata No.- 208, Villgae-Karthara, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-6.882 Ha)	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
132	Shri Vishwas Parmani, S/o H. Parmani, R/o - Asssociated Commerce, Pipriya, Distt.- Hoshangabad(M.P.), M/s Associated Commerce, Sand/ Morum Mining Project from Betwa River for M/s Associated Commerce located at Gata No.-747/16, Village-Patharehta, Tehsil-Kalpi, Disst.- Jalaun, U.P., M/s Associated Commerce, Lease Area 8.90 Ha	Jalaun	MORRUM	LEASE CANCELED
133	M/s. Sadguru Suppliers, Prop. Shri Alokdhar Dubey S/o. Shri Jay Prakash Dubey, R/o. Chhapka, Thana-Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997Mi, Village Sindhora, Teh. Sadar, Area 4.50. Distt. Sonbhadra.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED

134	Mamrej Construction Pvt. Ltd., Director Shri Harishankar Dubey S/o. Shri Nathuni Dubey, R/o. Flat No. 84, Balaji Nagar Colony, Samane Ghat, Thana Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 118Mi, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LOI CANCEELD
135	M/s. Asha Ram Contractors, Prop. Shri Asha Ram S/o. Late Satyanarayan, R/o. Vill. Bahuti (Parmapur), Thana Lalganj, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/3, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED
136	M/s. Krishna Enterprises, Prop. Shri Dayashankar Upadhyay S/o. Late, Dalsringar Upadhyay, R/o. Kolhar, Kotawali Dehat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/4, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED
137	M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/5, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED
138	M/s. Shubham Udyog, Shri Shubham Raj Singh S/o. Shri Tilakraj Singh, R/o. Vill. Bhaurupur, Ajagana, Thana Jigana, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 9Gh/2, Vill. Khaira, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	SURRENDER APPLICATION
139	M/s. Rakesh Kumar Pandey, Prop. Shri Rakesh Kumar Pandey S/o. Srhi Lalmani Pandey, R/o. Moh. D.J. Colony, Tarakapur, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/1, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
140	M/s. Shri Ramayan Construction, Smt. Dayawati Singh W/o. Rajendra Prasad Singh, R/o. Krishnapuri Colony, Bharuhana, Post Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/2, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED

141	M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 105/2, Vill. Manjhar Kalan, Tehsil Chunar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED
142	M/s. Vidhata Associates, Prop. Smt. Madhuri Singh, W/o. Shri Ravindra Kumar Singh, R/o. Champa Kunj, Nagawan, Lanka, Sadar, Distt. Varanasi, Sand Mining Project at Gata No. 140/1, Vill. Basaratpur, Tehsil Chunar, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
143	Shri Rahul Singh,R/o-H.No.- D-31, Bhuneshwar Colony Orderly Bazar Sadar, Varanasi, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mining Project for Area: 9.00 Acre/ 4.00 Ha , Sand Stone (Building Stone) mining at Araji No.- 6438 Ga, Village- Naugawan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P.	MIRZAPUR	SAND STONE	SURRENDER APPLICATION
144	Shri Dev Jhoti Das, Moh.- Vidhyanchal, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Gata No.- 307/4, Area-0.80 ha, Moh.- Village Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.80 ha)	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED
145	Shri Arun Kumar Tripathi, Director, S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. Of TCI, Chandanpur, Than- Maduwadih, Tehsil-Sadar, District- Varansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Sand stone) Mine" Project at Gata No./Araji No.-141, at Village- Chiraiyai, Tehsil-Chunar, District Mirzapur, U.P. M/s P.B. Infratech Pvt. Ltd., Lease area-0.890 ha.	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
146	Shri Praveen Kumar S/o Shri Anil Kumar, R/o- Mahalla-S.R.23, Golghar, Tehsil & District- District- Varanasi, U.P., Proposed for Sand Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine, at Gata No./Araji No.- 997 mi, Village- Sindhora, Tehsil-Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Area: 0.80 Ha)	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE PERIOD EXPIRED

147	Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o-Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District-Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Khand No.- V/1, Village- Lahaura, Tehsil-Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-2.02 Ha)	MIRZAPUR	SAND STONE	LOI CANCEELD
148	Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o-Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District-Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.909 Ha)	MIRZAPUR	SAND STONE	LOI CANCEELD
149	Shri Alok Dhar Dubey S/o Shri Prakash Dhar Dubey, R/o- Chhapka, Tehsil-Robertsganj, Dsitrict- Sonebhadra, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) with the average production capacity of 18,200 Cubic meter/ Year at Gata No./Araji No.-997mi, at Village-Sindhora, Tehsil- Sadar, District-Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.82 ha	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
150	Shri Prashant Kumar Singh S/o Shri Ramdhani Singh, R/o Patelnagar Garaudi,Thana- Adalhat, Tehsil-Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone(Sand Stone) Mine" Project at located Araji No.-01 Ka, at Village- Sonpur , Tehsil-Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
151	Smt. Dayawati Singh W/o Shri Rajendra Prasad Singh Address- Krishnapuri, Bharuhana, Sadar, Mahuana, Mirzapur, Proposed Sand Mining Project at Gata No. 03 Mi, (Khand No. - 02), (Area 5.0 Ha.) in Village: Gogaon, Tehsil: Sadar & District: Mirzapur, Uttar Pradesh	MIRZAPUR	SAND STONE	LEASE CANCELLED
152	Shri Ravindra Mishra, R/o- Village-Khargupur, Tehsil- Raja Talab, District-Varanasi, U.P, Proposed Project Building Stone Gitti/ Boulder (Sand Stone), Mine Araji No.-30/73, Village –Sukrit, Tehsil –Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area- 1.2545 ha,	SONBHADRA	SAND STONE	NOT EXCUTED

153	M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi-110008, Sand Stone Mining at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur,U.P.(Leased Area-4.127 Hac)	Lalitpur	SAND STONE	LEASE EXPIRED ON 05-10-2020
154	Mr. Shriran Panday, Owner, S/o Shri Hanuman Prasad Panday, R/o Village-Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Distt.-Sonebhadra, U.P., M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company, EC for Gitti/Boulder (Dolo Stone) at Araji No. 921 K at Village- Vardiya , Tehsil-Rabertsganj, Sonebhadra, U.P, M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company,	SONBHADRA	DOLO STONE/ GITTI	LEASE EXPIRED
155	Shri Sagar Parecha, R/o- Ao 27 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, (U.P.), Proposed for Building Stone, khanda, gitty, boulder Mining Project Area 1.214 Ha. for a Production of 36420 m 3 /yr at Gata No.1127,Khand No.-2, Village- Chaukari, Tehsil-Garautha, District-Jhansi State- Uttar Pradesh by Prop. Shri Sushil Parecha	Jhansi	GITTI	SURRENDER APPLICATION
156	Shri Raj Kumar Parecha S/o Shri Ishwar Das Pareacha, R/o- 1533, Jankipuram Civil Lines,Tehsil & District -Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-06, Khand No.- 01, at Village- Punawali Kalan, Tehsil & District -Jhansi, U.P. Lease area-2.428 ha.	Jhansi	GITTI	LEASE CANCELLED
157	Smt. Triveni Devi W/o Shri Ratan La Ahirwar, R/o- 365, Nainagarh, Nagra,Jhansi,U.P., Proposed for Punawali Kalan(Gitti-Ballast & Khanda, Boulder) Mine" Project at Gata No.-2449, 2451/2, Village- Punawali Kalan, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Leased Area -5.0 Acres	Jhansi	GITTI	LEASE PERIOD EXPIRED
158	Shri Arvind Kumar Nagayach, Owner, R/o- 808 Ramnagar Ajnaari Road, Railway Crossing K pass , Orai, District-Jhansi, U.P., M/s Nikhil Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-515, Khand No.- 04, at Village-Sirvo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha	Jhansi	GITTI	SURRENDER APPLICATION

159	Smt. Rita Gupta W/o Shri Sanjay Kumar Gupta, R/o- 49, Kailash Residency, Than- Kotwali, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Khasra No.-03, at Village- Sirov , Tehsil- Garautha, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.	Jhansi	GITTI	SURRENDER APPLICATION
160	Shri Lakshuni Shankar,Adwaha, Post- Muhara, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khanda, Gitti Mining Project at Araji No.-02/1, Khand-02, Village- Lakhanpura, Tehsil- Lalitpur,District-Lalitpur,U.P., Lease area- 2.550 ha.	Lalitpur	GITTI	LOI CANCEELD
161	Smt. Karuna Parecha Ruchi Satya,R/o- 1533, Jankipuram Civil Line , Jhansi, Proposed of Khanda,Gitti mine at Araji/Gata No.- 02/1, Khand No.-03, Villlage- Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Lease Area 1.0 Ha	Lalitpur	GITTI	LEASE CANCELLED ON 04-11-2023
162	Sri Mahesh Kumar Dubery,. EC for Khanda/Gitti/Boulder Stone Mining Project at Gata No-892/3, Vill-Chhirwali, Tehsil-Konch, Distt-Jalaun, U.P. (Leased Area 2.70 Acres)	Jalaun	GITTI	LEASE CANCELED
163	Shri Yash Pal Singh S/o Ramswaroop Singh, R/o-Village- Mathera Chauhan, Tehsil- Nagina, District- Bijnor, U.P.	Bijnor	RBM	PERMIT CANCELLED
164	Shri Satyendra Singh S/o Shri Brijendra Singh, R/o- A-7, Mangal Vihar Colony, Nikat Nangla Maulvi Aligarh Shehar Col, District- Aligarh, U.P., M/s Brijwala Infra Solution Pvt. Ltd.	Bijnor	RBM	PERMIT CANCELLED
165	Shri Dilip Kumar Ojha S/O Shri Hanuman Prasad Ojha R/O-184, N Block, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, U.P,M/S JAYANTI ENTREPRENEUR PVT. LTD.	Bijnor	RBM	PERMIT CANCELLED

166	Shri Harsh Kochar, C-1, & C-2, Industrial Estate, Jhansi, M/s J.K. Minerals, Proposed for Diaspore-Pyrophyllite Mining Project at Khasra No.- 1340, 1344, 1345, 1339, 1328, and Bawal Tanda 421, 422, at Village- Palar, Bewal & Tanda, Tehsil- Jhansi, U.P. (Leased Area-72.50 Ha)	Jhansi	PYROFILITE	LEASE PERIOD EXPIRED
167	Pawan Chauhan S/o Shri Ram Pal Singh, R/o-Village- Pal, Salempur Gosain, Gajraula, Amroha,U.P.	Amroha	SOIL	CANCELD
168	Shri Pradeep Chaudhary S/o Shri Rajendra Singh, Village- Pachokra Khanpur, Tehsil- Kanth, District-Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
169	Shri Sher Alam S/o Islam Ali, Village- Rustumapur, Tehsil-Bilari, District-Moradabad,U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
170	Shri Amit Kumar S/o Shri Giriraj Singh, R/o-Suraj Nagar Pital Nagar, Tehsil- Moradabad, District-Moradabad,U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
171	Shri Kailash Singh S/o Shri Rajveer Singh, R/o- Village- Milak Ghansurpur Bamniya, District-Amroha, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
172	Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh, Resident of Vidya Nagar Mau, Thana-Civil Lines, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
173	Shri Mudassir Khan, Owner, R/o-Rampur Bheela, PO- Sarkara Khas, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
174	Shri Arshad Ali S/o Shri Munan Ahamad, R/o- Pipli Chak, District-Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
175	Shri Mohd Saleem, Owner, R/o-Village- Milak Sihora, Posr-Munda Pandey,Tehsil & District-Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED

176	Shri Pappi Chaudhari S/o Shri Ahmad Jan,R/o-Chamraua, Post-Akka Dilari,District-Moradabad,U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
177	Shri Nazim Ali, Owner, Village-Rampur Bheela Sakara Khas, Tehsil & District- Moradabad,U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
178	Shri Danish, Owner, R/o- Village-Salempur Nawada, Chaudharpur, Tehsil- Amroha, District-Amoraha, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
179	Shri Imran Ali, Owner, R/o-Barwara Manjhra, P.O.-Bhaisiya, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
180	Shri Kuldeep Singh, Owner,R/o- D-39, Deen Dayal Nagar, Phase-2, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
181	Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Oop. Power House-2, Sector- 01, District-Moradabad, U.P.,	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
182	Shri Rishipal Singh S/o Shri Tularam Singh, R/o- Village-Bhatawali, P.O.- Kazipura, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
183	Shri Sameer Khan, Owner, R/o-Plot No.- 14-15, First Floor, Shri Sai Hospital, Mansarovar Colony, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
184	Shri Sagar Gupta, Owner, R/o-Mohalla-Mahajan, P.O.-Chandausi, District- Sambhal, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
185	Shri Mohammad Rafi , Owner, R/o- Village- Milak Bujpur Asha, P.O.- Veerpur Than, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED

186	Shri Pawan Kumar, Owner, R/o-Mohiuddinpur, Kamelpur Dhanora, Tehsil & District-Amroha, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
187	Shri Mohd. Akhlak S/o Shri Mohd. Ishak, R/o- Pandit Nagala, Tehsil & District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
188	Shri Monu Pal, Owner, Village-Hussainpur Hameer, Tehsil- Bilari District-Moradabad, U.P,	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
189	Shri, Owner, R/o- Lalpur Hameer, Faridpur Hameer, Tehsil- Bilari ,District-Moradabad, U.P,	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
190	Shri Yogesh Chandra, Owner, R/o- ,K.G.K College, Surya Nagar , Tehsil & District-Moradabaad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
191	Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Opposite power house- 2 sector 1,District-Moradabad, UP,	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
192	Shri Amit Kumar S/o shri Giriraj Singh R/o- Suraj nagar Pilat Basti, District – Moradabad , Uttar Pradesh.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
193	Shri Bisharat Husain, R/o-Village-Chaudharpur, (DiDoli),Tehsil & District-Amroha, U.P,Amroha,Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
194	Shri Imran Ali, Owner, R/o-Viillage-Barwara, P.O-Bhaisiya Tehsil & District- Moradabad (U.P),	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED

195	Shri Pradeep Kumar S/o Shri Rajendra R/Oo – Village Pachokara khanapur – Post – Kuchawli, Chhajlet, Tehsil - Moradabad, District - Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
196	Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil- Bisauli, District - Badaun, U.P.	Sambhal	SOIL	PERMIT EXPIRED ON 28/10/2022
197	Shri Subhan, R/o- Village-Karanpur, P.O.- Yusufpur Nagaliya, Tehsil & District-Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
198	Shri Sameer Khan, R/o- Plot No 14-15, 1st Floor Beside Sri Sai Hospital Mansarovar Colony Tehsil District Moradabad,,Moradabad,Moradabad,Uttar Pradesh,M/s Verner Enviro India Pvt Ltd.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
199	Shri Ayush Bhedda S/o Shri Mahesh Pal, R/o – Near Primary School, Katha Bagpat,Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
200	Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh R/o – Bank Colony, Harthala Tehsil & District-Moradabad (U.P.)	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
201	Shri Pawan Kumar S/o Shri Mahendra Singh Residential Address – Village- Muhiuddinpur, Post- kamelpur dhanaura, Amroha, Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
202	Shri Sumit Chaudhary, R/o-Mahendari Sikandarpur, Chhajlet, District- Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
203	Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil- Bisauli, District-Badaun, U. P.	Sambhal	SOIL	PERMIT EXPIRED ON 28/10/2022

204	Shri Nazim Ali S/o Shri Muslim Residential Address – Village Rampur bheela, Post Sarkara khas, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
205	Shri Mou Raza, R/o- ill-Lakhanpur ladapur, Post-Udhamawala, Roshanpura, Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
206	Shri Pappi Choudhry, R/o- Ahmad Jan Chamraua Post Office Akka Dilari Moradabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
207	Shri Pawan Kumar, R/o- Village- Muhiuddinpur, Post Kamelpur Dhanaura, Tehsil- Amroha, District- Amroha (U.P.)	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
208	Shri Kuldeep Singh, R/o- D-39, Deendayal Nagar, Phase- 2, Near Wave Mall, Tehsil & District- Moraadabad, U.P.	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
209	Shri Ravindra Chaudhary S/o Shri Ram Ratan Singh, Village- Pachokra Khanpur, Post- Kuchawali, District- Moradabad, Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED
210	Shri Atul Singh, R/o- Village- Bhatawali, District- Moradabad ,Uttar Pradesh	Moradabad	SOIL	PERMIT EXPIRED

जनपद में तैनात अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूची तैयार की गयी है।

14/12/2023
ज्ञान निरीक्षक

14-12-2023
(कृष्ण गोपल शुक्ला)
विधि अधि॰ ॰

14/12/2023
आशीष कुमार
M.O

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Ajit Singh Malhotra khand no 7,17,18,21,23,25,27,28,29,30,35,37,38,40,177,176Mi,
Area 62.48 acre, Vill. Amlaur Khadar, Teh. Pailani, BANDA,210126

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02135/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बांदा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, बांदा।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बांदा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

BRAJESH TIWARI Kolawalraipur, Gata No-721, 722, 723, Naraini Banda

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02135/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बांदा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, बांदा।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बांदा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Kamlesh Sahu (Shri Ashish Yadav), R/o- Village- Palar, Badagaon, Distt.- Jhansi, U.P., Shamsherpura Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01 Village - Shamsherpura, Tehsil- Teharauli, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-12.140 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M S Infra Developers, (Old Name S G PROJECTS LIMITED Owner Neha Singh R/o-613, Jasmine Tower 31, Shakespeare saraini, Kolkata, West bangal-700071) Khand No./ Gata No. 60 at, Village Sadikhadar, Tehsil Pailani, District Banda (U.P.), Area 18.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02135/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बांदा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, बांदा।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बांदा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s Moti Construction Company, R/o- 405 Kh, Naya Patel Nagar, Tehsil- Orai, Distrcit- Jalaun, River Sand Mine, at Khasra No.- 698K, 699 & 721, Village- Katri Ludhwa Khera (Rani Ghat), Tehsil - Sadar, District.- Kanpur, U.P.,M/s Moti Construction Company, (Leased Area-21.58 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02152/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कानपुर नगर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi, Stone Mining Project at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur, U.P. (Leased Area-3.583 Hac)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s Mount Victoria Granites Ltd, 36/34, Pal Mohan Mension, East Patel Nagar, New Delhi-110008, Sand Stone Mining at Vill-Madwari, Distt-Lalitpur,U.P.(Leased Area-4.127 Hac)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s S.S Brothers & Company, Owner, R/o- 107 a, Mori, Daraganj, District- Allahabad, U.P., River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 08, Area- 8.0 ha(19.76 Acres) at Village-Kachara, Mishrpur, Nagarwar, Tehsil- Bara, District- Allahabad, U.P., M/s S.S Brothers & Companyn, Lease Area- 8.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Asha Ram Contractors, Prop. Shri Asha Ram S/o. Late Satyanarayan, R/o. Vill. Bahuti (Parmapur), Thana Lalganj, Tehsil Marihan, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/3, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 105/2, Vill. Manjhar Kalan, Tehsil Chunar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Bol Bam Eint Bhatta, Prop. Shri Rajesh Kumar Tripathi S/o. Late Jata Shankar Tripathi, R/o. Vill. Bhualpur & Post Sikhar, Tehsil Chunar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/5, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Krishna Enterprises, Prop. Shri Dayashankar Upadhyay S/o. Late, Dalsringar Upadhyay, R/o. Kolhar, Kotawali Dehat, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 494Ga/4, Vill. Baisukhiya, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Rakesh Kumar Pandey, Prop. Shri Rakesh Kumar Pandey S/o. Srhi Lalmani Pandey, R/o. Moh. D.J. Colony, Tarakapur, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/1, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Sadguru Suppliers, Prop. Shri Alokdhar Dubey S/o. Shri Jay Prakash Dubey, R/o. Chhapka, Thana-Robertsganj, Distt. Sonbhadra, Mining Project at Gata No. 997Mi, Village Sindhora, Teh. Sadar, Area 4.50. Distt. Sonbhadra.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Shri Ramayan Construction, Smt. Dayawati Singh W/o. Rajendra Prasad Singh, R/o. Krishnapuri Colony, Bharuhana, Post Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 03Mi/2, Vill. Gogaon, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Shubham Udyog, Shri Shubham Raj Singh S/o. Shri Tilakraj Singh, R/o. Vill. Bhaurupur, Ajagana, Thana Jigana, Tehsil Sadar, Distt. Mirzapur, Sand Mining Project at Gata No. 9Gh/2, Vill. Khaira, Sadar, Area 12.35 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

M/s. Vidhata Associates, Prop. Smt. Madhuri Singh, W/o. Shri Ravindra Kumar Singh, R/o. Champa Kunj, Nagawan, Lanka, Sadar, Distt. Varanasi, Sand Mining Project at Gata No. 140/1, Vill. Basaratpur, Tehsil Chunar, Area 9.88 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Mamrej Construction Pvt. Ltd., Director Shri Harishankar Dubey S/o. Shri Nathuni Dubey, R/o. Flat No. 84, Balaji Nagar Colony, Samane Ghat, Thana Lanka, Distt. Varanasi, Mining Project at Gata No. 118Mi, Vill. Lahaura, Teh. Chunar, Area 02.25 Acre, Distt. Mirzapur.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Mr. Shriran Panday, Owner, S/o Shri Hanuman Prasad Panday, R/o Village- Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Distt.- Sonebhadra, U.P., M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company, EC for Gitti/Boulder (Dolo Stone) at Araji No. 921 K at Village- Vardiya , Tehsil- Rabertsganj, Sonebhadra, U.P, M/s Kaimuranchal Stone Crushing Company,

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Ram Karan Misra Contractor, Gata No. 199, Khand No. 04 Naya, Kumhraura Maff,
Teh. & Dist. Mahoba

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02158/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/महोबा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, महोबा।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महोबा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shalendra Yadav, Sand/Morrum mining along River Yamuna, Khand No. 31/4, village- Patyora, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, State- Uttar Pradesh(Lease Area- 36.437 ha, Production Capacity-5,82,912 m3/annum)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02147/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/हमीरपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Abhishek Singh S/o Shri Jai Prakash Singh, R/o- Village- Shivpuri, Thana- Khakhareru, Tehsil- Khanga, District- Fatehpur, U.P. Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining at River Yumana Project at Khand No.- R-3, Gata No- 34 mi, 54, 55, 97, 96, 56, 53, 35, 95, 57, 58, 52, 51, 92, 91, 59, 60, 50, 89, 90, 62, 61, 49, Village- Ranipur, Tehsil- Khaga, District- Fatepur, U.P., Lease Area: 34.41 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Achintay Karvariya S/o Shri Kapil Muni Karvariya R/o – 1184 Malviya Nagar, Thana-Atarsuiya, Tehsil-Sadar, District- Prayagraj, U.P. Proposed Sand/ Moram Mining From Yamuna Riverbed Located at Khand No. 14/07 To 14/10, Village- Katri, Tehsil- Manjhanpur District: Kaushambi (U.P.) Lease Area: 17.0

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ajay Kumar Kattiyar, Owner R/o- 117/721 Q-Block, Kakadev Sarada Nagar, Naveen Nagar, District- Kanpur Nagar,U.P., M/s New Pooja Construction, Total Area- 22.0 Acres (8.906 Ha),Effective Workable Area- 17.30Acres (7.012 Ha), River Sand/Morrum Mining Project at Gata No.-1782, 1783, Khand No.- 02, Village- Mohana, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., Sanctioned L

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ajay Lal, S/o Shri Ram Chandra Patel, R/o Chitauri, Post-Jasra, Thana-Choorpur, District-Allahabad, U.p. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Zone No./Plot No. 12, Village/Ghat-Deoria, Bikar and Iradatgang, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Akarshit Sharma S/o Sanjeev K. Sharma, H. No.- 74, C.O.D. Farm Jwalanagar, Vikas Nagar, Tehsil-Sadar, Distt.- Rampur, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Pachauro Sand / Morrum Mine on Sukhnai River located at Gata No. 968, 796, 797, 1102 at Village - Pachauro, Tehsil- Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-8.093 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Akarshit Sharma, Address: H.No.-74, C.O.D. Farm, Jwalanagar, Vikash Nagar, Tehsil- Sadar, District- Rampur, M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Luhargaon Sand Mine On Betwa River at Khand No.- 01, Village- Luhargaon, Tehsil- Tahrauli, District- Jhansi, U.P.,M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., (Leased Area-12.14 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Alok Dhar Dubey S/o Shri Prakash Dhar Dubey, R/o- Chhapka, Tehsil- Robertsganj, Dsitrict- Sonebhadra, U.P., Proposed of Building Stone (Sand Stone) with the average production capacity of 18,200 Cubic meter/ Year at Gata No./Araji No.-997mi, at Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P.,Leased Area -1.82 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Aman Deep Singh S/o Shri Ranjeet Singh, Katghar, Veer Shah Hazari, Moradabad- 244001, M/s A.D. Agro Foods Pvt. Ltd., Tharro Sand Mine on Betwa River located at Gata No. 01, 319, Village - Tharro, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s A.D. Agro Foods Pvt. Lt, (Leased Area-20.234 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Anirudha Singh, Owner, R/o- 860 C.P. Mission Compound, Tehsil- Sadar, District-Jhansi, U.P., M/s Friends Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-1293, Khand No.- 02, at Village- Karari, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Arun Kumar Mishra, M/s Dijiyana Mining Corporation Pvt. Ltd.,Vishnupuri Annex Indore "Korra Kanak" Sand/Morrum Mining Project over an area of 40.48 ha, (Khand No.- 03, Gata No.- 383 Mi, 391) near Village-Korra Kanak, Tehsil & District-Fatehpur, U.P.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Arun Kumar S/o Late Shri Ram Vilas Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P. Sand/ Morrum from river bed of Yamuna, at Zone No./ Gata No./ Khand No.-11/15 and 11/16, Area 24.28 Ha(60.00 Acres), at Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., M/s Rishab Herbal Pvt Ltd., (Leased Area-24.28 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Arun Kumar Tripathi (Partner) S/o Shri Kapil Muni Tripathi, R/o- Saraswati Nagar Colony, Opp. of TCI, chandanpur, Thana- Maduwadih, Sadar, District- Varanasi (U.P.), Proposed Building Stone (Sandstone) mine, at Gata No./Araji No. /Plot no. – 141) at Village- Chiraiya, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, Uttar Pradesh of M/s Sriram Infrastructure., Lease Area: 2.02 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Arvind Kumar Nagayach, Owner, R/o- 808 Ramnagar Ajnaari Road, Railway Crossing K pass , Orai, District- Jhansi, U.P., M/s Nikhil Enterprises, Proposed of "Building Stone (Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Gata No.-515, Khand No.- 04, at Village- Sirvo, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., Leased Area -2.023 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ashish Yadav S/o Ram Pratap, R/o- Village- Palar, Badagaon, Tehsil & District.- Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Chelra Sand Mine on Betwa River at Khand No.- 1055, 1107, Villgae- Chelra, Tehsil- Moth, District-Jhansi, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-16.187 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ashok Kumar Rai, Prop., M/s Maa Betwa Trading Company, R/o Village-Badora, Post-Ghisauli, District-Jhansi, U.P., Sand/Moram mining at Araji/Gata No. 278 & 293, Village-Teharka, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P. (Leased Area-20.234 Ha).

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Bhupendra Singh, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.- 01, Khand No.- 01, Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area -2.023 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Bishan Singh S/o Ghanaram, R/o- 650, C.I.C. Campus Jhokan Bagh, Jhansi, U.P., M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ghanarm Infraengineers Pvt. Ltd. located at Khand No.- SG-01, Gata No.- 191, 272, 378, 379, 380, 293/2, Village- Sangolipur Garha, Tehsil-Khanga, District- Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 31.57 ha (78.0 acre),

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram , Director, For- Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., R/o 818 west Patel Nagar, New Delhi, Proposed Sand/Morrum Mining Project for M/s Ghanaram Infra Engineers Pvt. Ltd., located at Gata No./Zone No./Khand No-01 Ka, Village- Kukargaon, Tehsil- Tehrauli, District- Jhansi, U.P.,(Leased Area-30.361 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Bishan Singh, R/o- 240/4A, Civil Lines Kachahari Chauraha, Tehsil- Jhansi, District- Jhansi, U.P., Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Betwa River located at Gata No.- 240, Khand No.- 03, Village- Hamanpur, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., (Lease Area: 13.360 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-747 (Khand No.- 01), Village- Pathreta, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-40.02 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Deen Dayal Chaurasia, R/o 28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,Faizabad Road, Lucknow,U.P., M/s Eureka Mines and Minerals LLP, River Bed Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Eureka Mines and Minerals LLP located at Gata No.-1598 Cha, Village- Samuhi, Tehsil-Ghatampur, District- Kanpur Nagar, (Leased Area-27.5 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02152/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कानपुर नगर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Deepak Changani S/o Shri Chetan Lal, Owner,R/o- H.No.-1042, CIC Camapus, Jhokan Bag, Tehsil & District- Jhansi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha), Proposed River Bed Sand Mining Project from Managoru River at Gata No.-794, Village- Atpei , Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 2.50 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Deepak Chaurasia R/o 393/161,Ashok Nagar Allhabad UP Proposed Cluster of Mines of Bhatauti Gitti, Patthar & Boulder Mining project at plot no- 2062/86, plot no- 2089/87, plot no-2089/88, plot no -2089/89 plot no2089/90, plot no2089/91, plot no2089/92, (Area- 36.82 Ha or 91 Acre) at Village - Bhatauti Tehsil - Maja, District - Allahabad , UP.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Dev Jhoti Das, Moh.- Vidhyanchal, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., Proposed Project of Building Stone, (Sand Stone) Mining Project at Gata No.- 307/4, Area-0.80 ha, Moh.- Village Kamapur Kalan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P., (Leased Area-0.80 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Sakshm Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for M/s Sakshm Contractors Suppliers, located at Gata No.- 2513, 2629, Khand No.- 02, Area-20.242 ha (50.00 Acres)Village- Kharka, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Devendra Kumar Gupta S/o Shri Shiv Kumar Gupta, Owner, R/o 160- Om Shanti Nagar, Jhansi U.P., M/s Shaksham Contractors Suppliers, Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River for , located at Gata No.- 317 Mi, Khand No.- 03, Village- Kurauna, Tehsil- Orai, District- Jalaun, U.P.,M/s Shaksham Contractors Suppliers(Leased Area-20.242 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Dhirendra Kumar Dwivedi, S/o ShriRamesh Chandra Dwivedi, R/o 115C/2B/1, Tarakutir Road, Lukarganj, Thana-Khuldabad, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.11, Village/Ghat-Birwal, Kainua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area-0.909 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Harishankar Dubey, Owner, R/o- Flat No.- 84, Balaji Nagar Colony, Samneghat, Tehsil- Sadar,District- Mirzapur, U.P., M/s Mamraj Construction Pvt. Ltd., Proposed for Building Stone (Sand Stone Mining) Mine at Khasra/ Gata No.-188 mi, Khand No.- V/1, Village- Lahaura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur, U.P.,(Leased Area- 2.02 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Harivansh Singh S/o- Bagholan, R/o Village- Ghaghara, Post- Ghaghara Tehsil - Dudhi
District -Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed "Sand/ Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 6400k, 6400kh, area- 1.876 ha in Village- Ghaghara, Tehsil- Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Harsh Kochar, C-1, & C-2, Industrial Estate, Jhansi, M/s J.K. Minerals, Proposed for Diaspore- Pyrophyllite Mining Project at Khasra No.- 1340, 1344, 1345, 1339, 1328, and Bawal Tanda 421, 422, at Village- Palar, Bewal & Tanda, Tehsil- Jhansi, U.P.,(Leased Area:72.50 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Indrasan Maurya S/o Bhrigunath, R/o-Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P Proposed river bed Sand/Morrum from river bed Yamuna at Khand No.- 7/17, Village- Rasulpur Byur, Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 9.0 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Jai Hind Singh Bundela, Owner,R/o- Village-Pachauni, Tehsil & District-Lalitpur, U.P., Proposed of Riverbed Sand /Morrum mine at Khasra/Gata No.-01,Khand No.-02 , Village-Pachauni, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Leased Area - 1.618 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Jitendra Singh, R/o-Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P.,
Proposed River Bed Sand Mining Project at Gata No.-28, 67, 73, 76, Khand No.-02,
Village- Nawada, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., Lease Area: 14.0 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Kailash Chand, E7 M708, Arera Colony, Bhopal, M.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., Devri Sand Mine on Dhasan River located at Gata No 381/10, 332/1, Village - Devri, Tehsil- Garautha, Distt.- JHANSI , U.P., M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd., (Leased Area-21.044 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Kalpanal Karwaria, Owner, R/o- 1203, Ahiyapur, Malwiya Nagar, Distt.- Allahabad, U.P., M/s K.K Associates Morrum Mining at Yamuna river, Khand No.- 16/2 & 16/3, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., M/s K.K Associates, (Leased Area-20.23 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Kamlesh Kumar Singh, R/o- Para V.W, Dhanupur, Tehsil- Handiya, District- Prayagraj, U.P. Proposed Project of Building Stone (Gitti, Boulder) Mine Project at Khasra No./Plot No.- 107, Khand No.- 7 & 8, Village- Surwadlapur, Tehsil-Meja, District- Allahabad, U.P., (Leased Area-2.631 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Karan Singh Rathore S/o- Bharath Singh Rathore, A/49 Basant Vihar Panchayawala, Near Raysal School, Jaipur, Vaishali Nagar, Rajasthan, M/s Shri Kuberkamna Marbles Pvt. Ltd., Mailwara Sand Mine on UR River located at Gata No. 950, 966 at Village - Mailwara, Tehsil- Mauranipur, Distt.- Jhansi , U.P., (Leased Area-14.164 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Kaushal Kishore Soni, Owner,R/o-Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders, Proposed for River Sand Mine at Khasra/Araji No.-391, Village- Balargua, Talbehat, District-Lalitpur, U.P., M/s Natraj Builders,(Area: 3.238 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Kesri Nandan Singh, S/o Sri Rama Shankar Singh, R/o Vastu Nagar Haweliya Jhunsi, Tehsil Phoolpur, Distt: Allahabad. Morrum nine Katri (Khand 14/11 to 14/12) Vill: Katri, Teshil Manjahanpur Distt: Kaushambi- 24.28 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Lakshhmi Shankar,Adwaha, Post- Muhara, Tehsil & District- Lalitpur, U.P., Proposed for Khanda, Gitti Mining Project at Araji No.-02/1, Khand-02, Village-Lakhanpura, Tehsil- Lalitpur,District-Lalitpur,U.P., Lease area- 2.550 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Maheep Kumar Ojha S/o Shri Ramdeo Prasad Ojha, Village- Dhushah, Tehsil- Balrampur, District-Balrampur, U.P., M/s Bindu and Ram Construction Company, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Bindu and Ram Construction Company, located at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village- Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 20.242 Ha , Effective Ar

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Mahip Singh, R/o- Bishen Ka Pura, Post-Dohriya Uruwa, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, U.P. Proposed for ordinary sand mining from river bed of Ganga river at Khand No.- 30, at Village- Paranipur- II (Bara Shiv Temple to High Tension Line Tower) & Imlauti, Tehsil- Meja/ Handiya, District- Prayagraj, U.P., M/s Mahip Construction/88944,Leased Area -5.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Mayank Tomar, Lesses, i26, Bapu Nagar, Bhilwara, Rajasthan, Dhawaker River Sand/Morrum Mine at Khasra No.-1984 & 2009, at Village- Dhawaker, Tehsil-Mauranipur, District- Jhansi, U.P., (Leased Area-12.14 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Mohd. Asif Usmani S/o Mohd. Mukwil Usmani, R/o- A 1068/5 G.T.B. Nagar, Karaili, District- Allahabad, M/s Bharat Earth Movers Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Bharat Earth Movers, located at Khand No.- 15/45 to 15/46, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 ha (60 Acre), Effective Area- 18.88 ha (46.65)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Nagebdra Singh, R/o - MIG-02 Mahabalipuram, Kanpur Nagar, U.P., M/s Vaishnavi Enterpries, River Ordinary Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-2Mi, Area 26.00 Acre (10.50 Ha) , Village- Katari Sunaudha, Tehsil- Bihaur, Distt.- Kanpur Nagar, U.P.,M/s Vaishnavi Enterpries, (Leased Area-10.50 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02152/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कानपुर नगर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Nirmal Kant Tiwari,R/o-204, Budhauliyana Rath,District- Hamirpur,U.P.,M/s Mankameshwar Infrastructure, Proposed river bed Ordinary Sand Mining from Betwa River at Gata No.-1396 , Khand No.-1,Village- Bhedi Khurd, Tehsil- Kalpi, District-Jalaun, U.P., M/s Mankameshwar Infrastructure, (Leased Area-20.42 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Pankaj Kumar S/o Shri Bhagwan Das, Owner, R/o- Mahmoodpur Manauri, Tehsil- Chayal, District- Kaushambi, U.P., M/s Jai Bajarang Traders Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Jai Bajarang Traders located at Khand No.- 11/05 to 11/06, Village- Diya Uparhar, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Lease Area: 24.28 ha (59.97 acre),

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Pramod Kumar Gupta S/o Late Ramnarayan Guupta, R/o- Shaktinagar Gwalior Road, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Boulder, Gitti)" Project at Araji No.-1195/11 & 1219/11,at Village- Digara, Tehsil-Sadar, District- Jhansi, U.P., Lease area-1.396 ha.,

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Prashant Kumar Singh S/o Shri Ramdhani Singh, R/o Patelnagar Garaudi,Thana-Adalhat, Tehsil- Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Proposed of "Building Stone(Sand Stone) Mine" Project at located Araji No.-01 Ka, at Village- Sonpur , Tehsil- Chaunar, District- Mirzapur, U.P., Leased Area -0.809 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Praveen Kumar S/o Shri Anil Kumar, R/o- Mahalla-S.R.23, Golghar, Tehsil & District- District- Varanasi, U.P., Proposed for Sand Stone (Khanda, Gitti, Boulder) Mine, at Gata No./Araji No.- 997 mi, Village- Sindhora, Tehsil- Sadar, District- Mirzapur, U.P., (Area: 0.80 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Rahul Singh,R/o-H.No.- D-31, Bhuneshwar Colony Orderly Bazar Sadar, Varanasi, U.P., Proposed for Building Stone (Sand Stone) Mining Project for Area: 9.00 Acre/ 4.00 Ha , Sand Stone (Building Stone) mining at Araji No.- 6438 Ga, Village- Naugawan, Tehsil- Lalganj, District- Mirzapur, U.P.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Raj Kumar Parecha S/o Shri Ishwar Das Pareacha, R/o- 1533, Jankipuram Civil Lines,Tehsil & District -Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone (Khanda, Gitti, Boulder)Mining" Project at Gata No.-06, Khand No.- 01, at Village- Punawali Kalan, Tehsil & District -Jhansi, U.P. Lease area-2.428 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Rajesh Kushwaha S/o Late Shri Mahadev Prasad, R/o- 20/17, Rasoolpur, Allahabad, U.P., M/s Rajesh Enterprises Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Rajesh Enterprises located at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 59.99 acre(24.28 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Rajesh Mishra, Owner, R/o- Village and Post- Ayah, Tehsil and District-Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers Proposed River Bed sand/Morrum Mining in Yamuna River for Gata No.- 130, 131, 180, 181, 184, 185, 187 and 189, Area- 16.78 ha (41.46 Acres), Village-Gokan, Tehsil & District-Fatehpur, U.P., M/s Rajesh Mishra Construction And Suppliers(Leased Area-16.78 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Rajesh Singh , M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd. , W-21, First Floor, Rajauri Garden, Dehli, Erach (Khand-01/Area- 40.468 ha) Sand/Morrum Mine on Betwa River at Khand No.- 01, Village- Erach Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Ambey Suppliers Pvt. Ltd., Sanctioned Lease Area: 40.468 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Rajesh Singh, M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd., 312- Ganpati Plaza, Bhati, 41 M. Road, Rajasthan, Basrehi Sand/Morrum Mine on the Betwa River for M/s Kuber Kamna Marbels Pvt. Ltd. at Gata No.- 596, Khand No.-02,(Area- 16.194 Ha), Village- Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P.,

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District- Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed " Sand/Morrum Mining" at Yamuna Bed River, Gata No.-108 to 120, 124 to 133 & 153 & 162, Area - 35.63 Ha (88.00 Acres)Village- Oti, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd., (Leased Area-35.63 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ram Prasad Rai (Director), S/o Late Kishun Dayal Rai, R/o- Koilwar, District-Bhojpur, Bihar, M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd. Proposed Moram Mining Project at Yamuna River bed, Khand No. - 302, 301, 296, 297, 286 mi, 271 mi, 287 mi, 270 mi, 269 mi, 259, 58 mi, 255, 254, 253, 291, 252, 251, 292, 290, 289, 288, 287, 294, & 293, at Khand No.- A-10, OF Area-40.48, Ha(100.03 Acres) Village - Adhawal, Tehsil & District - Fatepur, U.P.,M/s Bansidhar Construction Pvt. Ltd.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ravendra Singh Chauhan, Owner, 440, Near National Convent School, Lalitpur, U.P., Padwa River Sand Mine at Araji No.- 01, at Villge- Padwa, Tehsil- Mahaoni, District- Lalitpur, U.P., M/s Ramraja Minerals, Leased Area -2.60 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ravi Jain, Director, R/o- 214 2nd Floor Bardhman Plaza Neta Ji Subhash Place, Delhi, M/s Amoras Trading India Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Yamuna River located at Khasra No./Gata No.- 389, 391, Village-Korra Kanak, Tehsil-Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., M/s M/s Amoras Trading India, Lease Area: 40.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ravi Shankar Gupta S/o Late Hira Laal, R/o- Daranagar, Tehsil- Sirathu, District-District-Kaushambi, U.P., Proposed river bed Sand/Morrum Mining Project along river Yamuna located at , Khand No.- 9/25 to 9/26, Village-Mohammadabad Kewat Ka Purwa, Tehsil-Chayal, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area-16.00 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ravindra Kumar Pandey S/o Shri Ram Krishna Pandey, R/o- Nimbi, Post- Khai, Tehsil- Karchhana, District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction River Bed Sand Mining in River Tons, at Zone No./ Gata No./ Khand No.- 44, Area- 6.0 ha(14.82 Acres) at Village-Bagheda and Dharwara, Tehsil- Karchhana , District- Allahabad, U.P., M/s Bajarang Construction, Lease Area- 6.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Ravindra Mishra, R/o- Village- Khargupur, Tehsil- Raja Talab, District-Varanasi, U.P, Proposed Project Building Stone Gitti/ Boulder (Sand Stone), Mine Araji No.-30/73, Village –Sukrit, Tehsil –Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area- 1.2545 ha,

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sagar Parecha, R/o- Ao 27 Ramnath City, Rajgarh, Tehsil- Sadar, District- Jhansi, (U.P.), Proposed for Building Stone, khanda, gitty, boulder Mining Project Area 1.214 Ha. for a Production of 36420 m 3 /yr at Gata No.1127,Khand No.-2, Village-Chaukari, Tehsil- Garautha, District-Jhansi State- Uttar Pradesh by Prop. Shri Sushil Parecha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Saiyad Sahil Ali S/o Shri Mohd. Rajan Babu, House No.- 1/8/40, Village- Kumharan Tola, Post- Sahadatganj, Cantt., Distt.- Faizabad, U.P. Proposed River Bed from Yamuna River located at Khand No. - 15/41 & 15/42, Village- Umrawan, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P., (Leased Area-24.28 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sanjay Kumar S/o Late Jagat Narayan, Owner, R/o- Mahmoodpur, Manauri, District- Kaushambi, U.P., M/s Sagar Brick Field. Extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.- 8/3 and 8/4, Village- Rushai, Saidpur,Tehsil- Chail, District.- Kaushambi, U.P.,M/s Sagar Brick Field., Lease Area: 24.28 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sanjay Tyagi ,Managing Director, M/s Devyash Project & Infra-Structure Pvt. Ltd., Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P. Proposed Sand/Morrum Mining Project in Yamuna River at Khand No.- R.K. 1A,(Gata No.-Part of 144 etc, 40, 36, 32, 68, 5) , Village- Ramnagar Kauhan, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., Sanctioned Lease Area: 34.81 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, Owner, R/o 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Sand Mining from River Bed of Yamuna River from Khand No.-3, Area 8.00 Ha (19.76 Acres) , Village- Bhilor, Tehsil- Bara, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s C.L. Gupta & Sons, (Leased Area-8.00 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sanjeev Kumar Gupta, S/o Shri Surendra Kumar Gupta, R/o Shri 437/189, Nevada Colony, Ashok Nagar, Tehsil-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 4, Village-Semri Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Santosh Kumar Yadav S/o Shri Deena Nath Singh Yadav, Owner, R/o- H.No.-184, Eldico Green, Gomati Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Enterprises Proposed "Sand/Morrum Mining " Project in Yamuna River at Gata No.-467, 466, 454, 425, 426, 427, 428, 430 & 431, Village- Adhawal, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P.,(Leased Area: 6 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Santosh Tiwari S/o Shri Surendra Tiwari, R/o- Mo. No.- C-144, Sector-E, Thana-Aliganj, District- Lucknow, U.P. Proposed of Sand/Morrum Mining Project from Riverbed of Yamuna River located at Khand No.- 15/35 to 15/39, (Khand Sr. No.- 03) Village- Umrawan , Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Lease Area: 10.00 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sarvesh Kumar Pathak, S/o Shri Lalji Pathak, R/o Muriladih, Thana-Ghorawal, District-Sonebhadra, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 2, Village-Pandua, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Satish Kumar Upadhyay S/o Ravindra Kumar Upadhyay, Add.- Bandhawa, Kanchwa, District- Mirzapur, U.P., Proposed "Sand/Morrum Mining" Project at Araji No.- 166 (Khand No.-01), Village- Nagawan, Tehsil- duddhi, District- Sonebhadra, U.P.,M/s Aman Asociates (Leased Area-8.097 ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sharad Pratap Singh S/o Shri Shyam Sundar Singh, R/o- Village- 240, 4A, Kachahri Chauraha, Distt.- Jhansi, U.P., M/s Sharad Enterprises, River Sand Mining at Araji/Gata/Khand No.-184, Area 22.00 Acre (8.903 Ha) , Village- Paraicha, Tehsil-Moth, Distt.- Jhansi, U.P.,M/s Sharad Enterprise, (Leased Area-8.903 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sharif Khan, Owner, R/o- 315 Nemi Nagar, Extension- Vaishalinagar, Jaipu , M/s Green India Consultina Pvt. Ltd., Karthara Sand Mine on Betwa River at Khand No.-01,Gata No.- 208, Villgae- Karthara, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.,(Leased Area-6.882 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Shesh Narayan Karwariya S/o Shri Liladhar Karwariya, Village- Tenva, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for Shri Shesh Narayan Karwariya located at Khand No.- 16/16 & 16/17, Village- Jamunapur, Tehsil- Manjhanpur, District-Kaushambi,, U.P., Lease Area: 24.28 ha, Effective Working Area: 16.38 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Shivpratap Singh Chandel S/o Shri Kallu Singh, R/o- 20-A, Gautam Nagar, Tehsil- Sadar, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 40.48 ha (100.0 acre) along River Yamuna in Gata No.- 391 Mi (Khand No.- 04), Village- Korra Kanak, Tehsil- Fatehpur, District- Fatehpur, U.P., M/s Jai Shakti Realcon Pvt. Ltd. (Leased Area- 40.48 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Shrestha Sahu S/o Shri Vinod Sahu, Owner, R/o- 940/80 Civil Line ,Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction, Area- 30.0 Acre/ 12.140 Ha. for River Sand/Morrum Mining at Khand No./ Gata No.- 1129, Village- Dikauli, Tehsil- Garautha, District- Jhansi, U.P., M/s Vardan Construction (Leased Area-12.140 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Subodh Shukla, R/o- Bagkuchha, District- Farrukhabad, M/s R.C. Construction Company, Mining of Minor Mineral (Ordinary Sand), at Plot No.- 970 Ka, 1162, Village- Bhaupur Chaurasi, Tehsil- Amritpur, District- Farrukhabad, U.P., M/s R.C. Construction Company, (Leased Area-7.194 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02142/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फर्रूखाबाद/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sudhakar Katiyar, Owner, R/o- Village- Maseni, Tehsil- Farrukhabad, District-Farrukhabad Proposed River Bed Sand/Morrum Mining in River Ganga at Village-Bhithaura, Gata No.-AS-1, Gata No.- 771/1/9 to 771/2/9, Area- 12.0 ha(29.65 Acres) at Village- Asani, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., Lease Area: 12.0ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sujeet Tiwari, R/o-372/28, Babulal Karkhane K Pass, Civil lines,Tehsil- Sadar, District- Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction, Proposed Project of riverbed "Ordinary Sand Mining" on the riverbed of River Gorboro at Gata No.- 373, 374, 382, 383, 384, 386, 387, 782, 800, 692 at Village-Navada, Tehsil-Mauranipur, District-Jhansi, U.P.,M/s Sanika Construction,Leased Area -3.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन “Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining” का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Suneel Raajak S/o Shri Hira Rajak, R/o- 1333, Pragatisheel Colony Road, Vijay Nursing Home, Narmda Road, Bhita Thana- Gorakhpur, Distt- Jabalpur(M.P) Sand/ Mining Project of Shri Sunil Rajak (Area 8.00 ha) Near Village-Pratappur, Tehsil- Bara, District- Allahahbd, U.P., Lease Area 8.00 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sunil Kesharwani, S/o Shri Ram Babu Kesharwani R/o –744, G T Road, Bamrauli, Distt-Prayagraj, U.P. Proposed river bed Sand/Morrum Mining having lease area 16.00 ha (40 acre) along river Yamuna in Khand No. 9/3 to 9/4 at Village – Piparhata, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U. P. of M/s Vishwanath Enterprises, Area 16.00 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Sunil Kumar Pandey S/o Shri Anand Shankar Pandey, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P. Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Harsh Enterprises, located at Plot No.-13/18, 13/19, Village- Badahari, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 24.28 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Suresh Chandra Dani (Prop.), R/o- Gaujajali, Bichli Haldawani, District- Nainital, Uttar Khand, Proposed of River Bed Sand Mining along Ganga river, at Gata No.- 72, at Village/Ghat- Katri Manpur, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P., of Shri Suresh Chandra Dani,Leased Area -10.177 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02142/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फर्रूखाबाद/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Area- 40.0 Acre/16.194 Ha. for River Sand/Morrum Mining Project at Khand No.- 03, Gata No.- 267, 268 ,Village- Kyotra, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta (Leased Area-16.194 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Suresh Chandra Gupta S/o Shri Narayan Das Gupta, Owner, H.No.- 60, Ganesh Bazar, Jhansi City, District- Jhansi, U.P., M/s Suresh Chandra Gupta, Sand/Morrum Mining from betawa river for M/s Suresh Chandra Gupta at Gata No. 596 Khand No. 1, Village- Basrehi, Tehsil- Kalpi, District- Jalaun, U.P. (Area 16.194ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Udai Pratap Singh, S/o Shri Budhiram Singh, R/o 86B, Mohile Nagar, Allapur, Thana-George Town, Tehisl-Sadar, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 11, Village-Kanjasa, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Umesh Chandra Bansal S/o Shri Kailash Narayan Bansal, Village- Jauti Road, Near Radha Krishan Temple, Porsa, District- Muraina, U.P., M/s Kanhaiyan Lal And Sons, Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River for M/s Kanhaiyan Lal And Sons located at Gata No.- 1782, 1783, Khand No- 03,Village- Muhana, Tehsil- Orai, District-Jalaun, U.P., Sanctioned Lease Area: 8.906 ha , Effective Workable Area- 8.016 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Upendra Kumar Gupta S/o Shri Minnilal Gupta, R/o- House No.- E-91, Shri Nath Vihar Colony, Flat No- 2, Chilla Road, District- Banda, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 7.13 ha (17.61) along River Ken in Khanda No.- BA-1,Gata No.- 43 mi, 44 mi, Village- Bara, Tehsil- Bindki, District- Fatehpur, U.P., M/s Shreebamdev Global Pvt. Ltd., (Leased Area-7.13 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Vidyabhushan Singh, S/o Shri Ramesh Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 5, Village-Naudiha, Amilia, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Vijendra Kumar S/o Shri Laldhari Kushwaha, R/o Village- Sarai, Post- Ramgarh, Tehsil- Robertsganj, District - Sonbhadra (U.P.). , Proposed Project of riverbed Sand / Morrum Mining" from private land (Niji Bhoomi) at Arazi No. 166 Kh, in Village- Nagwa, Tehsil-Dudhi, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh., Area 2.0 ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Vishwas Parmani, S/o H. Parmani, R/o - Asssociated Commerce, Pipriya, Distt.- Hoshangabad(M.P.), M/s Associated Commerce, Sand/ Morum Mining Project from Betwa River for M/s Associated Commerce located at Gata No.-747/16, Village- Patharehta, Tehsil-Kalpi, Disst.- Jalaun, U.P., M/s Associated Commerce, Lease Area 8.90 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Yamuna Prasad Shukla S/o Shri Siyaram Shukla, Owner, Village- Kohrar Bazar, Thana & Tehsil - Meja, Distt.- Allahabad, M/s Yamuna Enterprises Sand Mining from River Bed of Tons at Khand- 45, Area- 6.0 ha (14.82 Acres) , Village- Sulmai to Sodhiya, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P.,M/s Yamuna Enterprises, (Leased Area-6.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Shri Yashpal Singh Parmar, Owner, M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd., District-Chhatarpur, M.P., Area- 40.0 Acre(16.194 ha) for River Sand/Morrum Mining at Khand No.-04, Gata No.- 2558, 2563, Village- Bandhauli, Tehsil- Urai, District-Jalaun, U.P., M/s Khajuraho Motors Pvt.Ltd (Leased Area-16.194 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt Sunit Singh W/o Raviraj Singh, Address: Shri Surendra Kumar S/o Late Shivmurti Bhartiya, Owner, R/o- Village - Berui, Tehsil- Phoolpur, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction Sand/ Mining from River bed of yamuna at khand No.- 14, at Village- Baswar, Tehsil- Karchhana, Distt.- Allahabad, U.P., M/s Raj Construction, (Leased Area-12.00 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Dayawati Singh W/o Shri Rajendra Prasad Singh Address- Krishnapuri, Bharuhana, Sadar, Mahuana, Mirzapur, Proposed Sand Mining Project at Gata No. 03 Mi, (Khand No. - 02), (Area 5.0 Ha.) in Village: Gogaon, Tehsil: Sadar & District: Mirzapur, Uttar Pradesh

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02159/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/मिर्जापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 /सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024 ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Karuna Parecha Ruchi Satya,R/o-1533, Jankipuram Civil Line , Jhansi, Proposed of Khanda,Gitti mine at Araji/Gata No.- 02/1, Khand No.-03, Villlage- Lakhanpura, Tehsil & District- Lalitpur, U.P.,Lease Area 1.0 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Madhubala Ojha W/o Shri Manish Ojha, R/o- Shyam Colony, Vishunipur, Near Bhagwatiganj, Balrampur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor Proposed Morrum Mining Project at Yamuna River Bed at Gata No- 33, 34, 38, 39, 50, 51, 56, 57, Khnad No. S.P.- 1 & 2, Village- Salempur, Tehsil- Khaga, District- Fatehpur, U.P.,M/s Aditya Building Material Supplier and Contractor ,(Leased Area- 30.36 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02143/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/फतेहपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Mansi Rastogi W/o Shri Deepak Rastogi, Owner, H.No.- 132 HIG, Preetam Nagar, Gayasuddinpur, Uprhar, District- Allahabad, U.P. Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River for M/s Balaji Coal Company, located at Khand No.- 9/8 to 9/10, Village- Umarwal, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, U.P., Sanctioned Lease Area: 18 ha,

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Priyanka Seth, W/o Shri Saurabh Gupta, R/o 905, Chandra Vihar Colony, Tehsil & District: Jhansi, U.P, Proposed of "Sand/Morrum Mining" at Betwa River Bed at Gata No. 321 (Khand – 01) of Area: 4.5 Ha, Village: Saujna, Tehsil: Moth, District: Jhansi, State: Uttar Pradesh.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Renu W/o Shri Satendra Kumar R/o- Ahiran Ka Pura, Dari Tehsil- Meja, District – Prayagraj U.P., M/s Jai Maa Aadi Group Proposed Building Stone (Gitti/Boulder/Khanda) Sandstone mine at Araji No. /Plot No. - 275, Khand No.– DH/14, at Village – Dharawal, Tehsil- Meja, District- Prayagraj, Uttar Pradesh of M/s Jai Maa Aadi Group, Area 1.012 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Rita Gupta W/o Shri Sanjay Kumar Gupta, R/o- 49, Kailash Residency, Than-Kotwali, Tehsil & District- Jhansi, U.P., Proposed of " Building Stone(Khanda, Gitti & Boulder) Mine" Project at Khasra No.-03, at Village- Sirov , Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P., Lease area-2.023 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Srimani Gupta W/o Shri Ashok Kumar Gupta, R/o- Mayur Vihar Jhalwa, Tehsil-Sadar, Distt.- Allahabad EC of mining lease for extraction of Sand/Morrum from river bed Yamuna at Zone No./Gata No/ Khand No.-11/3 and 11/4, Area- 24.28 ha. (60.00 Acres) Village- Diya, Tehsil- Manjhanpur, Distt.- Kaushambi, U.P.,Lease Area: 24.28 Ha

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02153/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/कौशाम्बी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o H.N. 53-A, Shaktinagar, Chaka, FCI, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.16, Village-Madauka, Meerakpur and Mahewapatti (Paschim), Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-8.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Sunita Singh, W/o Shri Raviraj Singh, R/o Village-Pawari, Tehsil-Karchhana, District-Allahabad, U.P. M/s Raj Construction Proposed river bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No. 6, Village-Majhiyari and Bhadhaur, Tehsil-Bara, District-Allahabad, U.P. (Leased Area-10.0 Ha)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02162/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/प्रयागराज/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Smt. Triveni Devi W/o Shri Ratan La Ahirwar, R/o- 365, Nainagarh, Nagra,Jhansi,U.P., Proposed for Punawali Kalan(Gitti-Ballast & Khanda, Boulder) Mine" Project at Gata No.-2449, 2451/2, Village- Punawali Kalan, Tehsil & District-Jhansi, U.P., Leased Area -5.0 Acres

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02150/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/झांसी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Sri Bishan Singh S/o Shri Ghanaram Singh R/o H.No. 240/4A, Civil Lines, Kachhehri Chauraha, Distt: Jhansi, U.P., Sand/Morrum Mining from Betwa River Gata no. 240 Khand no.5, Vill: Himanpura, Tehsil Kalpi, Dsitt: Jalaun.U.P. Lease Area 16.194 ha.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Sri Mahesh Kumar Dubery,, EC for Khanda/Gitti/Boulder Stone Mining Project at Gata No-892/3, Vill-Chhirwali, Tehsil-Konch, Distt-Jalaun, U.P. (Leased Area 2.70 Acres)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Sri. Brijendra Singh, Village-Nrew Ramnagar Orai, Tehsil-Orai, District-Jalaun, Sand/Morum Mining Project at Gata No-860/19, Village-Simiriya, Tehsil-Orai, District Jalaun (Leased Area 3.112 Hac)

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02149/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/जालौन/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Sri. Rajeev Agrawal, CGM (T) cum Regional Officer, U.P. M/s National Highways Authority Of India (NHAI), Sand/Moram Mining, Project at Gata No, 246, 472, Village-Khebandha,Tehsil- Robertsganj,District-Sonbhadra,UP.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02172/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सोनभद्र/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

VIPUL KUMAR AGRAWAL, gata 2101/2 khand 06 Sijhari, Dist. MAHOBA, 210425

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02158/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/महोबा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, महोबा।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महोबा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05468 */सी0–2/एन0जी0टी0–66/निक्षेप/2024* ***Dated:*** *10-01-2024*

सेवा में,

Sri. Deependra Singh Chauhan, MS KRISHNA ENTERPRISES, 115, Vijay nagar, Kanpur Road, District- Lucknow, Uttar Pradesh-226023, Sand Mining at River Sharda, Village-Mudi, Gata No. 443, Tehsil, Dhaurahra, District Lakhimpur Khiri, U.P.

विशयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02155/सी–2/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/ललितपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपका खनन पट्टा समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ/क्षेत्रीय अधिकारी झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–2

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H05474/सी–3/सा०–322/2024 दिनांक: 10/01/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s MHG Landstockist Pvt. Ltd.- Sand Mining located at Gata No-212 ,216-224, 232-246, 379, 381-385, 391,392, Khand No.-03, Village- Subhanpur, Tehsil-Khekra, Distt.-Baghpat.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02132/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बागपत/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी याद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H05479/सी–3/सा०-392/खनन/2024 दिनांक: 10/01/2024

पंजीकृत

सेवा में,

Proposed River Bed Sand/Morrum Mining having lease area 4.213 ha (10.41 acre) along River Yamuna in Gata No.- 1671 & 674, at Village- Issopur Khurgan, Tehsil- Kairana, District- Shamli, U.P., (Leased Area-4.213 Ha) Shri Manju Singh W/o Shri Jay Kumar Singh, R/o- 502, Awas Vikas, District- Fatepur.

विषय: इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02169/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बागपत/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H05478/सी–3/ Sec-323 /रेक्ता/2024 दिनाँकः 10/01/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/S MANGAL INFRA REALTY PVT LTD KHASRA NO 1/2,
VILLAGE GAURIPUR KHADAR, DISTRICT AND TEHSIL BAGHPAT.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02132/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बागपत/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान मे संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H05477 / सी–3 / सा०–322 / खनन / 2024 दिनांक: 10 / 01 / 2024

पंजीकृत

सेवा में,

M/s Apollo Retailers Pvt. Ltd., Gata No.-1/2, Village- Chaprauli Khadar,
Tehsil- Badaut, District-Baghpat, U.P.,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02132 / सी0–6 / सा–407 / नोडल खनन / का0ब0नो0 / बागपत / 2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752 / एम–एनजीटी वाद / 2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन / संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. पुलिस कमिश्नरेट / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H05476/सी–3/सि०-322/खनन/2024 दिनाँकः 10/01/2024

पंजीकृत

सेवा में,

M/s HSM HOLDINGS Village- Sankroud, Tehsil- Khekra,
District-Baghpat.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02132/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बागपत/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H 05475 / सी–3 / सा0-322 / खनन / 2024 दिनाँक: 10 / 01 / 2023

सेवा में,

पंजीकृत

- M/s Manish Chauhan- Sand Mining located at Gata No.-1/2/1,
  Village-Badarkha Salarpur, Tehsil- Badaut, Disst.- Baghpat, U.P.,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 02132 / सी0–6 / सा–407 / नोडल खनन / का0ब0नो0 / बागपत / 2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752 / एम–एनजीटी वाद / 2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन / संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. पुलिस कमिश्नरेट / वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02138/सी0-4/ सा-162/निक्षेप/2024 Dated 10-1-24

पंजीकृत

सेवा में,

Mr Mohammad Ali
S/o Late Mr Fakir Mohammad,
Bulandshahr

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02138/सी0-6/सा-407/नोडल खनन/का0व0नो0/बुलन्दशहर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम-एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नहीं है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:-

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2. वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02138 /सी0-4/ सा-162/निरीप/2024 Dated 12/12/23

-संजीकृत-

सेवा में,

Mr Jitendra
S/o Mr Aan Singh,
Bulandshahr

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02138/सी0-6/सा-407/नोडल खनन/का0ब0नी0/बुलन्दशहर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम-एनजीटी याद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रद्द हो जाने का कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:-

1- आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02127 /सी0-4/ सा-162/निदेश/2024 Dated 10-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Ram Gopal Chaudhary S/o Shri Kaloo Ram Chaudhary, H.No.-162/2 Vijay Nagar, Gali No.-2, District- Etawah (River Bed Ordinary Sand Mining Project from Yamuna River for M/s R G Construction located at Gata No.-63/2, Village- Karmana, Tehsil- Agra, Sanctioned Lease Area: 6.07 hac.) District- Agra, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02127/सी0-6/सा-407/नोडल खनन/का0ब0नो0/आगरा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम-एनजीटी याद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:-

1- आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, आगरा।
2- पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H05462 /सी0–4/ सा–162/निक्षेप/2024 Dated 10-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Arun Kumar S/o Late Shri Rambilash Singh, R/o- A1/123, D.L.F. Dilshad Vistar 2, Sahibabad Pasaunda, District- Ghazaibad, U.P., M/s Rishabh Herbal Pvt. Ltd.(Akbara-2 Ordinary Sand Mining at Yamuna River" Project at Gata No.-1175 Sh. Village- Akbara-2, Tehsil- Kirawali, (Leased Area: 8.09 Ha), District- Agar, U.P.

विषय: इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02127/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/आगरा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1– आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, आगरा।
2– पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02127/सी0–4/ सा–162/निवेप/2024 *Dated* 10.1.2024

सेवा में,

संशोधित

Shri Harivansh Lal Verma S/o Bhagoti Prasad Verma, Owner, Village- Dhem, P.O.- Bhambuwa , Tehsil- Colonelganj, District- Gonda, U.P. (Proposed River Bed Sand Mining Project from Yamuna River for M/s Ankur Construction, located at Gata No.- 1064 Mi, Village- Madra, Tehsil- Agar, Lease Area: 6.07 ha, District- Agra, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02127/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/आगरा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एमजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1– आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य मे इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, आगरा।
2– पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02127 /सी0–4/ सा–162/निरोप/2024 Dated 10-1-24

सेवा में,

पंजीकृत

Smt. Dolly Garg, W/o Shri Brajesh, R/o - H.No.- 12/40, Nagala Udaiya Road, Kheragarh, Distt.- Agra, U.P., M/s Mahakali Conctruction- Sand Mining (Sand Mining Project from Yamuna River of M/s Mahakali Conctruction- Sand Mining located at Gata No.-1,2, Village-Sawami Ahatmali, Tehsil- Sadar, M/s Mahakali Conctruction - Sand Mining, Lease Area 6.07 Ha), Distt.- Agra, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H02127/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0व0नो0/आगरा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसनें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1– आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, आगरा।
2– पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...H.0..5.3.9 8 /सी0–5/ O.A.No – 5398/2022/23 **Dated** ----09/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Stish Chandra Gupta, R/o- 225, Aryanagar, Tehsil-Sadar, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थत–

Proposed Ordinary Sand Mining Project at Gata No.-21 Ka/20,at Village- Manjha Setuhee, Tehsil-Laharpur, District-Sitapur, U.P.,Leased Area -1.0720 ha,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02171/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सीतापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.O.5400 /सी0–5/125/OAN–393/2022/23 **Dated** 09/01/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Tripurari S/o Shri Kailash Chandra Rawat, R/o-131, Sugamau, Post- CIMAP, Thana- Indira Nagar, Distt.- Lucknow, U.P., M/s Kamal Enterprises

खनन स्थत–

Sand/ Mining Project at Gata No.- 1105 Mi, 1328 ka, 1104 Mi, 1325, Village-Raghunathpur, Tehsil-Misrikh, District-Sitapur, U.P., M/s Kamal Enterprises, Lease Area 10.132 Ha

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02171/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सीतापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.O.5404 /सी0–5 | 125 | OA No.–393 | 2022 | 23 **Dated** 29/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

M/S Raalpur Ordinary Sand Mining Project Gata No.
1436/22, 1437, Khand no. 1/A, Vill. Raalpur, Tehsil
Lalganj, Raebareli

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02163/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/रायबरेली/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No....H.O.5402/सी0–5/125/O.A.N.393/2022/23/ **Dated** 09/11/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shrimati Bhanmati, R/o- Village- Kothri Gauriya, Tehsil- Sirauli Gauspur, Barabanki,Sirauli Gauspur,Barabanki,Uttar Pradesh

खनन स्थत–

Proposed of Riverbed Ordinary Sand mine, Village Kothri Gauriya (Gata No.- 685/2/1, 685/2/2, 758/3, 674, 675/1, 758/1 & 758/1) Tehsil- Sirauli Gauspur & District -Barabanki, Developed By Shrimati Bhanmati, Area 1.6035 Ha

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02136/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बाराबंकी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.O.5403/सी0–5/125/OAN-393/2022/23 **Dated** 09/04/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Md. Azam, R/o- 55, Harni Dih, Lalganj, Tehsil- Utraula, District- Barabanki,U.P.

खनन स्थत–

Proposed Project of Ordinary Sand Mine at Gata No.- 1 Gh, Village- Kothri Gauriya, Tehsil- Sirauligauspur, District- Barabanki,U.P., Lease area-2.1833 ha.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02136/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बाराबंकी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...H.O.5404/सी0–5/125/OA No.-393/2022/23 **Dated** 29/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Smt Nitu Sigh w/o Late Raj Karan Singh H No 46,
Navikote Nandana Bakshi Ka Talab, Lucknow, U.P.

खनन स्थत–

Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ghaghra River for M/s Laxmi Dev, located at Khand No.- 02, (Gata No.-498 Jha), Village- Udhaiya, Tehsil- Ramnagar, District- Barabanki, U.P., Sanctioned Lease Area: 12 ha,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02136/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बाराबंकी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. ~~H.O.540.5~~ /सी0–5 1125/OAN-393/2022/23 **Dated** ~~--/--/24~~ 9/4/24

पंजीकृत

सेवा में,

पत्राचार का पता–

M/s Mahadev Enterprises, Owner, Satrikh, Chinhat Road, Zafarpur, District-Barabanki, U.P.

खनन स्थत–

Proposed River Bed Sand Mining Project from Gomti River located at Gata No.-182 Mi, 184, 186, 199 Kh, 200, 201,203 Mi, Village- Jheejha Mau, Tehsil- Nawabganj, District-Barabanki, U.P., (Total Lease Area: 5.238 ha)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02136/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बाराबंकी/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.O.540.6 /सी0–5 /125/OAN-393/2022/23 **Dated** 9/1/24

पंजीकृत

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Ashish Kumar Pandey S/o ShriAnil Kumar Pandey, R/o- Anang Behta, Tehsil-Sadar, District- Hardoi, U.P.

खनन स्थत–
Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-33, 575, 576, 585, 586, Village- Daniyalganj, Tehsil-Sadar, District- Hardoi, U.P., (Leased Area-0.853 Ha)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02148/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/हरदोई/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.....H0...5407/सी0–5/125/0 A No.–393/2022/23 **Dated** ---9/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Rajveer singh S/o Shri Veerendra Singh,
122/1 Kailashpuri, Sandi Road, Distt.- Hardoi,
U.P., M/s Awadh Construction

खनन स्थत–

"Ordinary Sand Mining "Project at Gata No- 319 to 357, 358 Mi/ 359 Mi & 680 to 682, 683 ka, 683 kha, 683 Ga, 684 to 688, 689 ka, 689 kha, 690, 691, 692 ka, 692 kha, 692 Ga, 693 to 699, 700 ka, 700 kha & 704, Village- Katriparsola & Chhibramau

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02148/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0व0नो0/हरदोई/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.o.5408 /सी0–5 /425/O.AN.-393/2022/23 **Dated** 9/1/24

पंजीकृत

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Dhrmveer Gupta, A-3, 1996, New Civil Lines, Indra Prasad, Hordoi

खनन स्थत–
Sand/Mining Project at Gata No.-497, Village-Kutwapur Panchsala, Tehsil- Bilgram, Distt.-Hardoi, U.P., Lease Area: 20.0 Ha

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02148/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/हरदोई/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...H.O.5399 /सी0–5/1125/0AN–393/2022/23 **Dated** ---09/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

पत्राचार का पता–

Shri Amit Kumar Singh S/o Krishna Kumar Singh, R/o- Village- Bhithaura Bahadur Nagar, Tehsil- Maholi, District- Sitapur, U.P.

खनन स्थत–

River Bed Sand Mining in River Kadhina at Gata No.- 325, 348, 356, 357, 360, 391, Area- 7.315 ha, Village- Bhithaura Bahadur Nagar, Tehsil- Moholi, District- Sitapur, (Leased Area-7.315 Ha)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02171/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/सीतापुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...H0.5415/सी0–5/125/OAN-393/2022/23 **Dated** ---23/1/24

पंजीकृत

सेवा में,

पत्राचार का पता–
Shri Sunita Singh W/o Shri Pawan Kumar Singh, R/o- B- 708, Sector- C, Mahanagar, Lucknow, U.P.

खनन स्थत–
Sand/Mining Project at Gata No.-463, 464, 466, Village-Tadaura, Tehsil- Sawayajpur, Distt.- Hardoi, U.P., Lease Area: 10.38 Ha

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–H 02148/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/हरदोई/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने के कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1105430 /सी0-6/सहमति जल/R-766/निरोप/पुप्रनि0बो/2024 Dated 09-01-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/s Aradhya Enterprises,
Prop. Shri Ajay Kumar Singh, Mining area-vill-Sonauli Mohmmadpur, Gata no-6186JA, (Area in Hec-6.00), Tahsil-Tarabganj, Gonda.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02145/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/गोण्डा/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।
2. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.02144 /सी0–6/सहमति जल/सं:707/निरीप/XI NS /2024 Dated 09.01.24

पंजीकृत

सेवा में,

Proposed Project of River Bed "Sand/Morrum Mining"on the river bed of Ganga River, at Gata No.- 1255 Ka (Area 15 ha) in Village- Bara, Tehsil- Sewrai, Distt.- Ghazipur

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निरस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02144/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0क0नो0/गाजीपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.02134 /सी0–6/सहमति जल/ 766 /विशेष/ बस्ती /2024 Dated 09-01-24

पंजीकृत

सेवा में,

Shri Ajit Kumar Mishra S/o Shri kailash nath Mishra,
Civil Line, Balrampur, Mining Project Address-Total Area2.387hect.
of Gata No.-5, 7क, 30क मि, 28 of Vill-Ahlad Nagar, District-Balrampur.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02134/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/बलरामपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.05427/सी0-6/सहमति जल/G 766/विशेष/Y N S /2024 Dated 09-01-24

पंजीकृत

सेवा में,

M/s Tejaswa Gas Service Sand Mining
at Gata No-2, Village- Gangbarar Tari, Tehsil- Zamania,
Distt.-Ghazipur

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02144/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/गाजीपुर/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.H05426 /सी0–6/सहमति जल/Ah-710/निरीक्षण/XII5 /2024 Dated 09.01.24

पंजीकृत

सेवा में,

M/s Rajesh Prasad Yadav and Son
located at Arazi No.-2, Khand No.-01,
Village- Hasanpur, Tehsil- Sakaldiha,
Distt-.Chandauli, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निरस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02139/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0व0नो0/चन्दौली/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1205:625 /सी0-6/सहमति जल/80-710/विशेष/V.M.S./2024 Dated 09.01.24

पंजीकृत

सेवा में,

Shri Ajay Kumar Singh
located at Arazi No-2 Ga, Khand No.-03,
Village- Puravijal, Tehsil-Sakaldiha,
Distt.-Chandauli, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निरस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02139/सी0-6/सा-407/नोडल खनन/का0क0नो0/चन्दौली/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम-एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निरस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है:-

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H02424 /सी0–6/सहमति जल/766/निक्षेप/GMP/2024 Dated 09-01-24

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Raj Pratap Yadav S/o Shri Bhagwat Prasad Yadav,
Proposed "Sand Mining" at Ghaghra River Bed at Gata No. - 396/1 ,
Village: Takia Dharahara Khadar, Tehsil: Salempur,
District: Deoria, State: Uttar Pradesh,Area: 11.70 Ha

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनाँक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.02141/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0/देवरिया/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रद्द हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Pawan Chauhan S/o Shri Ram Pal Singh, R/o-Village- Pal, Salempur Gosain, Gajraula, Amroha,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02128/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Amroha/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Amroha।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Amroha।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Moor Singh S/o Shri Karan Singh, Mahmoodpur, Than- Sunagadi, Tehsil- Patiyali, District- Kasaganj,U.P., M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02131/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Badaun/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Badaun।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Badaun।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Jitendra Kumar, Owner, S/o Shri Gyanchand, Ward No.- 4, Dineshpur, Tehsil-Gadarpur, District- Udhamsingh Nagar(U.K.), M/s Green India Consultina Pvt. Ltd.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02131/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Badaun/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Badaun।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Badaun।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Yash Pal Singh S/o Ramswaroop Singh, R/o-Village- Mathera Chauhan, Tehsil- Nagina, District- Bijnor, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02137/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Bijnore/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Bijnore।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Bijnore।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Satyendra Singh S/o Shri Brijendra Singh, R/o- A-7, Mangal Vihar Colony, Nikat Nangla Maulvi Aligarh Shehar Col, District- Aligarh, U.P., M/s Brijwala Infra Solution Pvt. Ltd.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02137/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Bijnore/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Bijnore।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Bijnore।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Dilip Kumar Ojha S/O Shri Hanuman Prasad Ojha R/O-184, N Block, Kidwai Nagar, Kanpur Nagar, U.P,M/S JAYANTI ENTREPRENEUR PVT. LTD.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02137/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Bijnore/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Bijnore।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Bijnore।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Mr. Neelam Mathur, Owner, M/s Krishna Construction, H.No.-31, Anand Bhawan, Sant Pual College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Smt. Neelam Mathur, Owner, H.No.- 31, Anand Bhawan, Sant Paul College, Civil Lines, Distt.- Moradabad, U.P., M/s Krishna Construction

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pradeep Chaudhary S/o Shri Rajendra Singh, Village- Pachokra Khanpur, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Sher Alam S/o Islam Ali, Village- Rustumapur, Tehsil- Bilari, District- Moradabad,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Amit Kumar S/o Shri Giriraj Singh, R/o-Suraj Nagar Pital Nagar, Tehsil-Moradabad, District-Moradabad,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Kailash Singh S/o Shri Rajveer Singh, R/o- Village- Milak Ghansurpur Bamniya, District- Amroha, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh, Resident of Vidya Nagar Mau, Thana-Civil Lines, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Mudassir Khan, Owner, R/o- Rampur Bheela, PO- Sarkara Khas, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Arshad Ali S/o Shri Munan Ahamad, R/o- Pipli Chak, District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Mohd Saleem, Owner, R/o- Village- Milak Sihora, Posr- Munda Pandey,Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pappi Chaudhari S/o Shri Ahmad Jan,R/o-Chamraua, Post- Akka Dilari,District- Moradabad,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Nazim Ali, Owner, Village- Rampur Bheela Sakara Khas, Tehsil & District- Moradabad,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Danish, Owner, R/o- Village- Salempur Nawada, Chaudharpur, Tehsil- Amroha, District- Amoraha, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Imran Ali, Owner, R/o- Barwara Manjhra, P.O.-Bhaisiya, District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Kuldeep Singh, Owner,R/o- D-39, Deen Dayal Nagar, Phase-2, District-Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Oop. Power House-2, Sector- 01, District-Moradabad, U.P.,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Rishipal Singh S/o Shri Tularam Singh, R/o- Village- Bhatawali, P.O.- Kazipura, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Sameer Khan, Owner, R/o- Plot No.- 14-15, First Floor, Shri Sai Hospital, Mansarovar Colony, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Sagar Gupta, Owner, R/o- Mohalla-Mahajan, P.O.- Chandausi, District-Sambhal, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Mohammad Rafi , Owner, R/o- Village- Milak Bujpur Asha, P.O.- Veerpur Than, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pawan Kumar, Owner, R/o-Mohiuddinpur, Kamelpur Dhanora, Tehsil & District- Amroha, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Mohd. Akhlak S/o Shri Mohd. Ishak, R/o- Pandit Nagala, Tehsil & District-Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Monu Pal, Owner, Village- Hussainpur Hameer, Tehsil- Bilari District- Moradabad, U.P,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri, Owner, R/o- Lalpur Hameer, Faridpur Hameer, Tehsil- Bilari ,District- Moradabad, U.P,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Yogesh Chandra, Owner, R/o- ,K.G.K College, Surya Nagar , Tehsil & District-Moradabaad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Yogesh Kumar S/o Shri Param Singh, R/o- House No.- E-10, New Moradabad Opposite power house- 2 sector 1,District- Moradabad, UP,

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Amit Kumar S/o shri Giriraj Singh
R/o- Suraj nagar Pilat Basti,
District – Moradabad , Uttar Pradesh.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Bisharat Husain, R/o-Village-Chaudharpur, (DiDoli),Tehsil & District-Amroha, U.P,Amroha,Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Imran Ali, Owner, R/o- Viillage-Barwara, P.O-Bhaisiya Tehsil & District-Moradabad (U.P),

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pradeep Kumar S/o Shri Rajendra R/Oo – Village Pachokara khanapur – Post – Kuchawli, Chhajlet, Tehsil - Moradabad, District - Moradabad, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Subhan, R/o- Village- Karanpur, P.O.- Yusufpur Nagaliya, Tehsil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Sameer Khan, R/o- Plot No 14-15, 1st Floor Beside Sri Sai Hospital Mansarovar Colony Tehsil District Moradabad,,Moradabad,Moradabad,Uttar Pradesh,M/s Verner Enviro India Pvt Ltd.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Ayush Bhedda S/o Shri Mahesh Pal, R/o – Near Primary School, Katha Bagpat,Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Vijendra Singh S/o Late Shri Ram Singh R/o – Bank Colony, Harthala Tehsil & District- Moradabad (U.P.)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pawan Kumar S/o Shri Mahendra Singh Residential Address – Village-Muhiuddinpur, Post- kamelpur dhanaura, Amroha, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Sumit Chaudhary, R/o- Mahendari Sikandarpur, Chhajlet, District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Nazim Ali S/o Shri Muslim Residential Address – Village Rampur bheela, Post Sarkara khas, District- Moradabad, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Mou Raza, R/o- ill-Lakhanpur ladapur, Post-Udhamawala, Roshanpura, Moradabad, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pappi Choudhry, R/o- Ahmad Jan Chamraua Post Office Akka Dilari Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Pawan Kumar, R/o- Village- Muhiuddinpur, Post Kamelpur Dhanaura, Tehsil- Amroha, District- Amroha (U.P.)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Kuldeep Singh, R/o- D-39, Deendayal Nagar, Phase- 2, Near Wave Mall, Tehsil & District- Moraadabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Ravindra Chaudhary S/o Shri Ram Ratan Singh, Village- Pachokra Khanpur, Post- Kuchawali, District- Moradabad, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Atul Singh, R/o- Village- Bhatawali, District- Moradabad ,Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02160/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Moradabad/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Moradabad।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Moradabad।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Lakhvindar Singh, Shri Mahendra Singh & Shri Jugendra Singh, S/o Shri Sarjeet Singh, R/o- Jamna Jamni Chauhadda, Tehsil- Sadar, District- Rampur, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Gurmeet Singh, R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A.A. Cable Layers

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Arun Kumar Goyal S/o Shri Deewan Chand, R/o- Subhash Nagar,Uttarakhand

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Saurabh Kumar Tomar, R/o- Shop No.- 02, Before Meenar, Harthala, Moradabad, U.P.., M/s Shiv Shakti Enterprises

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Anjali Kapoor W/o Shri Sharad Kapoor R/o- H.No.- C-13, Gandhi Nagar, Teshil & District- Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Radhey Shyam S/o Shri Ramswaroop, R/o- Chakarpur, Tehsil- Bajpur, District- Udham Singh Nagar, Utttarakhand

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Satpal Singh, R/o- Village- Bhoovra Ehatmali, Tehsil- Swar, District- Rampur, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Brahmpal Singh, R/O- Ampur Dhamman, Tehsil – Tanda, District – Rampur, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Rajendra Singh R/o Munda Pande, District- Moradabad, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s M/s Umar Goods Transport & Ent. , Add.- Bhojpur Dharampur, Near B.S.N.L. Kashipur Road, District-Moradabad, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Nusrat Naim Siddiqui, Date: 30/12/2021 S/o- Late Shri Rashidullah Siddiqui R/o- Ekta Vihar, Shaukat Ali Road, Civil Lines, Tehsil- Sadar, District- Rampur (U.P.)

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Name Ali S/o Shri Maseeta R/o-Narpat Nagar Dudawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.,
M/s Imran Traders

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Naame Ali S/o Shri Maseeta R/o—Narpat Nagar Doondawala, Tehsil- Swar, District-Rampur, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Gaurav Agarwal S/o Shri Jaideep Agarwal R/o Badrinath Marg, Kalagarh Sukhri, Kotdwar, Pauri Garhwal

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Gurmeet Singh, Partner R/o- Asadullahpur, Tehsil- Milak, District- Rampur, U.P., M/s A. A.Cable Layers

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Abdul Vahab S/O Abdul Gaffar R/o- Mohalla -Lal Masjid, Tehsil- Sadar ,District-Rampur, U.P

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02164/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Rampur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Rampur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Rampur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil-Bisauli, District - Badaun, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02166/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Sambhal/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Sambhal।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Sambhal।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Rajesh Kumar S/o Shri Rajpal Singh, R/o Kanharpur Nagla Barah, Tehsil-Bisauli, District- Badaun, U. P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02166/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Sambhal/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Sambhal।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Sambhal।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Moradabad।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Jagjeet Singh, R/o-Birasini, Tehsil- Tilhar, District- Shahjahanpur, U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02168/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Shahjahanpur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Shahjahanpur।

2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Shahjahanpur।

3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Smt. Mubshara Bi, W/o Sajid khan Bragad, R/o- Village- Shahbaznagar, Tehsil-Sadar, District -Shahjahanpur,U.P.

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02168/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Shahjahanpur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Shahjahanpur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Shahjahanpur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

संदर्भ स0– H05435/सी–7/विविध–370/खनन/2024 दिनांकः–10.01.2024

सेवा में,

M/s Shri Radha Krishan Gupta, S/o Shri Ramnarayan Gupta, R/o Village-Hundal Khel, Tehsil- Sadar, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh

विषयः इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनॉक 20.10.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H 02168/सी0–6/सा–407/नोडल खनन/का0ब0नो0 /Shahjahanpur/2023, दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 1752/एम–एनजीटी वाद/2022 दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से 210 खनन इकाईयों, जिनके खनन पट्टे समाप्त अथवा रदद् हो जाने क कारण वर्तमान में संचालित नही है, की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आपकी इकाई सम्मिलित है तथा सूची अनुसार आपका खनन पट्टा वर्तमान में संचालित नही है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निस्तारित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1.. आपकी इकाई की समस्त उत्पादन/संचालन की प्रक्रिया को यथावत् बन्द रखा जाये तथा भविष्य में इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टे का संचालन किया जाये।

2..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाइड लाइन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3..पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1..जिलाधिकारी, Shahjahanpur।
2..पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठि पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, Shahjahanpur।
3..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bareilly।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–7)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H 03794 /C-2/NGT-66/2023

दिनाँक
Date 08.12.2023

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Abhay Pratap Singh S/o Shri Arun Pratap Singh,R/o- Murhas, Post- Jaitpur, Tehsil & District- Farrukhabad, U.P. Proposed "Soil Excavation" Project at Gata No.-942, 945, 984, Village-Gagoli, Tehsil- Sadar, District- Farrukhabad, U.P.,(Leased Area-1.2510 Ha)

विषयः खनन पट्टे के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके खनन पट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध मे क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 08.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खान अधिकारी, जनपद–फर्रूखाबाद के पत्रा क 71/खनन अनुभाग/2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मिट्टी खनन परियोजना को सामान्य मिट्टी खनन हेतु गाटा सं0 942, 945, 984, ग्राम–गंगोली, तहसील–सदर जनपद–फर्रूखाबाद खनन विभाग से 1.251 हेक्टेअर क्षेत्रफल पर खनन हेतु अनुज्ञा दिनांक 29.10.2020 द्वारा जारी की गयी थी तथा उक्त खनन कार्य 06 माह (दिनांक 28.04.2021) को समाप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त खनन पट्टे की समयावधि वर्ष 2021 में समाप्त होने के कारण सम्बन्धित परियोजना को राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेप किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 08.12.2023 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेपित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्र निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H 03794 /C-2/NGT-66/2023

दिनांक
Date 08.12.2023

पंजीकृत

सेवा में,

Shri Bhupendra Singh S/o Shri Ramratn Singh, R/o- Manohar Nagar, Pikhana, District- Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-04, Village- Meerpur, Tehsil -Farrukhabad, District- Farrukhabad, U.P., (Leased Area-1.1980 1.1980 Ha)

विषयः खनन पट्टे के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके खनन पट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध मे क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 08.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खान अधिकारी, जनपद–फर्रूखाबाद के पत्रांक 71/खनन अनुभाग/2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मिट्टी खनन परियोजना को सामान्य मिट्टी खनन हेतु गाटा सं0 04, ग्राम–मीरपुर, तहसील–सदर जनपद–फर्रूखाबाद खनन विभाग से 1.243 हेक्टेअर क्षेत्रफल पर खनन हेतु अनुज्ञा दिनांक 07.04.2022 द्वारा जारी की गयी थी तथा उक्त खनन कार्य 06 माह (दिनांक 06.10.2022) को समाप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा उक्त खनन पट्टे की समयावधि वर्ष 2022 में समाप्त होने के कारण सम्बन्धित परियोजना को को राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेप किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 08.12.2023 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेपित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्र निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H 03794 /C-2/NGT-66/2023

दिनाँक
Date 08.12.2023

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Anil Kumar S/o Shri Ranjesh, R/o- Village-Aakhoonpur Raipur Khas,Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District-Farrukhabad, U.P., Proposed "Soil Execavation Project" at Gata No.-313,Village-Lakhanpur, Tehsil- Kaimganj, District-Farrukhabad, U.P, (Leased Area-0.3280 Ha)

विषयः खनन पट्टे के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके खनन पट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध मे क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 08.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि खान अधिकारी, जनपद–फर्रूखाबाद के पत्रांक 71/खनन अनुभाग/2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मिट्टी खनन परियोजना को सामान्य मिट्टी खनन हेतु गाटा सं0 313, ग्राम–लखनपुर, तहसील–कायमगंज, जनपद–फर्रूखाबाद खनन विभाग से खनन हेतु अनुज्ञा दिनांक 14.06.2022 द्वारा जारी की गयी थी तथा उक्त खनन कार्य 03 माह (दिनांक 13.09.2022) को समाप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा उक्त खनन पट्टे की समयावधि वर्ष 2022 में समाप्त होने के कारण सम्बन्धित परियोजना को को राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेप किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 08.12.2023 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेपित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्र निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No H 03794 /C-2/NGT-66/2023

दिनाँक
Date 08.12.2023

सेवा में,

पंजीकृत

Shri Siddharth S/o Shri Shashi Kumar,Village-Lohaie,Tehsil-Kaimganj,District-Farrukhabad,U.P., Proposed"Soil Execavation Project" at GataNo,-496,527,902 Mi,1100, 1101, 865, 1114,located in Village- Purauri, Tehsil- Kaimganj, District- Farrukhabad, U.P. (Leased Area-1.4126 Ha)

विषयः खनन पट्टे के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस निक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके खनन पट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध मे क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 08.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है सम्बन्धित परियोजना के सम्बन्ध में खान अधिकारी, जनपद–फर्रूखाबाद के कार्यालय के श्री किताब सिंह, लिपिक से सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना को खनन हेतु पट्टा आवंटित नहीं किया गया है एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेप किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 08.12.2023 के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 को निक्षेपित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्र निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com